उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26



गतिशील प्रगति

सतत उत्कृष्टता

विषय-सूची

निगमित अवलोकन 01-11

निगमित सूचना	**01**
हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत	**02**
हमारे बारे में	**04**
वर्ष 2025-26 के विशेषताएं	**05**
अध्यक्षीय भाषण	**06**
निदेशक मंडल	**08**
नेतृत्व दल	**10**

सांविधिक रिपोर्ट 12-39

निदेशकों की रिपोर्ट	**12**
निगमित शासन पर रिपोर्ट	**28**
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	**33**

वित्तीय विवरण 40-117

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	**41**
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	**55**
तुलन पत्र	**56**
लाभ और हानि का विवरण	**57**
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	**58**
नकद प्रवाह का विवरण	**60**
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	**62**

सूचना 118-123

वार्षिक आम बैठक- सूचना	**118**



निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री जोस वी जे
अध्यक्ष

डॉ हरिकृष्णन एस
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री राजेष गोपालकृष्णन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री षिराज़ वी पी
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर
गैर-कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव

श्री अश्विन शर्मा एम
(अप्रैल 24, 2026 तक)

श्री वासू
(अप्रैल 25, 2026 से)

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पष्मथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट,
मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम,
तमिलनाडु– 603 116
सीआईएनः U27209TN1984GOI010994

नेतृत्व दल

श्री हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री अंबलावनन एम
मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ)

मुख्य कार्मिक

श्री हरिकिशन ई एस
उप महाप्रबंधक (प्रचालन)

श्री प्रदीप के
उप महाप्रबंधक (प्रचालन)

श्री सोणी क्लेमेंट टी एम
सहायक महाप्रबंधक (सामग्री) प्रभारी

श्रीमती के के त्रिवेणी
सहायक महाप्रबंधक (यू एण्ड एम,
यार्ड योजना व एचएसई)

श्री हलील एम जलाल
सहायक महाप्रबंधक (एसओएफ व एओएफ)

श्री गोकुल पी एन
सहायक महाप्रबंधक (अनुबंध कक्ष व व्यापार विकास)

श्री एल के प्रभाकर
सहायक महाप्रबंधक (हल व पेंटिंग)

श्री सचितलाल पद्मनाभन
सहायक महाप्रबंधक (विद्युत डिज़ाइन)

श्री जैसण जोस चिरायत्त
सहायक महाप्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण व योजना)

श्री नारायणनपोट्टी आर
परामर्शक (वित्त)

सुविधाएं

उडुपी, कर्नाटक,
चेंगलपेट, तमिलनाडु

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स के पी कंचन व कं.
सम्नदी लेखाकार,
हॉली फैमिली कॉम्प्लेक्स
ब्रहमवर, उडुपी
कर्नाटक – 576 213

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसवीजेएस व असोसिएट्स
कंपनी सचिव
65/2364ए, पोनोत रोड
कलूर, कोच्ची,
एर्णाकुलम, केरल – 682 017

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स बीबीएस एंड एसोसियेट्स
लागत लेखाकार
62/102, प्रथम तल
नेन्मनश्शेरी इल्लम
इल्लम रोड, ऑफ पालियम रोड
एर्णाकुलम, केरल – 682 016

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स शेबिन एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
3 तल, खदीजा बिल्डिंग
एर्णाकुलम नॉर्थ
एर्णाकुलम , केरल – 682 018

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
द फेडरल बैंक लिमिटेड
द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत

दृष्टिकोण

- विश्वस्तरीय टग नौकाओं, गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जलयानों, अपतटीय आपूर्ति जलयानों और 80 मीटर लंबाई तक के विशेष प्रयोजन पोतों के निर्माण केलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमान्य शिपयार्डों में से एक के रूप में उभरें।
- भारतीय मत्स्य ग्रहण बेडे को इंजीनियर्स मत्स्य ग्रहण नाव में बदलने का नेतृत्व करना, जिसका उद्देश्य देश के मछुआरों का संपूर्ण विकास करना है।
- देश में एल्युमीनियम हल निर्माण में बाज़ार अग्रणी के रूप में उभरें।
- हमारी उपलब्धियों केलिए प्रशंसा, हमारी नैतिकता केलिए सम्मान और हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी सेवा उत्कृष्टता केलिए भरोसा किया जाना।

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 80 मीटर तक लंबी टग नौकाओं, विशेष मत्स्य ग्रहण पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों का निर्माण और मरम्मत करना तथा मूल्यवर्धित गुणवत्तावाली इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना, प्रतिस्पर्धी माहौल में कॉर्पोरेट विकास को बनाए रखना और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने की दिशा में प्रथाओं को ग्रहण करना और अपनाना।

लक्ष्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से पोत निर्माण और विशेष इंजीनियरिंग सेवाओं को बनाए रखना और बढाना ।
- कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कंपनी की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए शिपयार्ड की गतिविधियों का विस्तार/ विविधता लाने केलिए लगातार प्रयास करना।
- पोत निर्माण प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास हेतु मूल संगठन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ काम करना
- अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की ओर बढने केलिए, भारत में अपनाए जानेवाले सर्वोत्तम पोत निर्माण मानकों के साथ बेंचमार्क।
- बेहतर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करना।
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण केलिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना।
- क्षमता को अधिकतम करने केलिए आक्रामक बोली और सुरक्षित आदेश के साथ अवसरों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना।
- सकारात्मक ग्राहक-उन्मुख पहल सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के अनुपालन के माध्यम से एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।



हमारे बारे में

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल), भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सितंबर 2020 में आईबीसी प्रक्रिया के तहत सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से उडुपी-सीएसएल, सीएसएल समूह का हिस्सा बन गई।

कंपनी की स्थापना दिनांक 9 जुलाई, 1984 को चेन्नई से संचालित एक निजी गैर-सरकारी कंपनी के रूप में 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में हुई थी। इसके बाद, कंपनी सार्वजनिक हो गई और इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया। कंपनी ने शुरुआत में टग निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में 2003-2014 के दौरान सीएसएल के साथ महत्वपूर्ण सहयोग के साथ अपतटीय पोत क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान सीएसएल, कोच्ची में यूरोप के लिए 8 प्लेटफ़ॉर्म सप्लाई जलयान और भारतीय ग्राहकों के लिए 4 एंकर हैंडलिंग टग का निर्माण किया गया। इसके बाद, कंपनी ने उडुपी में एक नया शिपयार्ड स्थापित करके अपना विस्तार किया और छोटे व मध्यम आकार के जलयानों जैसे टग, अपतटीय जलयान, उच्च-स्तरीय भू-तकनीकी अनुसंधान जलयान, ड्रेजर आदि का निर्माण किया। हालाँकि, 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण ऑर्डर रद्द होने लगे और व्यावसायिक गति में धीरे-धीरे गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2018 में दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू हुई। परिणामस्वरूप, सीएसएल ने सितंबर 2020 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, सुविधाओं का नवीनीकरण किया और जुलाई, 2021 में प्रचालन फिर से शुरू किया। इसके बाद, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को कंपनी का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया।

सीएसएल समूह का हिस्सा बनने के बाद से, उडुपी-सीएसएल में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है और यह छोटे से मध्यम आकार के जलयान क्षेत्र में एक विश्वसनीय और सक्षम पोत निर्माता के रूप में तेज़ी से विकसित हो रहा है। कंपनी ने विश्वसनीयता, गुणवत्तापूर्ण शिल्प कौशल और समय पर सुपुर्दगी के लिए लगातार अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, और देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में विविध ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी कर रही है। उत्कृष्ट निष्पादन क्षमताओं, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और एक मज़बूत ऑर्डर बुक के साथ, कंपनी सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए अच्छी स्थिति में है।

उडुपी-सीएसएल की दो सुविधाएँ हैं; एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरी चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में। उडुपी स्थित कंपनी की सुविधा में एक आधुनिक इस्पात निर्माण इकाई सहित एक बुनियादी ढाँचा मौजूद है, जिसे देश के मध्यम आकार के शिपयार्डों में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है।



वर्ष 2025-26 की मुख्य उपलब्धियाँ

दो **70 टन** बोलार्ड पुल टग और चार फ्यूचर प्रूफ **3800 टीडीडब्ल्यू** ड्राई कार्गो जलयान सफलतापूर्वक सुपुर्द किए गए।

दो **70 टन** बोलार्ड पुल टग, दो **60 टन** ग्रीन टग (इलेक्ट्रिक) और चार **70 टन** इलेक्ट्रिक हार्बर एस्कॉर्ट टग सहित आठ वेसल के निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के साथ वर्क-शेयरिंग समझौते किए गए।

31 मार्च, 2026 तक ऑर्डर बुक का मूल्य **₹2,000 करोड़** से अधिक रहा।

परिचालन से राजस्व **₹63,021.29 लाख** रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 126.19% की वृद्धि दर्शाता है।

कर पश्चात लाभ **₹9,338.76 लाख** रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

व्यावसायिक क्षेत्र

- टग और तटीय जलयान
- रक्षा के लिए मध्यम आकार के सहायक जलयान
- यूरोप के लिए छोटे समुद्री और तटीय जलयान
- यूरोप के लिए विशेष जलयान / कारखाना जलयान
- भारतीय मछुवारे समुदाय केलिए तैयार-खरीद जलयानों के रूप में लघु मत्स्य नौकाओं का उत्पाद-आधारित मॉडल।
- समुद्री उद्योग के लिए इंजीनियरिंग निर्माण परियोजनाएँ

अध्यक्ष का संदेश



उडुपी-सीएसएल ने पोत निर्माण, पोत सुपुर्दगी और नए आदेश प्राप्त करने के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सफलतापूर्वक छह पोतों की सुपुर्दगी की, जिनमें नॉर्वे की विल्सन एएसए को चार फ्यूचर प्रूफ 3,800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो पोत तथा ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग शामिल हैं।

प्रिय शेयरधारकों,

जब हम विगत वर्ष की उपलब्धियों पर विचार करते हैं, तो मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समीक्षाधीन वर्ष कंपनी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सुदृढ़ विकास का वर्ष रहा है। इस दौरान कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, प्रचालन कार्य-निष्पादन में सुधार, सफलतापूर्वक पोतों की सुपुर्दगी तथा सुदृढ़ होते कार्यादेशों के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड परिवार का हिस्सा बनने के बाद से, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पुनरुद्धार के चरण से निरंतर विकास के चरण की ओर क्रमिक रूप से प्रगति की है। यह प्रगति केंद्रित कार्यान्वयन, प्रचालन अनुशासन और स्पष्ट कार्यनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर संभव हुई है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने अपनी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत वर्ष के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2025-26 उडुपी-सीएसएल के लिए विशेष रूप से वित्तीय प्रदर्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष के 27,862 रुपए की तुलना में 63,021 लाख रुपए की कुल आय अर्जित की, जो 126% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है। प्रचालन से प्राप्त राजस्व भी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 61,812 लाख रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 26,564 लाख रुपए था, जो वर्ष-दर-वर्ष 133ऽ की वृद्धि दर्शाता है। प्रचालन प्रदर्शन में सुधार से लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कर-पूर्व लाभ पिछले वर्ष के 859 लाख रुपए से बढ़कर 13,168 लाख रुपए हो गया, जबकि कर-पश्चात लाभ 263 लाख रुपए से बढ़कर 9,339 लाख रुपए हो गया। वित्तीय प्रदर्शन में यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से पोत निर्माण परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और कुशलतापूर्वक निष्पादित करने पर हमारे निरंतर ध्यान के कारण हुई।

प्रचालन प्रदर्शन

उडुपी-सीएसएल ने पोत निर्माण, पोत सुपुर्दगी और नए आदेश प्राप्त करने के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सफलतापूर्वक छह पोतों की सुपुर्दगी की, जिनमें नॉर्वे की विल्सन एएसए को चार फ्यूचर प्रूफ 3,800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो पोत तथा ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग शामिल हैं। कंपनी ने विल्सन एएसए के प्रतिष्ठित निर्यात ऑर्डर को भी सफलतापूर्वक पूरा किया तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक चरण के दौरान पांचवे और छठे पोत की सुपुर्दगी की।

ऑर्डर पाइपलाइन को और सुदृढ़ करते हुए, उडुपी-सीएसएल ने नियंत्रक कंपनी, सीएसएल से आठ पोतों के लिए कार्य-विभाजन (वर्क-शेयर) की व्यवस्था प्राप्त की, जिसमें पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड और डेनमार्क की स्विट्ज़र के लिए इलेक्ट्रिक तथा पारंपरिक टग शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक चरण के दौरान, कंपनी ने पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले एक टग की सुपुर्दगी भी की तथा ओशन स्पार्कल लिमिटेड से 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले चार अतिरिक्त टगों के निर्माण के ऑर्डर प्राप्त किए। यह उडुपी-सीएसएल की क्षमताओं और निष्पादन क्षमता के प्रति ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्मिक

जैसे-जैसे हमारी प्रचालन गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, हमारे कार्मिक उडुपी-सीएसएल की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी बढ़ती प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और कामगार श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कंपनी में 189 कर्मचारी थे, जिनमें 91 अधिकारी, 38 पर्यवेक्षक और 60 कामगार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत 19 प्रशिक्षु भी कार्यरत थे। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रक कंपनी, सीएसएल के कर्मचारी भी सहयोग प्रदान करते हैं।

हम कौशल विकास, सतत सीखने और ज्ञान के आदान-प्रदान के प्रति प्रतिबद्ध हैं तथा ऐसा कार्य वातावरण विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो व्यावसायिक विकास और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि उडुपी-सीएसएल में पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

उडुपी-सीएसएल की सभी प्रचालन गतिविधियों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनी रही। कंपनी ने गुणवत्ता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। इसके लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित मानकों का पालन किया गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कार्यप्रणालियों को और सुदृढ़ करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, लेखापरीक्षण और निगरानी जारी रखी गई तथा पूरे वर्ष स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

अपने प्रचालन का विस्तार करते हुए, हम अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और अन्य हितधारकों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्पादन में वृद्धि और व्यावसायिक विकास सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना किया जाए।

निगमित शासन

कंपनी जहां तक संभव हो, सर्वोत्तम निगमित शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा निगमित शासन के संबंध में लागू लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में की गई अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर निगमित शासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

उद्योग परिदृश्य और कार्यनीतिक दिशा

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में निरंतर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन समुद्री व्यापार के बदलते स्वरूप, दक्ष एवं पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पोतों की बढ़ती मांग, तकनीकी प्रगति तथा हरित पोत परिवहन की दिशा में बढ़ते संक्रमण से प्रेरित हैं। साथ ही, भारत एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर विशेष जोर दे रहा है, जिससे भारतीय पोत निर्माण कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर सृजित हो रहे हैं।

उडुपी-सीएसएल भारत सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री क्षेत्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्री भारत विज़न 2030 और समुद्री अमृत काल विज़न 2047 के अनुरूप, कंपनी छोटे और मध्यम आकार के पोतों के क्षेत्र में, जिनमें हरित और विद्युत चालित पोत भी शामिल हैं, अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उपयुक्त देशी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत मानक टग डिजाइन और विनिर्देश (एएसटीडीएस) ढांचे को अपनाने से भारत के पत्तनों और समुद्री अवसंरचना के लिए मानकीकृत, दक्ष और लागत-प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।

आगे की दिशा

बेहतर वित्तीय स्थिति, सिद्ध निष्पादन क्षमता, विस्तारित बाजार उपस्थिति और 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के निष्पादित किए जाने वाले ऑर्डर बुक के साथ, उडुपी-सीएसएल सतत विकास के लिए मजबूत स्थिति में है। हम गुणवत्तापूर्ण पोतों की समय पर सुपुर्दगी, ग्राहकों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा समुद्री उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करेंगे।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निरंतर सहयोग तथा गुणवत्ता, दक्षता और समयबद्ध निष्पादन पर हमारे अटूट ध्यान के साथ, हमें विश्वास है कि हम देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में उडुपी-सीएसएल की उपस्थिति को और सुदृढ़ करने तथा अपने सभी हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य सृजित करने में सफल होंगे।

आभार

मैं इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों के निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव एवं अधिकारियों, भारत सरकार तथा कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन तथा अपने साथी बोर्ड सदस्यों को भी उनके निरंतर सहयोग, बहुमूल्य सुझावों और कार्यनीतिक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

हमारे कार्मिक कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और सतत विकास हासिल करने की क्षमता के केंद्र में हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य प्रचालन अधिकारी के नेतृत्व से मार्गदर्शित और प्रेरित उडुपी-सीएसएल के सभी कर्मचारियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी निष्ठा, दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों में महत्वपूर्ण रही है। मैं अपने सम्मानित ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के निरंतर सहयोग को भी स्वीकार करता हूँ, जिनका विश्वास और सहयोग हमारी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम सब मिलकर वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाने तथा उडुपी-सीएसएल को और अधिक सुदृढ़, सक्षम और सतत भविष्य की दिशा में आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं।

जय हिंद

जोस वी. जे.

अध्यक्ष

डीआईएनः 08444440

निदेशक मंडल



श्री जोस वी जे
अध्यक्ष

श्री जोस वी जे वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण केलिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। श्री जोस वी जे ने 01 फरवरी, 2026 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें होल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी प्राप्त हुआ था। वे अगस्त 2019 से सीएसएल में निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है । उन्हें दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिटर्न (लार्ज कैप) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 35 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) में अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



डॉ हरिकृष्णन एस
गैर- कार्यकारी निदेशक

डॉ हरिकृष्णन एस. को दिनांक 23 जुलाई, 2025 से उडुपी-सीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण) के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 27 अगस्त 2025 को उन्हें सीएसएल के निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण और मरम्मत के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें डिजाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, प्रापण, योजना और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं। वे सीएसएल और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। वे सीएसएल की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) में भी निदेशक हैं।



श्री राजेष गोपालकृष्णन
गैर- कार्यकारी निदेशक

श्री राजेष गोपालकृष्णन को दिनांक 30 अक्तूबर, 2024 से उडुपी-सीएसएल के बोर्ड में पुनः शामिल किया गया। उन्होंने दिनांक 03 मई, 2022 से 5 जनवरी, 2024 तक उडुपी-सीएसएल के बोर्ड सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत) और निदेशक (तकनीकी) पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण, पोत मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें व्यावसायिक कार्यनीति, व्यवसाय निर्माण, अनुमान, अनुबंध प्रबंधन, प्रापण, योजना, परियोजना प्रबंधन, चालान, बिक्री के बाद और ग्राहक संबंधों से लेकर संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। वे सीएसएल की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) में भी निदेशक हैं, जहाँ वे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।



श्री षिराज़ वी पी
गैर- कार्यकारी निदेशक

श्री षिराज वी.पी. को दिनांक 23 जुलाई, 2025 से उडुपी-सीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण) हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें पोत निर्माण, हल, आउट फिट, मार्केटिंग, डिज़ाइन, आउटसोर्सिंग, योजना, परियोजना प्रबंधन और पोत मरम्मत कार्यों जैसे क्षेत्रों में 29 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्हें केरल प्रबंधन संघ द्वारा 2023 में 'साल का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक' पुरस्कार प्राप्त हुआ है और स्वदेशी वायुयानवाहक पोत परियोजना 'आईएनएस विक्रांत' के परियोजना प्रबंधक के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नौसेना प्रमुख से भी प्रशंसा प्राप्त हुई है।



श्रीमती अंजना के आर
गैर- कार्यकारी निदेशक

श्रीमती अंजना के आर को दिनांक 06 जनवरी 2024 से उडुपी-सीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (डिज़ाइन व सामग्री) हैं। श्रीमती अंजना के आर के पास कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (नौसेना वास्तुकला एवं पोत निर्माण) की डिग्री है। उन्हें पोत डिजाइन, पोत निर्माण ढांचा, उत्पादन अभियांत्रिकी और पोत निर्माण सामग्री खरीद जैसे क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव है। श्रीमती अंजना के आर को एमआरपोर्ट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 में 'प्रेरक महिला नेता - समुद्री क्षेत्र' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह सीएसएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) में निदेशक भी हैं।

नेतृत्व दल



श्री हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री हरिकुमार ए ने जनवरी 28, 2021 को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यभार संभाला। वे उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रचालन और परियोजना प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र दोनों में विभिन्न प्रमुख शिपयार्डों के साथ काम किया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स (इंडिया) के अध्येता है।



श्री शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री शंकर नटराज ने दिनांक 25 नवंबर 2022 को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और उन्होंने कोलकाता के सेंट सेवियर्स कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें मुख्य रूप से सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों में वित्तीय प्रबंधन, बजटीय नियंत्रण, लागत निर्धारण, वाणिज्यिक और सामान्य प्रबंधन आदि के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य के मंत्रालय (एमसीए) के तहत भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) के स्वतंत्र निदेशक के डैटाबैंक में भी सूचीबद्ध हैं।



श्री अंबलावनन एम
मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ)

श्री अंबलावनन एम ने 01 जनवरी, 2026 को उडुपी-सीएसएल के मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्यभार संभाला। सीओओ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने फरवरी 2021 से उप महाप्रबंधक (प्रचालन) के रूप में कार्य किया। पोत निर्माण, संचालन, तकनीकी निष्पादन, कार्यकारी प्रबंधन और कार्यनीतिक जोखिम न्यूनीकरण में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, वे अपने पद पर व्यापक उद्योग विशेषज्ञता लेकर आए हैं। उन्होंने राज्य तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा विभाग, मद्रास से मेकानिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्होंने कंपनी को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मध्य-श्रेणी के शिपयार्ड में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कोचीन शिपयार्ड-टेबमा शिपयार्ड के सफल सहयोग में भी उनकी अहम भूमिका रही है। सीओओ के रूप में, वे कंपनी के प्रचालन विकास का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पोत निर्माण उद्यम के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे।



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

1. आपके निदेशकगण, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उस पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की चालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

प्रचालन

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए मजबूत प्रचालन प्रदर्शन और निरंतर व्यावसायिक विकास का वर्ष था। कंपनी ने देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक विश्वसनीय पोत निर्माता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए परियोजना निष्पादन में अपनी गति को बनाए रखा। मौजूदा ग्राहकों के निरंतर विश्वास और चल रही परियोजनाओं के सफल निष्पादन ने गुणवत्ता, समय पर वितरण और ग्राहक संतुष्टि के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया।

3. वर्ष के दौरान, कंपनी ने सफलतापूर्वक छह जलयानों की सुपुर्दगी की, जिसमें दो 70टी बोलार्ड पुल टग्स ओशन स्पार्कल लिमिटेड को और चार फ्यूचर प्रूफ 3,800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयान विल्सन एएसए, नॉर्वे को दिए गए। कंपनी ने निर्माणाधीन जलयानों पर लगातार प्रगति जारी रखी, जिसमें प्रमुख निर्माण गतिविधियां नियोजित समय-सीमा के अनुरूप आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी नियंत्रित कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कुल आठ जलयानों के निर्माण के लिए कार्य-विभाजन व्यवस्था हासिल की, जिसमें दो 70ट बोलार्ड पुल टग्स, पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए दो 60ट ग्रीन टग्स (इलेक्ट्रिक) और स्विट्जर, डेनमार्क के लिए चार 70ट इलेक्ट्रिक हार्बर एस्कॉर्ट टग्स शामिल हैं। कंपनी ने कार्य-विभाजन व्यवस्था के तहत निर्माण गतिविधियों को कुशलतापूर्वक करने के लिए कोच्ची में एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया है। ये उपलब्धियां गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए एक साथ कई परियोजनाओं को निष्पादित करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाती हैं।

4. दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक स्थिति नीचे दी गई है:

जलयान	संख्या
पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए 70 टन बोलार्ड पुल टग	01
ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए 70 टन बोलार्ड पुल टग	09
विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए भविष्य के लिए उपयुक्त 3800 टन ड्राई कार्गो पोत	02
विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए 6300 टन ड्राई कार्गो पोत	08
पोलस्टार मैरिटाइम लिमिटेड के लिए 70 टी बोलार्ड पुल टग्स*	02
पोलस्टार मैरिटाइम लिमिटेड के लिए 60 टी हरित टग्स (विद्युत चालित)*	02
स्विट्ज़र, डेनमार्क के लिए 70 टी विद्युत चालित हार्बर एस्कॉर्ट टग्स*	04

*कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के साथ कार्य-विभाजन व्यवस्था।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले भाग के दौरान, कंपनी ने नॉर्वे के विल्सन एएसए को छह फ्यूचर प्रूफ 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयानों की श्रृंखला में पांचवें और छठे जलयानों की सफल सुपुर्दगी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया, जो एक प्रतिष्ठित निर्यात आदेश के सफल समापन को चिह्नित करता है। इस अवधि के दौरान, कंपनी ने पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड को 70ट बोलार्ड पुल टग भी वितरित किया। इसके अलावा, कंपनी ने ओशन स्पार्कल लिमिटेड से चार 70ट बोलार्ड पुल टग के ऑर्डर हासिल किए, जो ग्राहकों द्वारा कंपनी में लगातार विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी के पास 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की मजबूत बिना निष्पादित आदेश बही है, जो आने वाले वर्षों में कंपनी के निरंतर विकास के लिए एक ठोस आधार सुनिश्चित करती है।

वित्तीय निष्पादन

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के 27,862.12 लाख रुपए के मुकाबले 63,021.29 लाख रुपए की कुल आय के साथ असाधारण वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया, जो 126.19% की साल-दर-साल (वाईओवाई) वृद्धि को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष के 26,563.60 लाख रुपए के मुकाबले 61,811.64 लाख रुपए था, जो 132.69% की वाईओवाई वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के 858.74 लाख रुपए के मुकाबले 13,167.79 लाख रुपए था, जबकि कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 262.78 लाख रुपए से बढ़कर 9,338.76 लाख रुपए हो गया, जो एक महत्वपूर्ण वाईओवाई वृद्धि को दर्शाता है।

7. राजस्व और लाभप्रदता में मजबूत वृद्धि को व्यापार प्रचालन में महत्वपूर्ण सुधार, उच्च प्रचालन दक्षता, प्रभावी लागत अनुकूलन और निरंतर ग्राहक विश्वास से प्रेरित किया गया था।

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	कुल आय	63,021.29	27,862.12
(ii)	लाभ / (हानि) वित्त लागत, मूल्यह्रास और कर से पूर्व	14,793.72	2,130.68
(iii)	वित्त कीमत	650.11	183.60
(iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	975.82	1,088.34
(v)	कर पूर्व लाभ /(हानि)	13,167.79	858.74
(vi)	कर	3,829.03	595.96
(vii)	निवल लाभ / (हानि)	9,338.76	262.78
(viii)	निवल मूल्य	20,175.27	17,130.11

शेयर पूंजी

8. दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी ₹ 215,00,00,000 (मात्र दो सौ पंद्रह करोड़ रुपए) है, जो ₹ 10 प्रत्येक वाले 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़) इक्विटी शेयरों और ₹ 10 प्रत्येक वाले 6,50,00,000 (छह करोड़ पचास लाख) अधिमान्य शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूँजी ₹ 108,00,00,000 (मात्र एक सौ आठ करोड़ रुपए) है, जो ₹ 10 प्रत्येक वाले 10,80,00,000 (केवल दस करोड़ अस्सी लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

ऋणपत्र

9. कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 तक ₹ 1,000 (मात्र एक हज़ार रुपए) अंकित मूल्य के 1,00,000 (मात्र एक लाख) असुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (डिबेंचर) बकाया हैं। ये डिबेंचर नवंबर 2021 में 84 महीने की अवधि के साथ 6.00% प्रति वर्ष की कूपन दर पर सीएसएल को ₹ 10,00,00,000 (मात्र दस करोड़ ₹) की राशि के लिए जारी किए गए थे। डिबेंचर नवंबर 2028 में मोचन के लिए निर्धारित हैं।

लाभांश

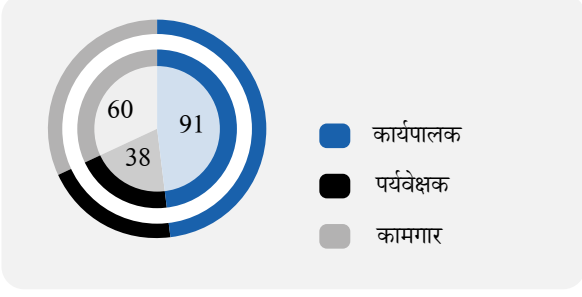
10. कंपनी के चल रहे विकास और समेकन चरण, पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं और अपने भविष्य के विकास, व्यापार प्रचालन और वित्तीय ताकत का समर्थन करने के लिए आंतरिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता को देखते हुए, निदेशक मंडल ने समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया है।

आरक्षित निधि में अंतरण

11. आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 18 में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

श्रमशक्ति की स्थिति

12. दिनांक 31 मार्च, 2026 तक, कंपनी में 189 कर्मचारी हैं, जिनमें 91 अधिकारी, 38 पर्यवेक्षक और 60 कामगार शामिल हैं। इन 91 कार्यपालकों में से 6, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त हैं। कंपनी ने अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 19 प्रशिक्षार्थियों को भी नियुक्त किया है।



औद्योगिक संबंध

13. कंपनी ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे और श्रमिक अशांति या हडताल के कारण कोई भी कार्य समय बर्बाद नहीं हुआ ।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

14. कंपनी, एक सीपीएसई, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक - I** में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

16. कंपनी दिनांक 13 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक (सीआईआरपी-पश्चात्) में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के तहत काम करती है। यह ढांचा जोखिम पहचान, मूल्यांकन, शमन प्रतिक्रिया, निरंतर निगरानी और कार्यनीतिक रिपोर्टिंग के लिए संरचित प्रोटोकॉल की विशेषता वाली एक संस्था-व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करता है। नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को उचित आश्वासन प्रदान करती है कि संगठन के महत्वपूर्ण जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की गई है और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया है।

17. नीति के अनुरूप, निदेशक मंडल कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की अंतिम निगरानी रखता है, जो निर्धारित समय-समय पर औपचारिक समीक्षा करता है। प्रचालन रूप से, जोखिम प्रबंधन संचालन समिति के साथ-साथ कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियों द्वारा जोखिम न्यूनीकरण संचालित किया जाता है, जो सभी व्यावसायिक खंडों में नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। ये समितियां, बोर्ड के साथ मिलकर, लगातार विकसित हो रहे जोखिम परिदृश्य और प्रचालन प्रोटोकॉल की समीक्षा करती हैं। एक समर्पित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) केंद्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है, जो पूरे उद्यम में सभी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

18. उडुपी-सीएसएल इस बात को पहचानता है कि इसका कार्यबल व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सभी कार्यों में एक मजबूत स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखता है। एक सुरक्षित और अनुपालन कार्यस्थल की गारंटी के लिए, उडुपी-सीएसएल अपने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणन को बनाए रखता है - जिसमें आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), और आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) शामिल हैं - जो ब्यूरो वेरिटास द्वारा जारी किए गए हैं, जो एक प्रमुख वैश्विक प्रमाणन निकाय है। सबसे हालिया आईएमएस निगरानी लेखापरीक्षा फरवरी 2026 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

19. निगरानी बनाए रखने के लिए, उडुपी-सीएसएल सामान्य और विद्युत सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए क्रमशः एक समर्पित सुरक्षा अधिकारी और एक विद्युत सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है। कंपनी ने सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 296 एचएसई प्रेरण प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय सदस्यता बनाए रखी। इसके अलावा, सुरक्षित दैनिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए 598 ऑनसाइट टूलबॉक्स वार्ता बैठकें आयोजित की गईं। आग के परिदृश्य, सीमित स्थान बचाव, बिजली के झटके की प्रतिक्रिया, चक्रवात आपात स्थिति, रासायनिक रिसाव और नागरिक रक्षा युद्धाभ्यास को कवर करते हुए दस आपातकालीन मॉक ड्रिल के माध्यम से परिचालन तत्परता का परीक्षण किया गया। सुरक्षा प्रतिज्ञाओं, अभियानों और वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान व्यापक कर्मचारी जुड़ाव भी हासिल किया गया। नतीजतन, कंपनी ने सुरक्षा और नियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, 937 लगातार दुर्घटना-मुक्त कार्य दिवसों के साथ रिपोर्टिंग अवधि का समापन किया।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

20. दिनांक 31मार्च 2026 तक, कंपनी में पांच निदेशक थे, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक और तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री जोस वी जे	08444440	अध्यक्ष
2.	डॉ हरिकृष्णन एस	10221559	निदेशक
3.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	09576336	निदेशक
4.	श्री षिराज़ वी पी	11170690	निदेशक
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	निदेशक
6.	श्री हरिकुमार ए	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7.	श्री शंकर नटराज	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
8.	श्री अश्विन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव

21. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(क) श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) तथा श्री श्रीजित के. नारायणन (डीआईएन: 09543968) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, द्वारा उनके नामांकन वापस लिए जाने के फलस्वरूप तथा सीएसएल की सेवाओं से अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के कारण, दिनांक 01 जून, 2025 से कंपनी के निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया।

(ख) डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएन: 10221559) तथा श्री षिराज़ वी. पी. (डीआईएन: 11170690) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के नामित निदेशकों के रूप में दिनांक 23 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

(ग) श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, द्वारा उनका नामांकन वापस लिए जाने के फलस्वरूप तथा सीएसएल की सेवाओं से अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के कारण, दिनांक 01 फरवरी, 2026 से कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया।

(घ) श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन : 07376798) के दिनांक 31 जनवरी, 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पद से अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440) को दिनांक 01 फरवरी, 2026 से सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने उसी तिथि से कंपनी के अध्यक्ष का कार्यभार भी ग्रहण किया।

22. श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440) तथा श्रीमती अंजना के. आर. (डीआईएन : 09545253), जिनका निदेशक के रूप में कार्यकाल रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु देय था तथा जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे, उन्हें दिनांक 18 सितंबर, 2025 को आयोजित कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

23. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) में उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ।

24. इसके अतिरिक्त, श्री वासु को दिनांक 25 अप्रैल, 2026 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति श्री अश्विन शर्मा एम के स्थान पर की गई, क्योंकि नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा उनकी कंपनी में की गई नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति वापस ले ली गई थी।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

25. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सात बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं रहा। बोर्ड बैठकें जिन तिथियों को आयोजित की गईं और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	तारीख	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	अप्रैल 25, 2025	6	6
2.	जुलाई 22, 2025	4	3
3.	सितंबर 18, 2025	6	5
4.	नवंबर 04, 2025	6	6
5.	दिसंबर 29, 2025	6	5
6.	जनवरी 22, 2026	6	6
7.	मार्च 17, 2026	5	5

26. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर *	07376798	6/6
2.	श्री बिजोय भास्कर #	08103825	1/1
3.	श्री जोस वी जे	08444440	7/7
4.	श्री श्रीजित के नारायणन #	09543968	1/1
5.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	09576336	7/7
6.	श्री अंजना के आर	09545253	5/7
7.	डॉ हरिकृष्णन एस ^	10221559	4/5
8.	श्री षिराज़ वी पी ^	11170690	5/5

*श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, से उनकी अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) के कारण सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप सीएसएल द्वारा उनका निदेशक पद वापस लिए जाने के कारण, दिनांक 01 फरवरी, 2026 से कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद से मुक्त हो गए।

#श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825) तथा श्री श्रीजित के. नारायणन (डीआईएन : 09543968) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, से उनकी अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) के कारण सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप सीएसएल द्वारा उनका नामांकन वापस लिए जाने के कारण, दिनांक 01 जून, 2025 से कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो गए।

^ डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएन : 10221559) तथा श्री षिराज़ वी. पी. (डीआईएन : 11170690) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के नामित निदेशकों के रूप में दिनांक 23 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

बोर्ड की समितियां

27. कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। कंपनी को अन्य वैधानिक समितियों, अर्थात, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की कोई वैधानिक समिति गठित नहीं की गई है।

बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

28. कंपनी, एक सीपीएसई, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट कार्ये मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी वक्तव्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों से छूट दी गई है। इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधानों से भी छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

29. कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य

30. आपके निदेशक कहते हैं कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे; और

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और यह सुनिश्चित किया था कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हों।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

31. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करता हो। इसके अलावा, आपके निदेशक वित्तीय विवरणों के नोट 46 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निर्धारित करता है।

निगमित शासन

32. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगमित शासन पर रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

33. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) कंपनी के मामलों, उद्योग विश्लेषण, व्यवसाय के माहौल, खंड-वार प्रदर्शन, ताकत, अवसरों, बाधाओं, जोखिमों और चिंताओं का अवलोकन प्रदान करती है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई समीक्षा के तहत वर्ष के लिए एमडीएआर, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

34. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुति सुनिश्चित करके कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और परीक्षण के लिए मेसर्स रागा कंसल्टिंग एलएलपी,

सनदी लेखाकार को नियुक्त किया था। उनके आकलन ने पुष्टि की कि ये नियंत्रण कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी इन मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाए रखना और निगरानी करना जारी रखती है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

35. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसरण में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के लिए सचिवीय मानकों को अधिसूचित किया है। कंपनी इनका अनुपालन कर रही है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

36. मेसर्स के. पी. कांचन एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 027635S), सनदी लेखाकार, उडुपी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

37. मेसर्स के. पी.कांचन एंड कंपनी, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 24 अप्रैल, 2026 को वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा

38. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

40. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स (आईसीएसआई यूनिक कोड: P2008KE017900), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

41. मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षकों ने दिनांक 13 मई, 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक II** में संलग्न है। इस रिपोर्ट में कोई भी शर्त, आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

42. मेसर्स शेबिन एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 026506S), सनदी लेखाकार, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने हेतु कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने केलिए सकारात्मक कार्रवाई की स्थिति

43. कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछडे वर्ग (अ.पि.व.)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) केलिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

सतर्कता

44. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी सतर्कता मामला लंबित/निपटाया नहीं गया था।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

45. वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त सभी सूचना का अधिकार अनुरोधों पर कार्रवाई की गई है और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में निर्धारित समयबद्ध तरीके से सूचना प्रदान की गई है।

सतर्कता तंत्र

46. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और उसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है, जिसके अंतर्गत सतर्कता तंत्र की स्थापना अनिवार्य है। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की मुखबिर नीति और धोखाधड़ी निवारण नीति कंपनी पर लागू होती है और उडुपी-सीएसएल के सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरणी

47. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध है ।

लागत लेखापरीक्षा

48. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार लागत अभिलेखों का रखरखाव करती है। मेसर्स बीबीएस एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 00273), लागत लेखाकार, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने हेतु लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को 18 सितंबर, 2025 को आयोजित 41वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

49. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी पहली बार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के समापन के बाद से सीएसआर प्रावधानों के दायरे में आई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 रुपए की सीएसआर बाध्यता थी। सीएसआर दायित्व की मात्रा और सीएसआर गतिविधियों को करने में अपनी नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, पल्ली श्रीनिवास हेगड़े चैरिटेबल ट्रस्ट, उडुपी के माध्यम से कार्यान्वित गांधी शताब्दी सरकारी मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय, मालपे के लिए एक खुले सभागार के निर्माण के लिए सीएसएल को राशि का योगदान दिया।

50. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक III** में रखी गई है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

51. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं है।

धारा 143 के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधडी का विवरण

52. शून्य।

वस्तुगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

53. कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

54. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

 क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;

 ख. किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं प्रदान किया गया है; और

 ग. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित हो, सदस्यता, खरीद या अन्य था अन्यथा के माध्यम से किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं किया गया।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

55. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

निक्षेप

56. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय v के तहत कंपनी ने जनता से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

57. नियामकों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकारण द्वारा कंपनी की चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने और इसके प्रचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और सामग्री आदेश पारित नहीं किए गए थे।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही

58. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी.) के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन दायर नहीं किया गया। हालांकि, वर्ष 2020 में आईबीसी के तहत सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के संबंध में/उससे उत्पन्न कुछ आवेदन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चेन्नई में लंबित हैं। ऐसे आवेदनों के परिणाम कंपनी के व्यावसायिक संचालन को प्रभावित नहीं करते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेधऔर निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

59. कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों का विवरण निर्धारित प्रारूप में नीचे दिया गया है।

(क)	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन

60. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी लागू प्रावधानों का पूरी लगन से पालन किया है।

अन्य सांविधिक प्रकटीकरण

61. निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग नहीं की गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

- लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में अंतर अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का कोई मुद्दा नहीं था;
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को इक्विटी शेयरों (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) का कोई मुद्दा नहीं था;
- कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारियों या ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी के पास कोई योजना या धन का प्रावधान नहीं है;
- किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरणों और/या निदेशकों की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

अभिस्वीकृति

62. निदेशक मंडल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय एवं सीएसएल के अधिकारियों द्वारा कंपनी को निरंतर प्रदान किए गए मार्गदर्शन, सहयोग एवं विश्वास के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए भी अपना आभार अभिलेखित करता है। निदेशक मंडल कंपनी के ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों, विधिक सलाहकारों, परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं तथा उप-ठेकेदारों द्वारा कंपनी की प्रगति में निरंतर प्रदत्त विश्वास, सहयोग एवं योगदान के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों के समर्पण, प्रतिबद्धता एवं अथक प्रयासों की भी सराहना करता है, जिनके सामूहिक योगदान ने वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी अपने सभी हितधारकों के विश्वास एवं सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सतत विकास एवं मूल्य सृजन की अपनी यात्रा में उनके निरंतर सहयोग एवं सहभागिता की अपेक्षा करती है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

अनुलग्नक I

क. ऊर्जा का संरक्षण

(i) वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	**कदम उठाए गए** • मरम्मत संगठन शेड में मौजूदा प्रकाश व्यवस्था जिसमें 32 संख्या में 400 डब्ल्यू सोडियम वाष्प लाइट शामिल हैं, को 16 संख्या में ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइट फिटिंग से बदल दिया गया था। • हंगरकाट्टे यार्ड (सीएस बे) में मौजूदा 400 वाट के 32 सोडियम वाष्प लैंप को एलईडी लाइट फिटिंग से बदल दिया गया। • मौजूदा दो 500 केवीए डीजी सेटों के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर और एक उन्नत ईंधन इंजेक्शन प्रणाली से लैस एक नया 1010 केवीए डीजल जनरेटर (डीजी) स्थापित किया गया। **प्रभाव** उपरोक्त उपायों ने बिजली की खपत में कमी, बेहतर रोशनी, कम रखरखाव आवश्यकताओं और बेहतर ईंधन दक्षता के माध्यम से बेहतर ऊर्जा दक्षता में योगदान दिया।
(ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग केलिए उठाए गए कदम	शून्य
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए लगभग 67.40 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	कंपनी ने अपने प्रमुख उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर सिद्ध पोत डिजाइनों और उन्नत प्रणालियों को अपनाकर अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखा। बोल्लार्ड पुल टग्स का निर्माण कनाडा के रॉबर्ट एलन लिमिटेड के अत्याधुनिक डिजाइनों का उपयोग करके किया गया है, जबकि ड्राई कार्गो जलयान कोनोशिप इंटरनेशनल बीवी, नेथरलैंड के सहयोग से विकसित डिजाइनों पर आधारित हैं। कंपनी के ग्रीन टग्स में ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच गठित एक जेवी कंपनी) द्वारा आपूर्ति की गई उन्नत बैटरी प्रणालियों और एबीबी से एकीकृत विद्युत पैकेज शामिल हैं, जो कंपनी के अभिनव, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित पोत निर्माण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने यार्ड में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए, जहां भी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव हो, आयातित भंडार, स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों पर निर्भरता को कम करने और देशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी है।
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ	उन्नत पोत डिजाइनों और आधुनिक तकनीकों को अपनाने से कंपनी को तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पोतों का निर्माण करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, प्रचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और निष्पादन क्षमता मजबूत हुई है। इसके अलावा, यार्ड में शुरू की जा रही परियोजनाओं के लिए जहां भी संभव हो, मेड इन इंडिया उत्पादों का चयन करने से आयात पर निर्भरता कम हुई है और देशी विनिर्माण को समर्थन मिला है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)			
(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	62 टन और 70 टन बोलार्ड पुल टग केलिए मूल डिज़ाइन।	भविष्य के लिए उपयुक्त 3800 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयानों के लिए मूल डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग।	6300 टीडीडब्ल्यू ड्राई कार्गो जलयानों के लिए मूल डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग।
(ख) आयात का वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से लिया गया है	जी हां	जी हां	जी नहीं
(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	अवशोषण का कार्य अंतिम चरण में है।
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	शून्य		

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	2025-26	2024-25
विदेशी मुद्रा में कमाई		
पोत निर्माण से	35,973.39	17,138.70
पोत मरम्मत से	-	-
कुल	**35,973.39**	**17,138.70**
विदेशी मुद्रा में व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	21,316.02	12,960.50
डिज़ाइन एवं दस्तावेज़ीकरण	548.96	1,864.68
सेवा शुल्क एवं अन्य	635.90	462.41
कुल	**22,500.87**	**15,287.59**

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

अनुलग्नक II

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में ,
सभी सदस्य
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
एस सं. 377, पष़माथुर ग्राम
पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

हम, एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, ने उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड **सीआईएन: U27209TN1984GOI010994** (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्यानों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते है कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं;

1. विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
2. औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम एवं नियम;
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
4. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
6. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016;
7. कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
10. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस 1) और आम बैठकों (एसएस 2) से संबंधित सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/रिकॉर्ड पर भरोसा किया है तथा रिपोर्टिंग उसी सीमा तक सीमित है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित है। कंपनी के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे, अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची के मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए तथा उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई भी घटना नहीं हुई:

(i) शेयरों/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिकार/अधिमान्य निर्गम

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी क्रय

(iii) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि

(iv) विदेशी तकनीकी सहयोग

यह रिपोर्ट हमारे सम संख्या दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो **'अनुलग्नक क'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354847

कोच्ची
13 मई 2026

अनुलग्नक 'क'

सेवा में ,
सभी सदस्य
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
एस सं. 377, पष़माथुर ग्राम
पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

इस पत्र के साथ हमारी सम तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, यथायोग्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएँ हमारी रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच प्रक्रियाओं और अनुपालन के परीक्षण के आधार पर सत्यापन तक सीमित थी।

6. अनुपालन पर राय बनाते समय और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने 31 मार्च 2026 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।

7. हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन में माना है, जहाँ भी बहुविध व्याख्याओं की गुंजाइश थी।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354847

कोच्ची
13 मई 2026

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

अनुलग्नक III

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

1. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण

कंपनी सामाजिक रूप से उत्तरदायी और सतत तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा समाज के कल्याण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के समापन के बाद पहली बार कंपनी पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान लागू हुए। ₹10,000 के नाममात्र सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इसकी धारक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापित विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, अपने संपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व की राशि एक पात्र सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को प्रदान की।

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व नाममात्र होने के कारण, कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्धारित सीमा को पूरा नहीं करती थी। अतः, लागू सीमा तक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों की देखरेख निदेशक मंडल द्वारा की गई।

3. कंपनी की वेबसाइट पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति की संरचना, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का विवरण उपलब्ध कराने वाले वेब-लिंक।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता विकास समिति की संरचना	लागू नहीं
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति	https://udupicsl.com/index.php/csr/
निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाएं	https://udupicsl.com/index.php/csr/

4. कंपनी अधिनियम (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का संक्षिप्त विवरण तथा संबंधित वेब-लिंक।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक नहीं था।

5.	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	:	4.85 लाख रुपए
	(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	:	0.10 लाख रुपए
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	:	शून्य
	(घ) वित्तीय वर्ष केलिए समायोजित की जानेवाली राशि, यदि कोई हो	:	शून्य
	(ङ) वित्तीय वर्ष केलिए कुल निगमित सामाजिक [(ख) + (ग) – (घ)]	:	0.10 लाख रुपए

6. (क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं (चालू परियोजनाओं तथा चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं) पर व्यय की गई राशि : 0.10 लाख रुपए

(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय की गई राशि [(क) + (ख) + (ग)] : 0.10 लाख

(ङ) वित्तीय वर्ष केलिए व्यय की गई अथवा अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि:

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित की गई कुल राशि		अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
10,000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	0.10 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	0.10 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित राशि (रुपए में)	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रुपए में)	अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने हेतु शेष राशि (रुपए में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि		
1.	2024-25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
2.	2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
3.	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित या अर्जित की गई है:

◯ जी हां ◉ जी नहीं

जी हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें | लागू नहीं

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

9. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया गया है, तो उसके कारण निर्दिष्ट करें:

लागू नहीं।

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन: 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत

1. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('उडुपी-सीएसएल'/'कंपनी'), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो अपने प्रचालन के सभी पहलुओं में निगमित प्रशासन के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रबंधन अच्छी निगमित शासन प्रथाओं को स्थापित करने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य व्यापार का संचालन करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक जुडाव को बढावा देना है। निगमित शासन पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों केलिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।

निदेशक मंडल

2. भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) उडुपी-सीएसएल के अध्यक्ष होंगे और बोर्ड के अन्य निदेशकों को सीएमडी, सीएसएल द्वारा सीएसएल के पूर्णकालिक निदेशकों और महाप्रबंधक के पद से नीचे के अधिकारियों में से अंशकालिक निदेशक के रूप में पदेन आधार पर नामित किया जाएगा।

3. मार्च 31, 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में पांच गैर- कार्यकारी निदेशक है। कंपनी का एक गैर -कार्यकारी अध्यक्ष है। मार्च 31, 2026 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री जोस वी जे	08444440	अध्यक्ष
2.	डॉ हरिकृष्णन एस	10221559	निदेशक
3.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	09576336	निदेशक
4.	श्री षिराज़ वी पी	11170690	निदेशक
5.	श्रीमती अंजना के आर	09545253	निदेशक

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

 (क) श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) तथा श्री श्रीजीत के. नारायणन (डीआईएन: 09543968) ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, की सेवाओं से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सीएसएल द्वारा उनका नामांकन वापस लिए जाने के कारण, दिनांक 01 जून, 2025 से कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए।

 (ख) डॉ. हरिकृष्णन एस. (डीआईएन: 10221559) तथा श्री षिराज़ वी. पी. (डीआईएन: 11170690) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के नामित निदेशक के रूप में दिनांक 23 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

 (ग) श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, की सेवाओं से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सीएसएल द्वारा उनका निदेशक पद वापस लिए जाने के कारण, दिनांक 01 फरवरी, 2026 से कंपनी के निदेशक तथा अध्यक्ष पद से कार्यमुक्त कर दिया गया।

 (घ) श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) के दिनांक 31 जनवरी, 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440) को दिनांक 01 फरवरी, 2026 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष का कार्यभार भी दिनांक 01 फरवरी, 2026 से ग्रहण किया।

5. श्री जोस वी. जे. (डीआईएन: 08444440) तथा श्रीमती अंजना के. आर. (डीआईएन: 09545253), जिनका निदेशक के रूप में कार्यकाल आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन था तथा जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थीं, उन्हें दिनांक 18 सितंबर, 2025 को आयोजित कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों में उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ।

7. इस प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यरत निदेशकों की रूपरेखा तथा उनके विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन के प्रथम भाग में दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारण किए गए निदेशक पदों तथा समिति पदों का विवरण नीचे 'निदेशक पद एवं समिति पद' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।

8. निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण: शून्य।

बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सात बोर्ड बैठकें आयोजित की गई हैं और दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं रहा। कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 18 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की गई। उक्त बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक							एजीएम
	2025					2026		सितंबर 18, 2025
	अप्रैल 25	जुलाई 22	सितंबर 18	नवंबर 04	दिसंबर 29	जनवरी 22	मार्च 17	
श्री मधु शंकुण्णी नायर#	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां*	जी हां	जी हां	लागू नहीं	जी हां
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री श्रीजित के नारायणन^	जी हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेष गोपालकृष्णन	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्रीमती अंजना के आर	जी हां	जी नहीं	जी हां	जी हां	जी नहीं	जी हां	जी हां	जी हां
डॉ हरिकृष्णन एस$	लागू नहीं	लागू नहीं	जी नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं
श्री षिराज़ वी पी$	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भाग लिया ।

श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, द्वारा उनके निदेशक पद की नामांकन वापसी के फलस्वरूप तथा सीएसएल की सेवाओं से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त होने के कारण, दिनांक 01 फरवरी, 2026 से कंपनी के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हो गए।

^ श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) तथा श्री श्रीजित के. नारायणन (डीआईएन: 09543968) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो कि कंपनी की नियंत्रक कंपनी है, द्वारा उनके नामांकन की वापसी के फलस्वरूप तथा सीएसएल की सेवाओं से अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त होने के कारण, दिनांक 01 जून, 2025 से कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त हो गए।

$ डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएन : 10221559) तथा श्री षिराज़ वी. पी. (डीआईएन : 11170690) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के नामित निदेशकों के रूप में दिनांक 23 जुलाई, 2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया।

निदेशक पद और समिति की स्थिति

10. दिनांक मार्च 31, 2026 को निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/अध्यक्षता पदों की कुल संख्या और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता के पद नीचे दिए गए हैं:

निदेशक का नाम	निदेशक पद की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु शंकुण्णी नायर (दिनांक 31 जनवरी 2026 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	3	3	-	1
श्री बिजोय भास्कर (दिनांक 31 मई 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	-	3	-	-
श्री जोस वी जे*	3	3	-	1
श्री श्रीजित के नारायणन (दिनांक 31 मई 2025 को कार्यकाल समाप्ति की तिथि के अनुसार)	-	3	-	-
डॉ हरिकृष्णन एस	-	3	-	1
श्री राजेष गोपालकृष्णन	-	3	-	1
श्रीमती अंजना के आर	-	2	-	-
श्री षिराज़ वी पी	-	1	-	-

*श्री जोस वी. जे. को 31 जनवरी, 2026 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798) के सेवानिवृत्त होने के उपरांत, 01 फ़रवरी, 2026 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। फलस्वरूप, श्री जोस वी. जे. ने सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, अर्थात उडुपी-सीएसएल तथा हुगली-सीएसएल के अध्यक्ष का भी कार्यभार ग्रहण किया।

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक पद और निदेशक पद शामिल नहीं है।

- सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक संबध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियाँ

11. कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। कंपनी को अन्य सांविधिक समितियों जैसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की कोई सांविधिक समिति गठित नहीं की गई है।

आम बैठक

12. पिछली तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान नीचे दिया गया है :

वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2022-23	सितंबर 19, 2023 11.15 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।	जी नहीं
2023-24	सितंबर 19, 2024 09.15 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।	जी नहीं
2024-25	सितंबर 18, 2025 10.00 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।	जी नहीं

13. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित नहीं की गई है।

14. कंपनी की 42वीं एजीएम सितंबर 15, 2026 को 10.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली है।

आचार संहिता

15. बोर्ड ने निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन केलिए एक आचार संहिता ('संहिता') निर्धारित की है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक मार्च 31, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों को पारिश्रमिक

16. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक/ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हैं, जिन्हें पदेन आधार पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों को कार्य-निष्पादन से जुडे प्रोत्साहन सहित कोई पारिश्रमिक देय नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निदेशकों और कंपनी के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

17. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जो बडे पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संघर्ष कर सकता है या हो सकता है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के खुलासे कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 46 में दिए गए हैं।

कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन

18. कंपनी द्वारा गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं था और कंपनी पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा- निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर, कंपनी के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान कोई दंड/ प्रतिबंध नहीं लगाई गई थी।

मुखबिर नीति

19. कंपनी की एक प्रभावी मुखबिर नीति है, जो हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन जैसे मामलों को प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी द्वारा अपनाई गई मुखबिर और धोखाधडी रोकथाम नीति, कंपनी पर लागू होती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की मुखबिर नीति /सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करती है।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध है। रिपोर्टाधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी को कंपनी के सतर्कता तंत्र तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

20. कंपनी ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां भी लागू हो, निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र अनुलग्नक । में दिया गया है।

वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण ।

21. सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में तहत सितंबर 2020 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में, जहां कहीं लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों का संकलन कर रही है।

लेखा बहियों में डेबिट किए गए व्यय की वस्तुएं, जो व्यवसाय के उद्देश्यों केलिए नहीं है।

22. शून्य

व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन केलिए किए गए हैं।

23. शून्य

प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय का विवरण

24. वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 11.82% (10.78% पू.व.) था। वित्तीय व्यय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय का 1.30% (0.68% पू.व.) था।

परिणामों के संचार का माध्यम

25. चूंकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणाम प्रकाशित करने केलिए कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के समेकित वित्तीय परिणाम (तिमाही/छमाही/वार्षिक), नियंत्रक कंपनी जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को भी ध्यान में रखती है, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध हैं। आगे, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को सीएसएल की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर भी प्रकाशित किया जाता है।

लेखा परीक्षा शर्त

26. सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स के. पी. कांचन एंड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई योग्यता/प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

27. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक/ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हैं, और शिक्षा, उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में बहुत विशाल, विस्तृत और विविध अनुभव रखते हैं। सीएसएल, जहां आवश्यक समझा जाता है, निदेशकों/ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

पत्राचार हेतु पता:

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पहले टेबमा शिपयार्ड्स के नाम से जाना जाता था)
क्रमांक 377, पष्मथुर गांव
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरंतकम तालुक
कांचीपुरम- 603 116
ईमेलः secretary@udupicsl.com
वेबसाइट : www.udupicsl.com

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएनः 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

अनुलग्नक I

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है)

सेवा में
सदस्य
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
क्रमांक 377, पष्मथुर गांव
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरंतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु, भारत – 603116

हमने 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [सीआईएन: U27209TN1984GOI010994]** (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067H000354858

कोच्ची
13 मई 2026

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

दूरंदेशी बयान

1. इस प्रबंधन चर्चा में विवरण और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कंपनी के संचालन के परिणाम, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अंतर्गत दूरंदेशी हो सकते हैं। दूरंदेशी बयान भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सही हैं या उन्हें साकार किया जाएगा। कंपनी किसी भी बाद के घटनाक्रम, सूचना या घटनाओं के आधार पर दूरंदेशी बयानों को सार्वजनिक रूप से संशोधित करने, आशोधित करने या परिशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम बयान में व्यक्त किए गए परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारकों में नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं । वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधान अनुसार है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है। उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('यूसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने विवेकपूर्ण और उचित आधार पर वर्ष केलिए मामलों की स्थिति सहित वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है, ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हों।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ पढा जाना चाहिए और इन बयानों की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां 'हम', 'हमें', 'हमारी', 'कंपनी', 'यूसीएसएल', 'ग्रूप' के सभी संदर्भ उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)और इसकी स्वामित्व कंपनी के संबंध में है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान वैश्विक पोत निर्माण उद्योग ने भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं, विकसित होती आपूर्ति शृंखलाओं तथा वैश्विक समुद्री व्यापार के बदलते स्वरूप से प्रभावित चुनौतीपूर्ण, किंतु लचीले वातावरण में कार्य किया। इन घटनाक्रमों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन मार्गों, मालभाड़ा बाजारों तथा समुद्री लॉजिस्टिक्स पर पड़ा, साथ ही जहाजी बेड़े के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता को और अधिक बल मिला। पर्यावरण संबंधी विनियमों के निरंतर कठोर होते जाने तथा निम्न-कार्बन समुद्री नौवहन की दिशा में वैश्विक परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पोत स्वामियों ने प्रचालन दक्षता में वृद्धि करने तथा निरंतर विकसित हो रही कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी रूप से उन्नत, ईंधन-कुशल तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप जहाजों में निवेश करना जारी रखा।

4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 3.0% रहने का अनुमान है, जो निरंतर बनी हुई भू-राजनीतिक एवं व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार को दर्शाती है। यद्यपि व्यापार नीति संबंधी उपायों, क्षेत्रीय संघर्षों तथा आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार की वृद्धि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रहने की संभावना है, तथापि समुद्री क्षेत्र के दीर्घकालिक आधारभूत कारक जहाजी बेड़े के आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन में निवेश को निरंतर समर्थन प्रदान करते रहेंगे।

5. चीन, दक्षिण कोरिया एवं जापान ने वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में अपना प्रभुत्व बनाए रखा तथा वाणिज्यिक पोत निर्माण से संबंधित अधिकांश आदेशों एवं पोतों की आपूर्ति में इन देशों का प्रमुख योगदान रहा। इस अवधि में कंटेनर जलयान, एलएनजी वाहक, द्वि-ईंधन चालित जलयान, अपतटीय सहायता जलयान तथा अन्य विशिष्ट पोतों की मांग सुदृढ़ बनी रही। साथ ही, एलएनजी, मेथनॉल, अमोनिया-रेडी तथा अन्य निम्न-उत्सर्जन पोत डिजाइनों सहित वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों में बढ़ते निवेश ने हरित एवं अधिक टिकाऊ समुद्री नौवहन की दिशा में उद्योग के निरंतर संक्रमण को प्रतिबिंबित किया।

6. वैश्विक पोत निर्माण आदेश-बही का स्तर सुदृढ़ बना रहा, जिससे प्रमुख शिपयार्डों को व्यवसाय की निरंतरता एवं भविष्य के कार्यों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टता प्राप्त हुई। तथापि, शिपयार्डों की सीमित निर्माण क्षमता, निर्माण लागत में वृद्धि, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा कुशल जनशक्ति की कमी जैसी चुनौतियों का प्रभाव विभिन्न बाजारों में नए निर्माणों की कीमतों तथा उनकी आपूर्ति की समय-सीमा पर निरंतर पड़ता रहा।

7. भविष्य की ओर दृष्टिपात करने पर, वैश्विक पोतनिर्माण उद्योग के दीर्घकालिक परिदृश्य के सकारात्मक बने रहने की अपेक्षा है। इस वृद्धि को जहाजी बेड़े के निरंतर प्रतिस्थापन की मांग, पर्यावरण संबंधी विनियमों के लगातार अधिक कठोर होते जाने, अपतटीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में विस्तार तथा डिजिटल पोत निर्माण प्रौद्योगिकियों, स्वचालन एवं वैकल्पिक ईंधन आधारित प्रणोदन प्रणालियों में निरंतर हो रहे निवेश से समर्थन मिलने की संभावना है। यद्यपि निकट अवधि में भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधाएँ तथा लागत संबंधी दबाव बने रह सकते हैं, तथापि इन संरचनात्मक विकास प्रेरक कारकों से तकनीकी रूप से उन्नत एवं सतत पोत निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

8. भारत एक उभरते हुए समुद्री राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। इसे मजबूत आर्थिक विकास, पत्तन अवसंरचना के विस्तार, तटीय एवं अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में वृद्धि तथा समुद्री क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रदान किए जा रहे नीतिगत समर्थन से बल मिला है। देश के बढ़ते व्यापारिक परिमाण, कार्यनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा आत्मनिर्भरता पर बढ़ते ध्यान ने देशी पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं।

9. भारतीय पोत निर्माण उद्योग में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, दोनों के शिपयार्ड सम्मिलित हैं, जो वाणिज्यिक, अपतटीय, रक्षा तथा तटीय नौवहन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड जटिल नौसैनिक एवं वाणिज्यिक जलयानों के निर्माण में अपनी कार्यनीतिक भूमिका निभाते रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र के शिपयार्डों ने मालवाहक जलयानों, अपतटीय सहायक जलयानों, टग नौकाओं, गश्ती जलयानों, मत्स्यग्रहण जलयानों तथा अन्य विशिष्ट जलयानों के निर्माण में अपनी क्षमताओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इन शिपयार्डों की संयुक्त क्षमताएँ भारत की स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता तथा तकनीकी दक्षताओं को निरंतर सुदृढ़ बना रही हैं।

10. पारंपरिक बड़े पैमाने के विनिर्माण क्षेत्रों के विपरीत, पोत निर्माण उद्योग एक अनुकूलित , आदेश-आधारित व्यावसायिक मॉडल पर कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक भारत की कुल ऑर्डर बुक 517 जलयानों तक पहुँच गई, जिनकी कुल वहन क्षमता 797.3 हजार थी। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान भारतीय शिपयार्डों ने कुल 65.1 हजार डीडब्ल्यूटी क्षमता वाले 259 पोतों की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की, जो वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में 124.3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाती है।

11. उद्योग में वर्तमान में बेड़े के प्रतिस्थापन, तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अपतटीय ऊर्जा, पत्तन विकास तथा रक्षा आधुनिकीकरण के कारण मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही, स्वच्छ नौवहन की दिशा में वैश्विक परिवर्तन भारतीय शिपयार्डों के लिए ऊर्जा-कुशल तथा वैकल्पिक ईंधन आधारित पोतों, जैसे एलएनजी एवं अन्य कम-उत्सर्जन वाले पोतों के डिजाइन एवं निर्माण में भागीदारी के नए अवसर प्रदान कर रहा है।

12. समुद्री क्षेत्र के कार्यनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के माध्यम से नीतिगत ढाँचे को और सुदृढ़ किया है। इन पहलों का उद्देश्य स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता को बढ़ाना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना तथा भारत को पोत निर्माण के एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने एमआईवी 2030 तथा एमएकेवी 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभास (विकसित भारत संकल्प) एवं नाविक (नील अर्थ विज़न इम्प्लीमेंटेशन सेल्स) ढाँचे की स्थापना की है। सरकार ने वर्ष 2030 तक पोत स्वामित्व एवं पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के शीर्ष 10 देशों में तथा वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित नीतिगत उपायों तथा अवसंरचना विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। भारत के पोत निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ₹ 69,725 करोड़ के व्यापक पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

13. केंद्रीय बजट में साल 2026-27 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को ₹ 3,400 मिलियन रुपए की बजटीय सहायता का प्रस्ताव दिया गया है, जो 2025-26 की संशोधित बजटीय सहायता से 74.36% ज़्यादा है। केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान, पोत निर्माण उद्योग के लिए ₹ 1,950 मिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 30.65% ज़्यादा है। इसके अलावा, सरकार ने ₹ 10,000 मिलियन रुपए के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, 5,150 मिलियन रुपए के खर्च वाली पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना और भारत में पोत निर्माण के लिए क्षमता और काबिलियत बढ़ाने और क्रेडिट रिस्क कवरेज के लिए 2,500 मिलियन रुपए की योजना – पोत निर्माण विकास योजना की घोषणा की है। पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना को बड़े, ग्रीन और खास तरह के जलयानों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और उम्मीद है कि इससे लगभग ₹ 960 बिलियन रुपए की पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना निर्माण गतिविधि होगी, जो मार्च 2026 के बाद मौजूदा नीति की जगह लेगी। उद्योग की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए, योजना को ज़्यादा लचीला बनाया जाएगा, जिससे शिपयार्ड दूसरे केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ लाभों को जोड़ सकेंगे, बदलाव के समय के दौरान पुरानी और नई नीतियों में से चुन सकेंगे और मंज़ूर परियोजनाओं के लिए, जहाँ लागू हो, पिछले समय से लागू होने वाले लाभ उठा सकेंगे। भारतीय पोत परिवहन उद्योग के लिए भारत सरकार की मुख्य नीतिगत पहल नीचे दी गई हैं:

पहल/नीति	विवरण
पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी 2.0)	भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्डों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी 2.0) प्रारंभ की है, जिसके लिए ₹ 24,736 करोड़ का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ से कम लागत वाले पोतों के निर्माण पर 15 प्रतिशत, ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत वाले पोतों के निर्माण पर 20 प्रतिशत तथा कम-से-कम 30 प्रतिशत स्वदेशी मूल्य संवर्धन प्राप्त करने वाले हरित अथवा संकर पोतों के निर्माण पर 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय शिपयार्डों में सेवा-जीवन पूर्ण कर चुके पोतों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ₹ 4,001 करोड़ की पोत विखंडन क्रेडिट नोट योजना भी इस नीति में सम्मिलित की गई है।

पहल/नीति	विवरण
समुद्री विकास कोष (एमडीएफ)	समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) की स्थापना पोत निर्माण क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ₹ 25,000 करोड़ की कुल निधि के साथ की गई है। इस कोष के अंतर्गत ₹ 20,000 करोड़ का समुद्री निवेश कोष तथा ₹ 5,000 करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इस योजना के तहत शिपयार्डों एवं नौवहन कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों पर 3 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
पोत निर्माण विकास योजना (एसडीएस)	पोत निर्माण विकास योजना के अंतर्गत शिपयार्डों के नवस्थापित एवं विद्यमान विस्तार, जोखिम कवरेज तथा क्षमता निर्माण संबंधी घटकों के समर्थन के लिए ₹ 19,989 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ₹ 9,930 करोड़ नवस्थापित क्लस्टरों के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए, ₹ 8,261 करोड़ विद्यमान आधुनिकीकरण के लिए, ₹ 1,443 करोड़ जोखिम कवरेज के लिए तथा ₹ 305 करोड़ कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के लिए आबंटित किए गए हैं।
अवसंरचना का दर्जा एवं मांग समेकन	सितंबर 2025 में भारत सरकार ने बड़े पोत निर्माण परियोजनाओं को अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया, जिससे उन्हें दीर्घावधि एवं कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुँच प्राप्त हो सके। इसी अवधि में तेल एवं गैस क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा भारतीय नौवहन निगम ने आगामी दस वर्षों के दौरान देश में निर्मित किए जाने वाले 112 से अधिक पोतों की मांग का समेकन किया है। इससे भारतीय शिपयार्डों को भावी ऑर्डरों की सुनिश्चित उपलब्धता प्राप्त होगी तथा देशी पोत निर्माण उद्योग को दीर्घकालिक प्रोत्साहन मिलेगा।
लोक खरीद में वरीयता तथा प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (आरओएफआर)	लोक खरीद ढाँचे के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि ₹ 200 करोड़ तक के मूल्य वाले सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी पोतों के क्रय आदेश भारतीय शिपयार्डों को ही दिए जाएँ। इसके अतिरिक्त, प्रथम अस्वीकृति का अधिकार संबंधी संशोधित नीति के अनुसार सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी निविदाओं में क्रमशः भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित तथा भारतीय स्वामित्व वाले पोतों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इससे देशी पोत निर्माण उद्योग की मांग को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।
सागरमाला कार्यक्रम	सागरमाला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ₹ 5.8 ट्रिलियन के कुल निवेश वाली 800 से अधिक परियोजनाएँ सम्मिलित हैं, का उद्देश्य पत्तनों के आधुनिकीकरण, पोत मरम्मत, पोत पुनर्चक्रण तथा तटीय संपर्क को सुदृढ़ करना है। सागरमाला 2.0 के अंतर्गत पोत निर्माण क्लस्टरों तथा पत्तन-संबद्ध औद्योगिक अवसंरचना को शामिल किया गया है, ताकि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाई जा सके तथा तटीय नौवहन पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाया जा सके।
मैरीटाइम इंडिया विशन 2030 (एमआईवी 2030)	पोत निर्माण क्षमता का सृजन, पत्तनों पर पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि तथा देश के कुल देशी माल परिवहन में तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 12–15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरित नौवहन एवं प्रौद्योगिकीय संक्रमण	हरित टग संक्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक प्रमुख पत्तन के लिए कम-से-कम दो हरित टग को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अपनाए जाने हेतु टगों के पाँच मानकीकृत अभिकल्प भी जारी किए गए हैं। हरित सागर दिशानिर्देश, 2023 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारतीय पत्तनों में 60 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा उत्सर्जन तीव्रता में 30 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित करना है। इसके पूरक के रूप में हरित नौका दिशानिर्देश अंतर्देशीय पोतों में स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं, हरित पत्तन एवं नौवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसकी स्थापना द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट के सहयोग से की गई है, हरित नौवहन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी मानकों के विकास पर केंद्रित है।

14. भारत में पोत निर्माण की मांग मुख्यतः रक्षा क्षेत्र से संचालित होती है और आगामी वर्षों में भी इसके निरंतर बने रहने की संभावना है। रक्षा क्षेत्र के पोत निर्माण संबंधी ऑर्डर बुक में 8–9% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे भारतीय पोत निर्माण उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पोत निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र से संबंधित सुधारों से भी भारतीय पोत निर्माण उद्योग के विकास को उल्लेखनीय गति मिलने की संभावना है। ये पहलें वित्तीय सहायता, दीर्घकालिक समुद्री वित्तपोषण तथा अवसंरचना विकास के माध्यम से देश की देशी पोत निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य विदेशी निर्मित पोतों पर निर्भरता कम करना तथा भारतीय पोत निर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप देश की पोत निर्माण क्षमता 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक तथा पोत निर्माण उत्पादन 8.2 मिलियन ग्रॉस टनेज तक पहुँचने की संभावना है। साथ ही, वर्ष 2047 तक 2,500 से अधिक पोतों के निर्माण की भी अपेक्षा की जा रही है। इन सुधारों से लगभग ₹ 4.5 ट्रिलियन के निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिससे भारत में वाणिज्यिक तथा रक्षा, दोनों प्रकार के पोत निर्माण क्षेत्रों के सतत विकास को बल मिलेगा। ये सुधार वर्ष 2030 तक भारत को विश्व का 10वाँ सबसे बड़ा पोत-स्वामी एवं पोत निर्माण राष्ट्र तथा वर्ष 2047 तक 5वाँ सबसे बड़ा पोत-स्वामी एवं पोत निर्माण राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप हैं।

15. भारतीय पोत निर्माण उद्योग का मध्यम से दीर्घकालिक परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। देशी मांग में वृद्धि, समुद्री अवसंरचना में बढ़ते निवेश, रक्षा क्षेत्र में निरंतर खरीद, तटीय एवं अंतर्देशीय जल परिवहन का विस्तार तथा सरकार की सहायक नीतियों से पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत गतिविधियों को गति मिलने की अपेक्षा है। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति संबंधी बाधाएँ, विशेषीकृत एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप पोतों की बढ़ती मांग तथा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण से भारतीय शिपयार्डों के लिए वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, कौशल विकास तथा प्रचालन

उत्कृष्टता में निरंतर निवेश के बल पर भारतीय पोत निर्माण उद्योग देश की समुद्री अर्थव्यवस्था तथा दीर्घकालिक औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरने की सुदृढ़ स्थिति में है।

16. इस अनुकूल औद्योगिक परिदृश्य के बीच, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अपनी स्थापित अवसंरचना, तकनीकी क्षमताओं, अपनी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के सहयोग तथा गुणवत्ता, समयबद्ध निष्पादन और प्रचालन उत्कृष्टता पर निरंतर ध्यान के बल पर देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण बाजारों में उपलब्ध बढ़ते अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने की सुदृढ़ स्थिति में है।

प्रचालन

17. वित्तीय वर्ष 2025-26 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए निरंतर विकास एवं सुदृढ़ प्रचालन निष्पादन का एक और सफल वर्ष रहा। इस अवधि के दौरान कंपनी ने कुल छह जलयानों की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की, जिनमें ओशन स्पार्कल लिमिटेड को 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग तथा नॉर्वे की विल्सन एएसए को 3,800 टीडीडब्ल्यू क्षमता वाले चार फ्यूचर-प्रूफ ड्राई कार्गो पोत शामिल हैं। कंपनी ने अपनी प्रगति पर चल रही परियोजनाओं में भी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक चरण में विल्सन एएसए, नॉर्वे को 3,800 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाले छह फ्यूचर-प्रूफ ड्राई कार्गो पोतों की श्रृंखला के पाँचवें एवं छठे पोत भी सफलतापूर्वक सुपुर्द किए गए। इस प्रतिष्ठित निर्यात आदेश का सफल निष्पादन कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोत निर्माण परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उसकी क्षमता को और सुदृढ़ करता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड को भी 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाला एक टग सफलतापूर्वक सुपुर्द किया।

18. अपनी सिद्ध परियोजना निष्पादन क्षमता के आधार पर कंपनी ने अपनी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ वर्क-शेयर व्यवस्था के अंतर्गत कुल आठ जलयानों के निर्माण हेतु कार्य प्राप्त कर अपने ऑर्डर पाइपलाइन को और सुदृढ़ किया। इनमें पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले दो टग, 60 टन क्षमता वाले दो ग्रीन टग (विद्युत) तथा डेनमार्क की स्विट्ज़र के लिए 70 टन क्षमता वाले चार विद्युत हार्बर एस्कॉर्ट टग शामिल हैं। इन परियोजनाओं के सुचारू एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने कोच्ची में एक समर्पित परियोजना कार्यालय स्थापित किया है, जो वर्क-शेयर व्यवस्था के अंतर्गत निर्माण गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं समन्वय का कार्य कर रहा है।

19. वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक चरण में कंपनी ने ओशन स्पार्कल लिमिटेड से 70 टन बोलार्ड पुल क्षमता वाले चार टगों के निर्माण का नया आदेश भी प्राप्त किया। यह कंपनी के ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों तथा उसकी परियोजना निष्पादन क्षमता और गुणवत्ता मानकों में ग्राहकों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को और सुदृढ़ करता है। इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी के पास ₹ 2,000 करोड़ से अधिक का सुदृढ़ अपूर्ण ऑर्डर बुक उपलब्ध है, जो भविष्य के लिए राजस्व की स्पष्ट दृश्यता प्रदान करने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में कंपनी की सतत विकास यात्रा के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करता है।

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उडुपी-सीएसएल ने पोत निर्माण अनुबंधों के समयबद्ध निष्पादन तथा पोतों की सफल सुपुर्दगी के परिणामस्वरूप उत्कृष्ट वित्तीय निष्पादन दर्ज किया। कंपनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 27,862.12 लाख की तुलना में बढ़कर ₹ 63,021.29 लाख हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष 126.19% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। प्रचालन से राजस्व पिछले वर्ष के ₹ 26,563.60 लाख की तुलना में बढ़कर ₹ 61,811.64 लाख रहा, जो 132.69% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कर-पूर्व लाभ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के ₹ 858.74 लाख की तुलना में बढ़कर ₹ 13,167.79 लाख हो गया। इसी प्रकार, कर-पश्चात लाभ भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹ 262.78 लाख से बढ़कर ₹ 9,338.76 लाख हो गया, जो कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन निष्पादन को दर्शाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के प्रमुख वित्तीय आँकड़े निम्नानुसार हैं:

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष केलिए
(i)	कुल आय	63,021.29	27,862.12
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ/ (हानि)	14,793.72	2,130.68
(iii)	वित्तीय लागत	650.11	183.60
(iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	975.82	1,088.34
(v)	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	13,167.79	858.74
(vi)	कर	3,829.03	595.96
(vii)	कुल लाभ/ (हानि)	9,338.76	262.78
(viii)	निवल मूल्य	20,175.27	17,130.11

प्रस्तावित लाभांश

21. कंपनी की निरंतर विकास एवं सुदृढ़ीकरण की वर्तमान अवस्था, पूंजीगत व्यय तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा भविष्य की विकास योजनाओं, व्यावसायिक प्रचालन एवं वित्तीय सुदृढ़ता के समर्थन हेतु आंतरिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करने का निर्णय लिया है।

खंडवार/उत्पादवार निष्पादन

22. कंपनी मुख्यतः पोत निर्माण के व्यवसाय में संलग्न है। कंपनी का खंडवार कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(₹ लाख रुपए)

विवरण	मार्च 31,2026 को	मार्च 31, 2025 को
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	39,633 49	30,263.01
पोत मरम्मत	-	(7.46)
अनाबंटित	14,980 32	22,316 40
कुल	**54,613.81**	**52,571.95**
खंड देयताएं		
पोत निर्माण	9,762.79	10,459.77
पोत मरम्मत	-	36.88
अनाबंटित	24,675.75	24,945.19
कुल	**34,438.54**	**35,441.84**
खंड राजस्व		
पोत निर्माण	61,789.88	26,563.60
पोत मरम्मत	-	-
अनाबंटित	1,231.41	1,298.52
कुल	**63,021.29**	**27,862.12**
खंड परिणाम		
पोत निर्माण	18,120.38	2,493.68
पोत मरम्मत	-	-
अनाबंटित	(4,952.59)	(1,634.94)
कुल	**13,167.79**	**858.74**

स्वोट

23. कंपनी के पास सुदृढ़ पोत निर्माण अवसंरचना तथा एकीकृत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए हार्बर टग, ऑफशोर सपोर्ट पोत, बहुउद्देशीय सहायता पोत तथा अन्य विशिष्ट श्रेणी के छोटे एवं मध्यम आकार के पोतों का निर्माण किया जा सकता है। वर्षों के दौरान कंपनी ने कुशल एवं समर्पित कार्यबल तथा सुदृढ़ परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के बल पर जटिल पोत निर्माण परियोजनाओं के सफल निष्पादन का उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रतिष्ठित निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक निष्पादन तथा वर्तमान ग्राहकों से प्राप्त पुनरावर्ती आदेश कंपनी की सिद्ध निष्पादन क्षमता, उच्च गुणवत्ता मानकों तथा ग्राहकों के साथ उसके दीर्घकालिक एवं सुदृढ़ संबंधों को रेखांकित करते हैं।

24. भारत की अग्रणी पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत कंपनियों में से एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी निरंतर सीएसएल की तकनीकी विशेषज्ञता, परियोजना निष्पादन अनुभव तथा संस्थागत क्षमताओं का लाभ उठाती रही है, जिससे इसकी प्रचालन दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में निरंतर वृद्धि हुई है। कंपनी द्वारा आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रबंधन प्रणालियों का अनुपालन तथा गुणवत्ता एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय पोत निर्माता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करती है।

25. कंपनी को अभी भी कुछ संरचनात्मक एवं प्रचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी विकास क्षमता को सीमित कर सकती हैं। मालपे स्थित शिपयार्ड में भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण भविष्य में क्षमता विस्तार के अवसर सीमित हो जाते हैं तथा बड़े आकार के पोतों के निर्माण कार्यों को हाथ में लेने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में व्यवसाय के विस्तार तथा विकसित हो रही तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचालन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कुछ पहलों को भी क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होगी।

26. कंपनी का प्रचालन अभी भी काफी हद तक उपठेका श्रमिकों पर निर्भर है, जिसके कारण वह श्रमिकों की उपलब्धता एवं श्रम लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, देश में पोत निर्माण से संबंधित सहायक उद्योग के सीमित विकास के कारण कंपनी को उपकरणों एवं महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता

है। परिणामस्वरूप, प्रापण की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तथा आपूर्ति शृंखला से संबंधित अनिश्चितताओं का जोखिम भी बढ़ जाता है।

27. भारत सरकार द्वारा देशी पोत निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने पर निरंतर दिया जा रहा नीतिगत बल, समुद्री अवसंरचना के विकास तथा हरित नौवहन पहलों पर बढ़ता ध्यान, कंपनी के लिए महत्वपूर्ण विकास अवसर प्रदान करता है। विद्युत एवं हाइब्रिड टग, हार्बर क्राफ्ट, अंतर्देशीय मालवाहक पोत, विशिष्ट पत्तन जलयान तथा अन्य विशिष्ट समुद्री परिसंपत्तियों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत एवं पर्यावरण-अनुकूल पोतों की बढ़ती मांग से भविष्य में कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं को और बल मिलने की अपेक्षा है। कंपनी की सिद्ध परियोजना निष्पादन क्षमता, सुदृढ़ ऑर्डर बुक तथा उसकी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से निरंतर प्राप्त सहयोग, उसे देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उभरते हुए इन अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए सशक्त स्थिति में स्थापित करते हैं।

28. कंपनी ऐसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में कार्यरत है, जिसकी विशेषता तीव्र तकनीकी प्रगति, ग्राहकों की निरंतर बदलती आवश्यकताएँ, श्रम एवं अन्य इनपुट लागतों में वृद्धि तथा कड़े नियामकीय एवं पर्यावरणीय अनुपालन मानक हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण का दबाव, इस्पात एवं अन्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक व्यवधान, परियोजनाओं के निष्पादन एवं लाभप्रदता के लिए निरंतर जोखिम उत्पन्न करते हैं।

29. कंपनी को कुशल समुद्री मानव संसाधन की उपलब्धता के क्षेत्र में भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर बड़े देशी शिपयार्डों से, जिसके कारण अनुभवी कर्मियों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ये कारक, आयातित उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बनी हुई अनिश्चितताओं के साथ मिलकर, परियोजनाओं की समय-सीमा तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कंपनी प्रचालन दक्षता में निरंतर सुधार, प्रौद्योगिकी को अपनाने, विवेकपूर्ण लागत प्रबंधन, कार्यनीतिक क्रय तथा आपूर्ति शृंखला के अनुकूलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किए हुए है।

जोखिम और चिंताए

30. कंपनी पोत निर्माण जैसे चक्रीय उद्योग में कार्यरत है, जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, नौवहन एवं अपतटीय क्षेत्र के विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित होता है। आदेश-आधारित व्यवसाय होने के कारण कंपनी का प्रदर्शन एवं विकास नए आदेश प्राप्त करने, सुदृढ़ ऑर्डर बुक बनाए रखने तथा परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक निष्पादन करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

31. कंपनी पोत निर्माण जैसे चक्रीय उद्योग में कार्यरत है, जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, नौवहन एवं अपतटीय क्षेत्र के विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित होता है। आदेश-आधारित व्यवसाय होने के कारण कंपनी का प्रदर्शन एवं विकास नए आदेश प्राप्त करने, सुदृढ़ ऑर्डर बुक बनाए रखने तथा परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक निष्पादन करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

32. कंपनी उपकरणों की विफलता, मशीनरी में खराबी, अग्नि दुर्घटना तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रचालन जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील है। इन जोखिमों से उत्पन्न प्रचालन व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए कंपनी अपनी अनुरक्षण, सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। यद्यपि प्रमुख प्रचालन जोखिमों के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज उपलब्ध है, तथापि वर्तमान में व्यवसाय अवरोध बीमा की व्यवस्था नहीं है। अतः किसी भी महत्वपूर्ण प्रचालन व्यवधान का परियोजनाओं के निष्पादन, संविदात्मक सुपुर्दगी समय-सीमा तथा कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आंतरिक नियंत्रण

33. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखाधड़ी की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समयबद्ध तैयारी एवं प्रस्तुति के माध्यम से कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ अपनाई हैं। कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए मेसर्स रागा कंसल्टिंग एलएलपी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया था। उनके मूल्यांकन में यह पुष्टि की गई कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उसकी व्यवसायिक गतिविधियों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। कंपनी इन सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निरंतर बनाए रखने एवं उनकी नियमित निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

34. दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 189 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 91 अधिकारी, 38 पर्यवेक्षक तथा 60 कर्मकार शामिल हैं। 91 अधिकारियों में से 6 अधिकारी कंपनी की नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं। कंपनी ने अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत 19 प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कार्यबल को विभिन्न क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

35. कंपनी सतत विकास के सिद्धांत में विश्वास रखती है तथा पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा-कुशल व्यावसायिक प्रथाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी जहाँ भी संभव हो, अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं परिचालन गतिविधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने का निरंतर प्रयास करती है।

36. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल कीं

- मरम्मत आउटफिट शेड में स्थापित 400 वाट क्षमता वाले 32 सोडियम वेपर लाइटों के स्थान पर 16 ऊर्जा-कुशल एलईडी प्रकाश उपकरण स्थापित किए गए।
- हंगारकट्टे यार्ड (सीएस बे) में स्थापित 400 वाट क्षमता वाले सभी 32 सोडियम वेपर लैंपों को एलईडी प्रकाश उपकरणों से प्रतिस्थापित किया गया।
- मौजूदा 500 केवीए क्षमता के दो डीजल जनरेटर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर तथा उन्नत ईंधन इंजेक्शन प्रणाली से युक्त 1010 केवीए क्षमता का नया डीजल जनरेटर स्थापित किया गया।

37. इन उपायों से सामूहिक रूप से ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में कमी, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, अनुरक्षण की आवश्यकता में कमी तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में ईंधन दक्षता एवं प्रचालन विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है।

38. कंपनी ने अपने प्रमुख उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रमाणित पोत डिजाइनों तथा उन्नत प्रणालियों को अपनाकर अपनी तकनीकी क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ किया है। बोलार्ड पुल टग का निर्माण रॉबर्ट एलन लिमिटेड, कनाडा के अत्याधुनिक डिजाइनों के आधार पर किया जाता है, जबकि ड्राई कार्गो पोत कोनोशिप इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड्स के सहयोग से विकसित डिजाइनों पर आधारित हैं। कंपनी के ग्रीन टग में ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एवं एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा गठित कंपनी) द्वारा आपूर्ति की गई उन्नत बैटरी प्रणालियों तथा एबीबी द्वारा प्रदत्त एकीकृत विद्युत पैकेजों का उपयोग किया गया है। यह नवोन्मेषी, सतत एवं प्रौद्योगिकी-आधारित पोत निर्माण समाधानों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने यार्ड में निष्पादित परियोजनाओं के लिए, जहाँ कहीं भी तकनीकी एवं व्यावसायिक दृष्टि से संभव हो, स्वदेशी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान की है। इसका उद्देश्य आयातित सामग्री, स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों पर निर्भरता कम करना तथा देशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

39. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में ₹ 35,973.39 लाख रुपए (पिछले वर्ष – ₹ 17,138.70 लाख रुपए) की आय अर्जित की तथा विदेशी मुद्रा में ₹ 22,500.87 लाख रुपए (पिछले वर्ष – ₹ 15,287.59 लाख) के व्यय किए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

40. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के समापन के पश्चात पहली बार कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों के दायरे में आई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का सीएसआर दायित्व ₹ 10,000 था। सीएसआर दायित्व की सीमित राशि तथा इसकी नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सीएसआर गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के स्थापित अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में उक्त राशि सीएसएल को प्रदान की। इस राशि का उपयोग उडुपी स्थित पल्ली श्रीनिवास हेगड़े चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से गांधी शताब्दी गवर्नमेंट मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल, मालपे के लिए एक खुले सभागार के निर्माण हेतु किया गया।

41. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-III में संलग्न है।

चेतावनी बयान

42. इस 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' में कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, मान्यताओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करने वाले कथन, लागू नियमों और विनियमों के अर्थ में भविष्यदर्शी कथन हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालन में महत्वपूर्ण कारक जो बदलाव ला सकते हैं, उनमें मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियाँ, देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मूल्य स्थितियाँ, सरकारी नीतियाँ और विनियम, क़ानून और अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएनः 08444440

कोच्ची
जुलाई 24, 2026

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के सदस्य

राय

हमने उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण) और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में 'वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए अन्य व्यापक आय (अन्य समग्र आय सहित) और अपने नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा केलिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा केलिए प्रासंगिक है, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बाते हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबोधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 3.11(क) और नोट 41 का संदर्भ लें। ग्राहकों के साथ अनुबंध पर मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय शामिल हैं, जिसमें लेनदेन मूल्य का अनुमान और पूर्ण किए गए निष्पादन दायित्वों के लिए वित्तीय सहायता आबंटन और रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्णता की प्रगति का निर्धारण शामिल है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्णता की प्रगति का पता लगाया जाता है। प्रक्रिया और उसमें निहित धारणाएँ कंपनी के तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित होती हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन का पता लगाने में प्रबंधन का अनुमान भी शामिल होता है।	**हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं;** - हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया। - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व रिकॉर्ड करने और गणना करने के लिए प्रबंधन द्वारा लागू की गई प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण की समझ। - हमने प्रदर्शन दायित्वों के मूल्यांकन और अलग-अलग दायित्वों की पहचान, कार्य की प्रगति के साथ प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए लागत का अनुमान लगाने से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
	अनुबंधों की प्रकृति के कारण, राजस्व मान्यता में पूर्णता की प्रतिशत पद्धति का उपयोग शामिल है, जो निष्पादित कार्य के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, महत्वपूर्ण निर्णय, संविदात्मक दायित्वों की पहचान और आज तक पूर्ण किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त करने के कंपनी के अधिकार, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और परिणामी संशोधित अनुबंध मूल्य शामिल होते हैं। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में आज तक की पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करते हुए समय की अवधि में ग्राहकों को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।	- ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं • प्रत्येक चयन के लिए अनुबंध दस्तावेज़ और समझौते का हिस्सा रहे अन्य दस्तावेज़ प्राप्त किए और उनकी समीक्षा की। • (i) लेनदेन मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्रबंधन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का आकलन करने केलिए अनुबंध में उल्लिखित महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों की पहचान (ii) कार्य निष्पादन दायित्व की पहचान; (iii) कार्य की प्रगति के साथ लागत में परिवर्तन; (iv) लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव और (v) परिवर्तनीय विचार के कारण लेनदेन मूल्य में समायोजन का मूल्यांकन। • महत्वपूर्ण भिन्नताओं की पहचान करने के लिए कंपनी द्वारा अब तक की गई लागतों के अनुमानों के साथ तुलना की गई तथा मूल्यांकन किया गया कि क्या अनुबंध को पूरा करने के लिए शेष लागतों का अनुमान लगाने में उन भिन्नताओं पर उचित रूप से विचार किया गया है। • महत्वपूर्ण सुपुर्दगी की स्थिति के साथ संगति के लिए अनुमान का परीक्षण किया। • अनुबंधों के प्रकार और प्रकृति द्वारा प्रकट राजस्व की उचितता के लिए विश्लेषणात्मक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। • प्रत्यक्ष प्रगति पूर्णता के प्रतिशत के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी और गतिविधि आधारित मूल्यांकन पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई। • भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए खुलासे की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।
2.	आय पर करों से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट 3.13 और आस्थगित कर परिसंपत्तियों (निवल) से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट 8 ख और नोट 9 का संदर्भ लें। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान में शामिल महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय के लिए कंपनी की अपेक्षाओं के आधार पर भविष्य की कर योग्य आय का निर्धारण आवश्यक है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली-योग्यता का आकलन उनकी संरचना के आधार पर युक्तिसंगत एवं पुष्टिकारक साक्ष्यों तथा निश्चितता परीक्षण के आधार पर किया जाता है।	**हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं;** • आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का आकलन करना। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विभिन्न घटकों का विवरण प्राप्त करना और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विवरण प्राप्त करना। • निदेशक मंडल की बैठकों में भविष्य के पूर्वानुमानों को मंजूरी दिए जाने पर पुष्टि प्राप्त करना। • आयकर अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रबंधन निर्धारण का मूल्यांकन करना तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली वस्तुओं पर इसके परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन करना। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के निर्धारण के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन निर्धारण का मूल्यांकन करना। • उस अवधि का आकलन करना जिसके दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध वसूल किया जाएगा। • चालू वर्ष के लिए कंपनियों के वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करना और प्रबंधन के साथ साक्ष्य के संबंध में उनके आधार और मान्यताओं पर चर्चा करना, जिससे यह समर्थन हो सके कि आस्थगित कर परिसंपत्ति को अवशोषित करने के लिए आगामी वर्षों में पर्याप्त कर योग्य आय होगी।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और तत्संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी केलिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और तत्संबंध में हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है और इसलिए आज की तारीख में, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों केलिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार होगा जो भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.), अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित, इसके अधीन संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पढित, सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और उचित दृश्य देता है ।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा केलिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक निदेशक मंडल या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने केलिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख केलिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधडी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं हैं कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधडी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि:

- वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों केलिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय केलिए आधार प्रदान करने केलिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधडी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने केलिए लेखापरीक्षा केलिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने केलिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

मौल्यता वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने केलिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020("आदेश") द्वारा अपेक्षितानुसार, हम ने अनुलग्नक'क'में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के तहत अपेक्षित अनुसार, हमने अपनी रिपोर्ट 'अनुलग्नक ख' में दी गई है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

 क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हैं, और यह हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य केलिए आवश्यक थे।

 ख. हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

 ग. इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

 घ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए।

 ड़. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक जून 5, 2015 द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

 च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता इस रिपोर्ट के **अनुबंध 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

 छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में;

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार है।

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 45 ख देखें ।

ii. कंपनी ने लागू कानूनों या लेखा मानकों के अनुसार, दीर्घकालिक अनुबंधों , जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल हैं, पर संभावित महत्वपूर्ण हानियों केलिए, यदि कोई हो, तो प्रावधान किया है ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों में नोटों के खुलासा किए जाने के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') शामिल है, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों के नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ('निधियन पार्टी') शामिल है, कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी; तथा

(ग) परिस्थितियों में उचित एवं समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपर्युक्त (क) एवं (ख) में वर्णित नियम 11(ई) के उप-खंड (i) एवं (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में कोई राशि घोषित, भुगतान या वितरित नहीं की है और इसलिए इस पहलू पर आगे रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता है।

vi. हमारी जाँच, जिसमें परीक्षण-आधारित जाँच भी सम्मिलित थी, के आधार पर यह पाया गया कि कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लेखा-पुस्तकों के संधारण हेतु ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षण अनुक्रम दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है तथा यह सुविधा सॉफ्टवेयर प्रणाली में अभिलिखित सभी प्रासंगिक लेन-देनों के लिए पूरे वर्ष प्रभावी रूप से संचालित रही। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान ऐसा कोई उदाहरण हमारे संज्ञान में नहीं आया जिससे यह प्रतीत हो कि लेखापरीक्षण अनुक्रम सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो। साथ ही, कंपनी ने अभिलेखों के संरक्षण से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेखापरीक्षण अनुक्रम का संरक्षण किया है।

कृते मेसर्स के. पी. कंचन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 027635S

के. पद्मनाभ कंचन
प्रोपाइटर
सदस्यता सं. : 201382
यूडीआईएन : 26201382LFCRYI8500

स्थान : ब्रह्मवर
दिनांक : 24-04-2026

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) को जारी)

(इसका उल्लेख हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत किया गया है)

हमारी राय में तथा हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा दी गई सूचना और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के आधार पर तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम नीचे दी गई रिपोर्ट देते हैं:

i. (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण , पूंजीगत प्रगतिरत कार्य तथा उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का समुचित संधारण किया है, जिनमें उनकी पूर्ण विवरणिका, मात्रात्मक विवरण तथा अवस्थिति का उल्लेख है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख-संधारण किया है, जिनमें उनकी पूर्ण विवरणिका का उल्लेख है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार कंपनी की संपत्ति और संयंत्र एवं उपकरण का प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारे विचार में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से प्रमाणित होता है, ऐसे सत्यापन में कोई प्रत्यक्ष विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत स्वामित्व विलेखों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्वामित्व विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) वह तुलन पत्र की तारीख तक कंपनी के नाम पर हैं और भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और संपत्ति संयंत्र और उपकरण (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 4 (बी)) के तहत पट्टे पर दिए गए परिसर में संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है, पट्टा समझौते (जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है) कंपनी के नाम पर हैं, जहां कंपनी समझौते में पट्टेदार है। हालांकि जागीर भूमि के स्वामित्व विलेख पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड और टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बने हुए हैं।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया है, और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की व्याप्ति और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। प्रत्यक्ष स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई जो मालसूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को चालू परिसंपत्तियों अर्थात मालसूची और व्यापार प्राप्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों अर्थात मालसूची और व्यापार प्राप्तियों के तिमाही रिटर्न/विवरण ऐसे ऋणदाता बैंकों के साथ दाखिल किए हैं, जो कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

iii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य संस्थाओं को ऋण के रूप में कोई अग्रिम नहीं दिया है, अतः कंपनी आदेश, 2020 के अनुच्छेद 3(iii)(क) से (च) तक के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवेदन करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती।

IV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है, कोई निवेश नहीं किया है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

V. कंपनी ने कोई जमा अथवा ऐसी कोई राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता हो। अतः आदेश के खंड (v) के अंतर्गत प्रतिवेदन करने की अपेक्षा लागू नहीं होती।

VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा संधारित लागत अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है। हमारी प्रथम दृष्टया राय में, निर्धारित लागत अभिलेख तैयार किए गए हैं तथा उनका समुचित संधारण किया गया है। तथापि, हमने इन अभिलेखों की इस उद्देश्य से विस्तृत जांच नहीं की है कि यह निर्धारित किया जा सके कि वे पूर्णतः सही, सटीक एवं संपूर्ण हैं।

VII. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य प्रत्यक्ष वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। तुलन पत्र की तिथि तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपरोक्त वैधानिक बकाया राशि बकाया नहीं थी।

(ख) कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त उपखंड (क) में उल्लिखित वे वैधानिक देय, जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2026 तक जमा नहीं किए गए हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संविधि का नाम	वैधानिक देय राशि की प्रकृति	विवाद की राशि (लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	98.63	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
2	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	114.17	2007-08	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
3	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	235.52	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
4	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	344.77	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
5	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	56.28	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
6	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	187.33	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
7	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	11.02	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
8	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	260.57	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
9	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	389.19	2006-07	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय

क्र. सं.	संविधि का नाम	वैधानिक देय राशि की प्रकृति	विवाद की राशि (लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित	फोरम जहां विवाद लंबित है
10	स्थानीय क्षेत्रों में माल प्रवेश केरल कर अधिनियम	प्रवेश कर	0.45	2006-07	उच्चतम न्यायालय
11	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	48.48	2012-23	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
12	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	4.92	2010-11	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
13	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	23.05	2009-10	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
14	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	72.57	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
15	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	99.54	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
16	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले विवाद में हैं	454.00	2009-10	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
17	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम	वैट	72.72	2008-09	पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर आयुक्त
18	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	94.10	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
19	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	441.72	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
20	कर्नाटक वैट	कर्नाटक वैट	11.91	सितंबर 2017-दिसंबर 2017	सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, एलजीएसटीओ - 280
21	आयकर अधिनियम, 1961	270 क के तहत जुर्माना	21.69	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)

नोट :

1. क्र.सं. -1 से 9 - विवाद की राशि में दिनांक 01/04/2016 से दिनांक 31/03/2025 तक गणना की गई ब्याज शामिल है ।

2. क्र.सं. - 10 से 19 - में उल्लिखित राशि के संबंध में विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी के समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं है क्योंकि आईबीसी के नियमों के संदर्भ में समाधान पेशवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो परिचालन ऋणदाताओं के निर्धारण के अंतर्गत आते हैं । हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04.03.2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने केलिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है ।

VIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बहियों में आय के रूप में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।

IX. (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के प्रारंभ में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण भी नहीं था। तदनुसार, खंड ix (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों

के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों के गिरवी पर ऋण नहीं जुटाया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

X. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

XI. (क) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधडी या कंपनी पर कोई धोखाधडी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है ।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है ।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई भी मुखबिर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(xi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

XII. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं तथा ऐसे लेन-देनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

XIV. (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

XV. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI. हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों और हमें दी गई सूचना के अनुसार, हमारा मत है कि

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं हैं।

(ख) कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का कोई व्यवसाय नहीं किया है ।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अंतर्गत परिभाषित कोर निवेश कंपनी नहीं है।

(घ) समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है।

XVII. हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष में कंपनी को कोई नकद घाटा नहीं हुआ है। कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

XVIII. वर्ष के दौरान, पूर्व वैधानिक लेखा-परीक्षक मेसर्स पाई नायक एंड एसोसिएट्स ने अपने लेखा-परीक्षण दायित्व से त्यागपत्र दे दिया। हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा निवर्तमान लेखा-परीक्षक द्वारा कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष किए गए अभिलेखनों के अनुसार, निवर्तमान लेखा-परीक्षक द्वारा ऐसी कोई समस्या, आपत्ति अथवा चिंता व्यक्त नहीं की गई थी, जिस पर इस प्रतिवेदन में विचार किया जाना आवश्यक हो।

XIX. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय दायित्वों के भुगतान की

अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी ऐसी अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों को, जो तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हैं, चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

XX. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आवश्यक संपूर्ण राशि का व्यय कर दिया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) एवं उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में, अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि अथवा किसी पृथक (विशेष) खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु कोई अव्ययित राशि शेष नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षक की प्रतिवेदन) आदेश, 2020 के खंड 3(xx)(क) एवं 3(xx) (ख) के अंतर्गत प्रतिवेदन देना कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XXI. आदेश का पैराग्राफ 3(xxi) कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के तहत कवर किया गया वित्तीय विवरण एक समेकित वित्तीय विवरण नहीं है।

कृते, मेसर्स के. पी. कंचन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 027635S

के. पद्मनाभ कंचन
प्रोपाइटर
सदस्यता सं. : 201382
यूडीआईएन : 26201382LFCRYI8500

स्थान : ब्रह्मवर
दिनांक: 24-04-2026

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) को जारी)

(इसका उल्लेख हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 में 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट।

क. सामान्य निदेश

(क) कंपनी द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानकों के साथ उनकी संगतता सुनिश्चित करना तथा संबंधित सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल होगा। लेखा-परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू विनियमों के अनुपालन के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी महत्वपूर्ण विचलन अथवा महत्वपूर्ण मिथ्याविवरण , यदि कोई हो, की रिपोर्ट करेगा।

हमने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए निवेशों से संबंधित अभिलेखों एवं प्रकटीकरणों का परीक्षण किया है। प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे सत्यापन हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर, 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारी लाभ दायित्वों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध निवेश उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए कर्मचारी लाभ दायित्वों का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 19 - कर्मचारी लाभ के लागू प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। हमने संबंधित बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदनों, उनसे संबंधित लेखांकन उपचार तथा वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की समीक्षा की है।

चूँकि उचित मूल्यांकन की आवश्यकता वाले कोई महत्वपूर्ण निवेश उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध निवेशों के मूल्यांकन पद्धतियों पर प्रतिवेदन देना लागू नहीं होता है। सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारी लाभ दायित्वों के लेखांकन एवं प्रकटीकरण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याविवरण अथवा महत्वपूर्ण विचलन हमारे संज्ञान में नहीं आया।

(ख) क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण आईटी प्रणाली एवं नियंत्रणों , साथ ही साइबर सुरक्षा की समीक्षा, सीईआरटी-इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षण संगठनों द्वारा न्यूनतम वर्ष में एक बार की गई है? यदि ऐसी समीक्षा के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गई हों, तो क्या उनका उचित रूप से प्रतिवेदन किया गया है? इसके अतिरिक्त, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के संसाधित किए जाने का लेखों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उससे संबंधित वित्तीय प्रभावों , यदि कोई हों, का भी प्रतिवेदन किया जाना चाहिए।

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षण किए गए अभिलेखों के आधार पर, कंपनी के पास एसएपी ईआरपी प्रणाली तथा अन्य एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण की व्यवस्था उपलब्ध है। वित्तीय एवं लेखांकन संबंधी लेन-देन का अधिकांश भाग आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सूचना सुरक्षा अंतराल आकलन तथा आईटी नियंत्रणों एवं साइबर सुरक्षा की समीक्षा कराई गई, जिसमें आईटी गवर्नेंस, सूचना सुरक्षा ढाँचा , अभिगम नियंत्रण , पासवर्ड प्रबंधन , आपूर्तिकर्ता प्रबंधन , घटना प्रबंधन , व्यवसाय निरंतरता , बैकअप प्रक्रियाएँ तथा साइबर सुरक्षा नियंत्रणों सहित विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया।

समीक्षा प्रतिवेदन में सूचना सुरक्षा ढाँचे में कुछ कमियों एवं सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें मुख्य रूप से औपचारिक सूचना सुरक्षा नीतियों का अभाव, कार्यों के पृथक्करण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता, अभिगम नियंत्रण संबंधी प्रलेखन , घटना प्रबंधन प्रक्रियाएँ, बैकअप तंत्र तथा स्वतंत्र सूचना सुरक्षा समीक्षा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता शामिल थी। समग्र सूचना सुरक्षा वातावरण को आईएसओ 27001 की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएँ भी प्रदान की गईं।

हमारे द्वारा संपादित लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं तथा परीक्षण किए गए अभिलेखों के आधार पर, वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली अथवा लेखों की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपूर्ण विसंगति हमारे संज्ञान में नहीं आई। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण का ऐसा कोई महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं पाया गया, जिसका वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता हो।

(ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन एवं उपयोग उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया है? यदि कोई विचलन हो, तो उसके मामलों का विवरण दें।

हमारी राय में, कंपनी की लेखा-पुस्तकों के हमारे परीक्षण तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, केंद्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन एवं उपयोग उनके नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से किया गया है। किसी भी प्रकार का विचलन हमारे संज्ञान में नहीं आया।

(घ) क्या कंपनी ने अपने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या इन जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित पर भी प्रतिवेदन दें - (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है तथा क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षण किए गए अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबंधन समीक्षा प्रक्रियाओं तथा सूचना सुरक्षा अंतराल आकलन के माध्यम से प्रचालन, वित्तीय, अनुपालन एवं सूचना सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है। कंपनी ने संबंधित पक्ष लेन-देन, प्रावधानों, कराधान, कर्मचारी लाभ, वस्तु एवं सेवा कर, आकस्मिक देयताओं तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण सहित प्रमुख वित्तीय प्रतिवेदन क्षेत्रों के लिए नियंत्रण तंत्र एवं मानक संचालन प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं।

कंपनी ने आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा आईएसओ 45001 मानकों के अंतर्गत प्रबंधन प्रणालियाँ भी लागू की हैं तथा आईएसओ 27001 की आवश्यकताओं एवं वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सूचना सुरक्षा नियंत्रणों की समीक्षा कराई है, जिसके अंतर्गत आवश्यक अनुशंसाएँ भी प्रदान की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपनी सूचना सुरक्षा आकलन प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना एवं आईटी से संबंधित परिसंपत्तियों की पहचान की है। तथापि, हमारे सत्यापन हेतु डेटा परिसंपत्तियों के पृथक मूल्यांकन से संबंधित कोई अभिलेख या विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ङ) क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा जहाँ-जहाँ लागू हों, वहाँ सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है?

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षण किए गए अभिलेखों के आधार पर, कंपनी सामान्यतः कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी पर जहाँ-जहाँ लागू हों, वहाँ लोक उद्यम विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीईआरटी-इन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

चूँकि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है, अतः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से संबंधित प्रावधान भी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान उपर्युक्त लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण अननुपालन हमारे संज्ञान में नहीं आया।

ख. उप निदेश

लेखापरीक्षा अवधि केलिए कोई उप निदेश जारी नहीं किया गया था।

कृते मेसर्स के. पी. कंचन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 027635S

के. पद्मनाभ कंचन
प्रोपाइटर
सदस्यता सं.: 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500

स्थान: ब्रह्मवर
दिनांक: 24-04-2026

वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

(31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) को जारी)

(इसका उल्लेख हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 (च) में 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (च) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2026 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी")के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने केलिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रमुख मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने केलिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय केलिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति केलिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन भारतीय लेखा मानक विवरणों के संदर्भ के साथ, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2025 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते मेसर्स के. पी. कंचन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 027635S

के. पद्मनाभ कंचन
प्रोपाइटर
सदस्यता सं.: 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500

स्थान: ब्रह्मवर
दिनांक: 24-04-2026

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने केलिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 24अप्रैल 2026 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ज़रिए किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से और उनके पक्ष में

स्थान: चेन्नई
तिथि: 09 जून 2026

(एस.वेल्लियांगिरी)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, नौवहन के प्रधान निदेशक

दि. मार्च 31, 2026 का तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं.	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (नीचे (ख) के अलावा)	4	9208.46	8948.84
(ख) उपयोग का अधिकार संपत्ति (आरओयू)		675.10	703.26
(ग) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	383.11	537.54
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	73.49	144.34
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	41.06	38.09
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	8	80.51	104.61
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	1965.99	3668.86
(ज) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	10	151.50	105.48
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**12579.22**	**14251.02**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	11	10456.28	11654.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यापार	12	1253.89	78.43
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	13	2129.67	16.37
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोडकर बैंक शेष	14	3031.00	1755.99
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15	3176.40	4614.37
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	16	21987.35	20201.35
कुल चालू परिसंपत्तियां		**42034.59**	**38320.94**
कुल परिसंपत्तियां		**54613.81**	**52571.96**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	10800.00	10800.00
(ख) अन्य इक्विटी	18	9375.27	6330.11
कुल इक्विटी		**20175.27**	**17130.11**
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	19	1500.00	1000.00
(ii) पट्टा देयताएं	20	535.43	594.37
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	-	19.98
(ख) अन्य अप्रचलित देयताएं	22	-	2.36
(ग) प्रावधान	23	121.32	79.45
कुल अप्रचलित देयताएं		**2156.75**	**1696.16**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अल्पावधि उधार	24	3985.62	4844.04
(ii) पट्टा देयताएं	25	114.82	53.88
(iii) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों केलिए कुल बकाया राशि	26	143.73	350.53
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोडकर लेनदारों के कुल बकाया राशि		4816.85	4651.89
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	27	5887.43	2645.79
(ग) अन्य चालू देयताएं	28	16392.66	20471.61
(घ) प्रावधान	29	940.68	727.95
कुल चालू देयताएं		**32281.79**	33745.69
कुल इक्विटी और देयताएं		**54613.81**	**52571.96**
कंपनी का संक्षिप्त विवरण व महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आदि।	1-3		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4-56		

•इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969

शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन -08444440

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक
डीआईएन -10221559

कृते के पी कंचन व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 027635S

सी.ए. के पद्मनाभन कंचन
साझेदार
सदस्यता सं 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500
स्थान: उडुपी
दिनांक: 24-04-2026

दि. मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	ब्योरा	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष	
			31-मार्च -26	31-मार्च -25
I	**आय**			
	प्रचालनों से आय	30	61811.64	26563.60
	अन्य आय	31	1209.65	1298.52
	कुल आय		**63021.29**	**27862.12**
II	**व्यय**			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	32	29307.30	14797.73
	कार्य प्रगति की सूची में परिवर्तन	33	645.23	(456.59)
	उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	34	10530.90	7033.94
	कर्मचारियों लाभ व्यय	35	1849.31	1444.97
	वित्तीय मूल्य	36	650.11	183.60
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्त व्यय	37	975.82	1088.34
	अन्य व्यय	38	5894.83	2911.39
	कुल व्यय		**49853.50**	**27003.38**
III	**विशेष मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (I-II)**		**13167.79**	**858.74**
IV	**विशेष मद**		**-**	**-**
V	**कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III+IV)**		**13167.79**	**858.74**
VI	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	8	-	-
	(2) आस्थगित कर	9	3829.03	595.96
VII	**वर्ष का लाभ/ (हानि) (V-VI)**		**9338.76**	**262.78**
VIII	**अन्य ब्योरेदार आय**			
	(क) मदों को लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे			
	i) नकदी प्रवाह हेजिंग उपकरणों पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(8417.99)	831.61
	ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		2118.64	(209.30)
	(ख) मदों को लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नही किया जाएगा			
	i) निर्धारित कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन		(29.85)	(50.13)
	ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा ।		7.51	12.62
	वर्ष केलिए अन्य ब्योरेदार आय		**(6321.69)**	**584.80**
IX	**वर्ष केलिए कुल ब्योरेदार आय**		**3017.07**	**847.58**
X	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10)**		**10800.00**	**10800.00**
XI	**प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर (पूर्ण प्रदत्त)**	40		
	(1) मूल (₹ में)		8.65	0.24
	(2) तनुकृत (₹ में)		8.65	0.24
	कंपनी का संक्षिप्त विवरण व महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आदि।	1-3		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4-56		

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969

शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन -08444440

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक
डीआईएन -10221559

कृते के पी कंचन व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 027635S

सी.ए. के पद्मनाभन कंचन
साझेदार
सदस्यता सं 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500
स्थान: उडुपी
दिनांक: 24-04-2026

दिनांक मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2025 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुन: घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक मार्च 31, 2026 को
10,800.00	-	-	-	10,800.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुन: घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक मार्च 31, 2025 को
10,800.00	-	-	-	10,800.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

	आरक्षण व अधिशेष			अन्य व्यापक आय	
	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	ऋणपत्र विमोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह हेडज का प्रभावी हिस्सा	कुल
अप्रैल 01,2025 को शेष	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुन: घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-
भूमि संपत्ति का परिवर्धन	28.09	-	-	-	28.09
वर्ष केलिए लाभ	-	9338.76	-	-	9338.76
वर्ष केलिए अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-	(22.34)	-	(6299.35)	(6321.69)
वर्ष केलिए कुल व्यापक आय	**7389.79**	**7238.00**	**100.00**	**(5352.52)**	**9375.27**
लाभांश	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2026 को शेष	**7389.79**	**7238.00**	**100.00**	**(5352.52)**	**9375.27**

दिनांक मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

	आरक्षण व अधिशेष			अन्य व्यापक आय	
	सामान्य आरक्षण	नकदी प्रवाह हेडज का प्रभावी हिस्सा	ऋणपत्र विमोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह हेडज का प्रभावी हिस्सा	कुल
अप्रैल 01,2024 को शेष	7361.70	(2303.69)	100.00	324.52	5482.53
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-
वर्ष केलिए लाभ	-	262.78	-	622.31	885.09
वर्ष केलिए अन्य व्यापक आय	-	(37.51)	-	-	(37.51)
वर्ष केलिए कुल व्यापक आय	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**
लाभांश	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2025 को शेष	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**

ऋणपत्र मोचन आरक्षित निधि: वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के साथ कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18(7) के अनुसार कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य के 10ऽ पर ऋणपत्र मोचन आरक्षित निधि बनाया है, जो नवंबर, 2028 में परिपक्व होगा।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4-56

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969

शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन -08444440

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक
डीआईएन -10221559

कृते के पी कंचन व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 027635S

सी.ए. के पद्मनाभन कंचन
साझेदार
सदस्यता सं 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500
स्थान: उडुपी
दिनांक: 24-04-2026

दि. मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	13167.79	858.74
समायोजनः		
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	975.82	1088.34
वित्त लागत	650.11	183.60
बैंक जमे से ब्याज आय	(91.98)	(211.89)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/लाभ (निवल)	1128.99	(282.16)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर अवास्तविक हानि/लाभ (निवल)	(1703.61)	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ)/हानि	811.81	(52.85)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	**14938.93**	**1583.78**
कार्यशील पूंजी में चलनः		
मालसूचियों में (वृद्धि)/घटती	1198.15	(5747.41)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और संपत्तियों में (वृद्धि)/ घटती	(2946.64)	(15238.34)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	(6137.43)	15103.98
	7053.01	**(4297.99)**
आयकर (प्रदत्त)/वापसी (निवल)	24.10	(31.05)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	**7077.11**	**(4329.04)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(1108.30)	(1346.88)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	154.43	258.21
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों से बिक्री आय	-	-
सावधी जमे में कमी / (वृद्धि)	(1275.01)	(1055.05)
बैंक जमे पर प्राप्त ब्याज	91.98	211.89
प्राप्त किराया	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	**(2136.90)**	**(1931.83)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/(हानि)	(811.81)	52.85
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ /(हानि)	(1128.99)	282.16
कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान	(858.42)	4344.04
कार्यशील पूंजी ऋण की प्राप्ति	500.00	-
सही आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त आय	-	-
वित्त लागत (अर्थात् भुगतान किया गया किराया) के साथ पट्टे की देयता का पुनर्भुगतान	-	(57.82)
वित्त लागत	(527.69)	(121.21)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	**(2826.91)**	**4500.02**

दि. मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष केलिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	2113.30	(1760.85)
अवधि/ वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	16.37	1777.21
अवधि/ वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	2129.67	16.37
रोकड और रोकड तुल्यांक के घटक (नोट 13 का संदर्भ लें)		
हाथ में रोकड	-	-
बैंकों में शेष	2129.67	16.37
कुल रोकड और रोकड तुल्यांक	2129.67	16.37

I. इंड एएस 7 के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि से रोकड प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

II. नकद और नकद समतुल्य में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा, आरक्षित जमा और मार्जिन रोकड के रूप में रखे गए जमा शामिल नहीं हैं।

III. नकदी प्रवाह विवरण (अर्थात वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह) से संबंधित अतिरिक्त जानकारियों के लिए नोट 51ए देखें।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4-56

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969

शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
अध्यक्ष
डीआईएन -08444440

डॉ. हरिकृष्णन एस
निदेशक
डीआईएन -10221559

कृते के पी कंचन व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 027635S

सी.ए. के पद्मनाभन कंचन
साझेदार
सदस्यता सं 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500
स्थान: उडुपी
दिनांक: 24-04-2026

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों केलिए वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नौसेना केलिए युद्धपोत के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी दिनांक जुलाई 09, 1984 को स्थापित किया गया था। यूसीएसएल को 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था, जो 'टेबमा इंजीनियरिंग लिमिटेड' के रूप में सार्वजनिक हो गया और बाद में इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया। सितंबर 2020 में कंपनी को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के ज़रिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) एक सीपीएसई, जो कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में है, द्वारा अधिग्रहित किया गया था। परिणामतः 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम बदलकर 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' कर दिया गया।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम, पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम - 603 116 पर स्थित है। यूसीएसएल के दो यार्ड हैं, एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट - तमिलनाडु में है। इसकी हैंगरकट्टा (माल्पे यार्ड लगभग 20 कि.मी.) में एक प्रमुख निर्माण इकाई है। कंपनी पोत निर्माण उद्योग में अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों केलिए जानी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और दिनांक 24 अप्रैल 2026 को जारी करने केलिए प्राधिकृत किए गए, जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और शेयरधारकों की अंतिम स्वीकृति के अधीन हैं।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण का आधार

2.1 भारतीय लेखा मानक विवरण का अनुपालन

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को समय-समय पर और अन्य लेखा सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं उसके अनुसार संशोधित किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग II में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

2.2. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को निकटतम लाखों (दो दशमलव तक पूर्णांकित) में पूर्णांकित किया जाता है जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमत है, सिवाय जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2.3. माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों, पीपीई और आरओयू परिसंपत्तियां, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने केलिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग केलिए अभिप्रेत है;

iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने केलिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;

vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने केलिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी केलिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों केलिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानो मे परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / वास्तविक होते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों य देयताओं का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान केलिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमिति नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य केलिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

मुकदमेबाजी

समय-समय पर, कंपनी कानूनी कार्यवाही के अधीन होती है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चतताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी केलिए प्रावधान तब किया जाता है जब यह माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाने की देयता का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। मुकदमों केलिए प्रावधान की प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए संशोधन किए जाते हैं।

उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाज़ार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को हस्तांतरित करने केलिए भुगतान किया जाएगा।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट को देखने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों केलिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) है।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देयता केलिए स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता केलिए अप्रमाणित इनपुट हैं जो अवलोकनीय संबंधित बाज़ार विवरण या बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी की धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने केलिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं। इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी। प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान केलिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

आउटपुट विधि के तहत आज तक किए गए कार्य को मापकर या पूर्ण किए गए प्रदर्शन का सर्वेक्षण करके समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है। इस विधि के तहत प्रत्येक अनुबंध में आज तक पूर्ण किए गए कार्य राजस्व को मापने और पहचानने का आधार हैं। रिपोर्टिंग तिथि तक तकनीकी प्रगति के आधार पर प्रत्येक परियोजना टीम द्वारा मात्रा की गणना की जाती है। मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित अनुबंधों में निर्धारित विचार के अनुरूप आज तक पूर्ण/मापे गए कार्यों के मूल्य को दर्शाता है।

अनुबंधों के अपूर्ण हिस्से पर अनुमानित हानि, यदि कोई हो, केलिए प्रावधान उस अवधि में प्रदान किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित अनुबंध अनुमानों के आधार ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.6 लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त होनेवाले वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अवधि केलिए सभी लेखांकन नीतियां को लगातार लागू किया है, सिवाय इसके कि:

- जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या
- किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन केलिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

(देखें "नोट संख्या 2.6 - लेखांकन नीतियों में परिवर्तन")

कंपनी इस नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां प्रस्तुत करती है, जिन्हें इन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत संदर्भित प्रासंगिक नोटों में प्रस्तुत और प्रकट की गई जानकारी के साथ पढा जाना चाहिए और उन्हें, "महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना" माना जाना चाहिए।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और मापन :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाया जाता है। 01 अप्रैल 2019 यानी कंपनी के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को विद्यमान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए, उस तिथि पर मानी गई लागत यानी वहन राशि पर वहन किया गया।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं(प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

जब स्पेयर भाग संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं, तो उन्हें पूंजीकृत किया जाता है, अर्थात् जब कंपनी इनका उपयोग 12 महीने से अधिक की अवधि केलिए करने का इरादा रखती है और जिसका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के संबंध में किया जा सकता है और जिसका उपयोग अनियमित होने की उम्मीद है, तो उन्हें स्पेयर पार्ट्स या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के मुख्य मद के उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है, जो भी कम हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखे के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय :

आगामी लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मदों की लागत महत्वपूर्ण है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अगोचर संपत्ति:

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग केलिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (किसी परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य ('सीडब्ल्यूआईपी') के अंतर्गत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास केलिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रुप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग केलिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न प्रक्रिया : आंतरिक रूप से उत्पन्न वेल्ड प्रक्रिया की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और तीन वर्षों की अवधि मं सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

01 अप्रैल 2019 को विद्यमान अमूर्त परिसंपत्तियों केलिए, अर्थात् कंपनी के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि, उस तिथि के अनुसार मानी गई लागत अर्थात् वहन राशि पर वहन किया गया।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

3.4 पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन कर लेती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। यानी, अगर अनुबंध में किसी पहचानी गई संपत्ति के इस्तेमाल को कुछ समय केलिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो बदले में कुछ रकम दी जाती है।

कंपनी की पट्टा परिसंपत्ति श्रेणियों में मुख्य रूप से भूमि और इमारतों के पट्टे शामिल हैं।

एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे की शुरुआत की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं केलिए एक पट्टा दायित्व और संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति को मान्यता देती है जिसमें वह एक पट्टेदार है, बारह महीने की अवधिवाले पट्टों को छोडकर या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों केलिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर मे बदलाव। जब पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है, तो उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ-हानि विवरण मे दर्ज किया जाता है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुनः माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

कंपनी तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत करती है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रूप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे केलिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यह्रास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

* पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास से हटा दिया जाता है।

* प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित जीवन के समान ही है, सिवाय कुछ प्रकार के भवनों और उपकरणों के, जिनमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का अनुमान अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित जीवन से भिन्न लगाया गया है।

* सकल ब्लॉक में वृद्धि/कटौती पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे जोड की तिथि से लेकर ऐसे हटाव की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यह्रास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों केलिए, उपयोगी जीवन का निर्धारण डबल पारी के आधार पर किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अंतर्गत शामिल किए गए प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है क्योंकि ये परिसंपत्तियां अभी उपयोग केलिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि कोई हानि होती है तो उनका परीक्षण किया जाता है।

3.6 माल सूची

क) कच्चे माल, घटकों, भंडार और स्पेयर, ढीले उपकरणों का मूल्यांकन भारित और औसत लागत पद्धति पर किया जाता है। जब उनका उपयोग परियोजना केलिए किया जाना हो, तो मूल्यांकन परियोजना विशिष्ट भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है। पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(ख) कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

मालसूची की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागत, सामान्य प्रचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवरहेड का अनुपात और उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होनेवाली अन्य लागत शामिल होती है। भारित औसत विधि पर स्टील प्लेट, प्रोफाइल, उपकरण और अन्य कच्चे माल और स्टोर एवं स्पेयर की लागत शामिल है। कार्य-प्रगति और तैयारित माल की लागत अवशोषण लागत विधि पर निर्धारित की जाती है।

3.7 वित्तीय साधन

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने केलिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने केलिए और वितीतय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां(एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण केलिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर क्षति हानि के मापन और पहचान केलिए अपेक्षित ऋण हानि मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्तियां और बैंक तुलन पत्र।

ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

ग) भारतीय लेख मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्तियां

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों केलिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने केलिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के शुद्ध रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ग्रुप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक अंतरित कर दिया है, या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो अंतरित किया है और न ही पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता को रद्द करने और नई देनदारी एक की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने केलिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने केलिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

व्युत्पन्न उपकरण और हेड्ज लेखांकन

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने केलिए क्रमशः वायदा मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों को शुरू में उस तिथि पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। व्युत्पन्न के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों केलिए लेखांकन, व्युत्पन्न को हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित या गैर नामित करने पर निर्भर करता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तो व्युत्पन्न को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में और जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है तो वित्तीय देनदारियों के रूप में रखा जाता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

व्युत्पन्न जो हेड्ज इंस्ट्रुमेंट के रूप में नामित किया गया है

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग केलिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध करती है। कंपनी आम तौर पर पूरे वायदा अनुबंध को हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के रूप में नामित करती है। ये हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं। हेज संबंध की शुरुआत में, कंपनी औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेज़ करती है, जिस पर कंपनी हेज लेखांकन और हेज करने केलिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और कार्यनीति लागू करना चाहती है। ऐसे हेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होनेवाले परिवर्तनों को ऑफसेट करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने केलिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रहा है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

नामित हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि शीर्ष के तहत संचित किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः व्युत्पन्न पर लाभ या व्युत्पन्न पर हानि के रूप में शामिल किया जाता है। अन्य व्यापक आय में पहले पहचानी गई और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में संचित राशियों को उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज मद के समान लाइन मद में या आधार समायोजन के रूप में माना जाता है यदि हेज पुर्वानुमानित लेनदेन के परिणामस्वरूप बाद में गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय देयता की पहचान की होती है। जब पुर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रहती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

हेज लेखांकन तब बंद कर दिया जाता है जब हेजिंग उपकरण की समयसीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या प्रतिस्थापन या रॉलओवर (हेजिंग कार्यनीति के भाग के रूप में) के बिना प्रयोग किया जाता है, या यदि हेज के रूप में उसका पदनाम रद्द कर दिया जाता है, या जब हेज अब हेज लेखांकन मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

3.7 क. वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां और मालसूची आदि की हानि का आकलन करती है। यदि आंतरिक और बाह्य कारकों के आधार पर परिस्थितियों में होनेवाले परिवर्तन या घटनाएं यह संकेत देती हैं कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूल नहीं किया जा सकता है, तो खाते में नुकसान और वसूलने योग्य/वसूली योग्य राशि का हिसाब तदनुसार लगाया जाता है। वसूली योग्य/वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है।

3.8 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि केलिए की जाती है।

3.9 अनुबंध देयताएं

जहां ग्रूप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने केलिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने केलिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस प्रकार के प्रावधानों में शामिल वारंटी दायित्वों को अलग से निष्पादन दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि ग्राहक के पास वारंटी

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

को अलग से अनुबंधित करने का विकल्प न हो, इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्यता दी जाती है। इन प्रावधानों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप परिचालन निर्माण परियोजनाओं के चक्र से संबंधित है।

दिए गए पोतों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे केलिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोतों केलिए गांरटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रूप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आसस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रूप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तत्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तत्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.11 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् लेनदेन मूल्य, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है)।

प्रथमतः राजस्व मान्यता प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुबंधों की पहचान तथा उनमें निहित निष्पादन दायित्वों का तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है।

पोत निर्माण और/या पोत मरम्मत खंडों में प्रत्येक पोत केलिए एक एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एकीकरण और अनुकूलन का उच्च स्तर एक संयुक्त आउटपुट बनाता है, जिसे समय के साथ ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ राजस्व की पहचान करने केलिए अनुबंध के आरंभ में पूर्णता की प्रगति को मापने केलिए उपयुक्त विधि का चयन करती है, और संबंधित खंडों और /या उस पर किए गए कार्यों के तहत समान प्रदर्शन दायित्वों केलिए लगातार लागू होती है।

समय के साथ संतुष्ट किए गए निष्पादन दायित्व केलिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है।

कंपनी द्वारा किए गए पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों केलिए प्रदर्शन दायित्वों को एक समय बिंदु पर नहीं बल्कि समय के साथ पूरा किया जाता है, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन कंपनी केलिए वैकल्पिक उपयोग के साथ किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और कंपनी के पास आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन केलिए भुगतान लागू करने योग्य अधिकार है:

निरंतर रखरखाव सहायता / आवर्ती और नियमित सेवाओं से संबंधित पोत मरम्मत अनुबंधों के मामले में, कंपनी ने समय-व्यतीत आउटपुट विधि को चुना, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि तक बीते समय के आधार पर प्रगति को मापना, जो माल और /या सेवाओं के बदले में प्रतिफल की पात्रता के अधीन निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

कंपनी के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई पद्धति में निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने को निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतन किया जाएगा।

किसी अनुबंध के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जहां कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है और कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागतों को वसूल करने की उम्मीद करती है, राजस्व को केवल उस लागत की सीमा तक ही मान्यता दी जाएगी, जब तक कि वह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकती है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

कंपनी आम तौर पर अतिरिक्त कार्य से किसी भी राजस्व को तब तक मान्यता नहीं देती है जब तक कि ग्राहक द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है। जब कार्य के दायरे को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन राजस्व पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना बाकी है, तो परिवर्तनीय विचार आवश्यकता (जैसा कि नीचे बताया गया है) लागू होगी। इसमें उस राशि में राजस्व को मान्यता देना शामिल है जिसे उलटने की संभावना नहीं है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

बेस एवं डिपो स्पेयर्स की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहक से माल की प्राप्ति के प्रमाण पर समय पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर की जाती है।

राजस्व मान्यता के विपरीत, ग्राहक को बिल की गई राशि अनुबंध के तहत प्राप्त विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित होती है और ग्राहक द्वारा प्रगति बिलिंग प्रमाणपत्र के रूप में संदर्भित अनुबंध दस्तावेज़ के माध्यम से इसकी पावती पर आधारित होती है। इसलिए किसी दिए गए वर्ष केलिए राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां आवश्यक रूप से ग्राहक को बिल की गई या प्रमाणित की गई राशियों से मेल नहीं खाती हैं। जिन अनुबंधों में मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से अधिक है, उनके लिए अंतर को अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जबकि जिन अनुबंधों में मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से कम है, उनके लिए अंतर को अन्य चालू देयताओं के तहत अनुबंध देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

स्टॉक मद और स्क्रैप की संबंधित बिक्री के साथ अन्य परिचालन राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है और ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुडी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि केलिए व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी व्यय के रूप में पहचान करती है, संबंधित लागत जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को उन खर्चों के समवर्ती लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिनसे इस तरह के अनुदान संबंधित हैं/शामिल करने का इरादा है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्च या नुकसान के मुआवज़े के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हैं, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय सहायता को व्यय/लागत के अनुपात में एक निश्चित समयावधि में मान्यता दी जाती है तथा इसे अन्य परिचालन राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से हुए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्य होते हैं।

ग. अन्य आय

i) परिसमापन नुकसान और अग्रिमों पर ब्याज

(क) दिए गए अग्रिमों पर ब्याज और (ख) परिसमाप्त नुकसान पर कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां आरोपित राशि अनुबंध की अप्रत्याशित स्थिति के संबंध में निर्णयों पर निर्भर करती है। इनका हिसाब अनुबंधों के पूरा होने और/या अंतिम निर्णय लेने पर लिया जाता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लंबी अवधि के पूंजीगत कार्यों के निष्पादन केलिए किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर निष्पादन केलिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने केलिए सेवा प्रदाता को ब्याज युक्त मोबिलाइज़ेशन अग्रिम देने का प्रावधान है, मोबिलाइज़ेशन अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

ii) बीमा दावों केलिए लेखांकन

(क) वारंटी/निर्माता जोखिम दावे

पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों केलिए ली गई बीमा पॉलिसियों के तहत वारंटी बीमा पॉलिसियों या दावों के तहत कवर किए गए गारंटी दोषों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को वित्तीय विवरणों में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें सर्वेक्षण पूरा किया गया है और बीमा कंपनी द्वार निपटान की संभावित राशि सूचित किया गया।

(ख) अन्य बीमा पॉलिसियां

अन्य बीमा पॉलिसियों जैसे परिसंपत्ति बीमा, पारगमन बीमा, समुद्री बीमा, नकद बीमा आदि के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के माध्यम से दावों के निपटान पर वित्तीय विवरणों में दावों की पहचान की जाती है।

आय की अन्य मदों का लेखा तब किया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.12 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

रोज़गार पश्चात् लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान केलिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

भविष्य निधि : भविष्य निधि में योगदान (एक निर्धारित योगदान योजना) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। मासिक योगदान के अलावा भविष्य निधि लाभों केलिए कंपनी का कोई दायित्व नही है।

अनुदान निधि : कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए समूह अनुदान नकद संचय योजना में योगदान देती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना : कंपनी एसबीआई फंड से संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान देती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने केलिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3.13 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है।

वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आया या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

कंपनी ने निर्धारित किया है कि अनिश्चित कर उपचारों सहित आयकर से संबंधित ब्याज और दंड, आयकर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के तहत हिसाब में लिया गया है।

चालू कर

वर्तमान कर की गणना वर्ष केलिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य होने की अपेक्षित कर राशि और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किसी भी समायोजन के आधार पर की जाती है। वर्तमान देय या प्राप्य कर की राशि, भुगतान या प्राप्त होने की अपेक्षित कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है, यदि कोई हो। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने केलिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं केलिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने केलिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों औ देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने केलिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.14 परिचालन खंड

परिचालन खंडों को उद्यम के ऐसे घटकों के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिनके लिए अलग-अल वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों के आबंटन और प्रदर्शन के आकलन के तरीके पर निर्णय लेने केलिए नियमित रूप से किया जाता है। कंपनी का मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है।

कंपनी ने व्यवसाय खंडों (उद्योग अभ्यास) को रिपोर्ट करने योग्य खंडों के रूप में पहचाना है। व्यवसाय खंडों में शामिल हैं: 1) पोत निर्माण 2) पोतों/अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत।

खंड राजस्व, खंड व्यय, खंड परिसंपत्तियां और खंड देनदारियों को खंड की परिचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर खंडों में पहचाना गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देनदारियां जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं और उचित आधार पर खंडों को आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें असंबद्ध राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3.15 आसाधरण मदें

आय या व्यय की एक वस्तु जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के निष्पादन की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे एक असाधारण वस्तु के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में और साथ ही प्रभाग II - भारतीय लेखा मानक III पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार प्रकट किया जाता है।

3.16 बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति

समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश दिनांक 4 मार्च 2020 के अनुसार, नीचे उल्लिखित पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड की निम्नलिखित संपत्तियों/मामलों को सीओसी या रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बहिष्कृत वित्तीय संपत्ति के रूप में पहचाना गया है।

1) वैट प्रतिदाय;

2) टग को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास बीमा दावा दायर किया गया;

3) बीमा कंपनी के साथ चोरी और सेंधमारी के लिए बीमा दावा;

4) भारतीय नौसेना से व्यापार प्राप्य; और

5) सब्सिडी दावे की राशि का 50% (पचास प्रतिशत) (यानी, पोत निर्माण वित्त सहायता/सब्सिडी) भारत सरकार से बनती है।

इन मदों का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाएगा।

3.17: विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का लेनदेन, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रभावी विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.18: हाल की घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01.04.2025 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	समायोजन/ (आहरण)	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क) स्वामित्व संपत्तियां										
भूमि -(पूर्ण स्वामित्व)	2,680.32	28.09	-	2,708.41	-	-	-	-	2,708.41	2,680.32
इमारतें	2,493.03	111.10	-	2,604.13	602.53	92.65	-	695.18	1,908.95	1,890.50
प्लांट और उपकरण	5,923.97	575.48	-	6,499.45	3,257.65	585.98	-	3,843.63	2,655.82	2,666.32
फर्नीचर और जुडाव	51.77	21.99	-	73.76	14.14	5.39	-	19.54	54.22	37.63
वाहन	19.51	-	-	19.51	7.19	2.24	-	9.43	10.08	12.32
कार्यालय उपस्कर	75.68	29.54	-	105.22	28.88	18.93	-	47.80	57.42	46.80
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	159.18	17.10	-	176.28	75.92	35.66	-	111.57	64.71	83.26
विद्युत स्थापना / फिट्टिंग	321.44	-	-	321.44	34.08	30.50	-	64.57	256.87	287.36
उप कुल	**11,724.90**	**783.30**	**-**	**12,508.20**	**4,020.39**	**771.35**	**-**	**4,791.72**	**7,716.48**	**7,704.51**
(ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,482.26	352.32	-	2,834.58	1,476.79	90.49	-	1,567.26	1,267.32	1,005.48
स्लिपवे	1,117.99	-	-	1,117.99	879.14	14.20	-	893.33	224.66	238.85
उप कुल	**3,600.25**	**352.32**	**-**	**3,952.57**	**2,355.93**	**104.69**	**-**	**2,460.59**	**1,491.98**	**1,244.33**
कुल (क+ख)	**15,325.15**	**1,135.62**	**-**	**16,460.77**	**6,376.32**	**876.04**	**-**	**7,252.31**	**9,208.46**	**8,948.84**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	767.15	-	-	767.15	63.89	28.16	-	92.05	675.10	703.26
उप कुल	**767.15**	**-**	**-**	**767.15**	**63.89**	**28.16**	**-**	**92.05**	**675.10**	**703.26**
कुल (क+ख+ग)	**16,092.30**	**1,135.62**	**-**	**17,227.92**	**6,440.21**	**904.20**	**-**	**7,344.36**	**9,883.56**	**9,652.10**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31.03.2025 को	01.04.2024 को	दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए	समायोजन/ (आहरण)	31.03.2025 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क) स्वामित्व संपत्तियां										
भूमि -(पूर्ण स्वामित्व)	2,680.32	-	-	2,680.32	-	-	-	-	2,680.32	2,680.32
इमारतें	2,259.46	233.57	-	2,493.03	488.61	113.92	-	602.53	1,890.50	1,770.85
प्लांट और उपकरण	5,257.76	666.21	-	5,923.97	2,498.16	759.49	-	3,257.65	2,666.32	2,759.60
फर्नीचर और जुडाव	37.54	14.23	-	51.77	10.98	3.16	-	14.14	37.63	26.56
वाहन	7.33	12.18	-	19.51	4.81	2.38	-	7.19	12.32	2.52
कार्यालय उपस्कर	48.93	26.75	-	75.68	17.39	11.49	-	28.88	46.80	31.54
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	114.05	45.13	-	159.18	44.61	31.31	-	75.92	83.26	69.44
विद्युत स्थापना / फिट्टिंग	132.97	188.47	-	321.44	16.52	17.56	-	34.08	287.36	116.45
उप कुल	**10,538.36**	**1,186.54**	**-**	**11,724.90**	**3,081.08**	**939.31**	**-**	**4,020.39**	**7,704.51**	**7,457.28**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31.03.2025 को	01.04.2024 को	दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए	समायोजन/ (आहरण)	31.03.2025 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
(ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,458.21	24.05	-	2,482.26	1,429.23	47.56	-	1,476.79	1,005.48	1,028.98
स्लिपवे	1,117.99	-	-	1,117.99	864.94	14.20	-	879.14	238.85	253.05
उप कुल	**3,576.20**	**24.05**	**-**	**3,600.25**	**2,294.17**	**61.76**	**-**	**2,355.93**	**1,244.33**	**1,282.03**
कुल (क+ख)	**14,114.56**	**1,210.59**	**-**	**15,325.15**	**5,375.25**	**1,001.07**	**-**	**6,376.32**	**8,948.84**	**8,739.31**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	767.15	-	-	767.15	35.73	28.16	-	63.89	703.26	731.42
उप कुल	**767.15**	**-**	**-**	**767.15**	**35.73**	**28.16**	**-**	**63.89**	**703.26**	**731.42**
कुल (क+ख+ग)	**14,881.71**	**1,210.59**	**-**	**16,092.30**	**5,410.98**	**1,029.23**	**-**	**6,440.21**	**9,652.10**	**9,470.73**

यूसीएसएल और कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड ने 23.12.2022 को मालपे और हैंगरकट्टा में पट्टे की भूमि के लिए 04.3.2020 से यानी मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स टीईबीएमए शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश की तारीख तक 30 साल की अवधि के लिए पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टे पर दी गई टीम 2 (12 टन बोलार्ड पुल टग) को संयंत्र एवं उपकरण में शामिल किया गया है।

कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य भौगोलिक क्षेत्र के सत्यापन और मूल्यांकन के लंबित होने के कारण लेखे में मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है।

कंपनी से संबंधित भूमि, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती 'टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड' और/या 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर बनी हुई है। कंपनी ने 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' के नाम पर स्वामित्व विलेख को बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

माल्पे यार्ड में पट्टेदार भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग (नॉन रिमूवेबल एसेट्स) केलिए अलग और परिवहन नहीं की जा सकने वाली संपत्तियां पट्टे की अवधि और उन परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के निचले हिस्से पर परिशोधित/ मूल्यह्रास की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर कोई शुल्क नहीं लगाया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मापन, मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन आदि के संबंध में प्रकटीकरण सामग्री लेखांकन नीतियों, प्रमुख लेखांकन अनुमानों और निर्णयों के पैरा 3.1 के अनुसार दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के किसी भी हिस्से का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन का मानना है कि उपर्युक्त परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक नहीं है। इसके अलावा, कोई भी संकेत नहीं है, चाहे आंतरिक हो या बाहरी, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई हो। तदनुसार, मूर्त अचल संपत्तियों यानी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि का सवाल ही नहीं उठता।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	374.11	201.52
पूंजी यार्ड मदें	9.00	336.02
कुल	383.11	537.54

31.03.2026 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	382.62	-	0.49	-	383.11
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

कार्य प्रगति पर कोई भी परियोजना बजट समय और लागत के संबंध में अतिदेय नहीं है और इसलिए अतिदेय सीडब्ल्यूआईपी अनुसूची लागू नहीं है।

31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	अवधि केलिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	537.05	0.49	-	-	537.54
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

नोट 6 : अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01.04. 2025 को	वर्ष के दौरान जोड/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष केलिए	समायोजन/ (आहरण)	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	222.35	0.77	-	223.12	78.01	71.62	-	149.63	73.49	144.34
कुल	222.35	0.77	-	223.12	78.01	71.62	-	149.63	73.49	144.34

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01.04.2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31.03.2025 को	01.04.2024 को	दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष केलिए	समायोजन/ (आहरण)	31.03.2025 को	31.03.2025 को	31.03.2024 को
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	86.06	136.29	-	222.35	18.90	59.11	-	78.01	144.34	67.16
कुल	86.06	136.29	-	222.35	18.90	59.11	-	78.01	144.34	67.16

अमूर्त संपत्तियों के मापन, परिशोधन विधि आदि केलिए सामग्री लेखांकन नीतियों, प्रमुख लेखांकन अनुमानों और निर्णयों के नोट संख्या 3.3 को देखें।

किसी भी योग्य संपत्ति केलिए कोई उधार लागत नहीं ली गई।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 7: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:		
सुरक्षा जमा	41.06	38.09
कुल	**41.06**	**38.09**

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई राशि बकाया नहीं है। इसके अलावा, ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों से भी कोई राशि बकाया नहीं है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

प्रतिभूति जमे में भारतीय लेखा मानक 109 के तहत भारतीय लेखा मानक 116 के साथ परिशोधित लागत पर पट्टे की भूमि केलिए भुगतान किया गया किराया जमा शामिल है।

नोट 8: आय कर परिसंपत्तियां/ देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
गैर चालू कर संपत्ति		
आयकर वापसी योग्य प्रावधानों (यदि कोई हो) को छोडकर	80.50	104.61

कंपनी ने उन जमे पर प्रपत्र 26 एएस में अपलोड की गई टीडीएस राशि का हिसाब नहीं लगाया है, जिन्हें ग्रहणाधिकार चिह्न बैंक गारंटी के कारण यूसीएसएल की बहियों में सावधि जमे के रूप में नहीं लिया गया है।

(क) कर व्यय/(आय) के प्रमुख घटक :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
क) लाभ या हानि खंड :		
i. वर्तमान कर :		
वर्तमान आयकर प्रभार	-	-
पिछले वर्षों के संबंध में समायोजन	-	-
कुल (i)	**-**	**-**
ii. आस्थगित कर :		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	3,829.03	595.96
कुल (ii)	**3,829.03**	**595.96**
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (i+ii)	**3,829.03**	**595.96**
ख) अन्य व्यापक आय खंड :		
(i) बाद की अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत न की जानेवाली मदें		
स्थगित कर व्यय /(आय)	-	-
निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर	7.51	12.62
कुल (i)	**7.51**	**12.62**
(ii) बाद की अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत की जानेवाली मदें		
नकदी प्रवाह हेजिंग उपकरणों पर लाभ/ (हानि) का प्रभावी भाग	2,118.64	(209.30)
कुल (ii)	**2,118.64**	**(209.30)**
अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (i+ii)	**2,126.15**	**(196.68)**
ग) प्रतिधारित आय (अन्य इक्विटी):		
i. वर्तमान आयकर		-
ii. आस्थगित कर :	-	-
प्रतिधारित आय (अन्य इक्विटी) में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**-**	**-**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 8: आय कर परिसंपत्तियां/ देयता (निवल) (जारी..)

ख) वर्ष केलिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार समेटा जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
कर से पहले लाभ	13,167.79	858.74
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार निगमित कर की दर	25.17ऽ	25.17ऽ
आयकर व्यय की गणना संबंधित लागू दरों पर की जाती है	3,314.07	216.13
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं होनेवाले व्यय का प्रभाव	711.94	495.12
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में स्वीकार्य व्यय का प्रभाव	(365.96)	(415.12)
अनवशोषित व्यावसायिक हानि/मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन	(3,660.08)	(296.13)
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं होनेवाले निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर किए गए व्यय का प्रभाव	0.03	-
कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	-	-
पिछले वर्ष से संबंधित कर	-	-
	(0.00)	(0.00)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त वर्तमान कर व्यय	-	-
स्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन केलिए समायोजन	3,829.03	595.96
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	**3,829.03**	**595.96**
प्रभावी आयकर दर	**29.08ऽ**	**69.40ऽ**

(ग) अग्रिम आयकर और टीडीएस

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
वर्ष की शुरुआत में		73.56
वर्ष केलिए प्रभार		-
पिछले वर्ष के बकाया केलिए समायोजित शुल्क		-
आयकर का भुगतान /(वापसी)	(24.10)	31.05
वर्ष के अंत में	**80.51**	**104.61**

नोट 9: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
आस्थगित कर दायित्व	(1,012.38)	703.79
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(953.58)	(4,372.65)
कुल	**(1,965.96)**	**(3,668.86)**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 9: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (जारी..)

वर्ष 2025-26 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	इक्विटी विवरण में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
प्रावधान	(385.29)	(240.50)	-	(625.79)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अगोचर परिसंपत्ति	208.35	(19.21)	-	189.14
अग्रेनित हानियाँ	(3,824.21)	3,660.07	-	(164.14)
अगोचर परिसंपत्ति	-	-	-	-
अन्य -				
उपयोग का अधिकार	(163.15)	(0.50)	-	(163.65)
पट्टा देयता	177.00	(7.09)	-	169.91
नकदी प्रवाह बचाव - समायोजन	318.44	(1,689.87)	-	(1,371.43)
कुल	**(3,668.86)**	**1,702.90**	**-**	**(1,965.96)**

वर्ष 2024-25 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	इक्विटी विवरण में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
प्रावधान	(352.41)	(32.88)	-	(385.29)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अगोचर परिसंपत्ति	145.81	62.54	-	208.35
अग्रेनित हानियाँ	(4,373.81)	549.60	-	(3,824.21)
अगोचर परिसंपत्ति	-	-	-	-
अन्य -				
उपयोग का अधिकार	(162.43)	(0.72)	-	(163.15)
पट्टा देयता	172.19	4.82	-	177.00
नकदी प्रवाह बचाव - समायोजन	109.14	209.30	-	318.44
कुल	**(4,461.51)**	**792.65**	**-**	**(3,668.86)**

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, कंपनी ने वित्तीय अनुमानों और ऑर्डर बुक स्थिति के आधार पर, भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता का आकलन करके आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान का आकलन किया है, जिसे आस्थगित कर परिसंपत्ति को अवशोषित करने केलिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नोट 10: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजीगत अग्रिम	-	-
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमः		
सुरक्षा जमा	-	-
सीमाशुल्क विभाग के पास जमा	-	-
ढीले उपकरण		105.48
कुल	**151.50**	**105.48**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 11 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
कच्चे माल और घटक	9,848.89	10,620.14
कार्य प्रगति		
मार्गस्थ माल	102.96	-
कुल (क)	**10,191.85**	**11,505.37**
स्टोर एवं स्पेयर्स	264.43	149.06
कुल (ख)	**264.43**	**149.06**
कुल (क अ ख)	**10,456.28**	**11,654.43**

मालसूची मूल्यांकन केलिए सामग्री लेखांकन नीति 3.6 देखें।

मालसूची का पूरा स्टॉक बैंक से नकद ऋण सुविधा प्राप्त करने केलिए बंधक रखा जाता है।

नोट 12 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अप्रतिभूत		
विचारणीय योग्य :		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	1,253.89	78.43
कुल	**1,253.89**	**78.43**

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्य है। चूंकि व्यापार प्राप्य एक वर्ष से कम के लिए देय हैं, इसलिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत कोई अपेक्षित ऋण हानि भत्ता नहीं दिया जाता है।

जब ऋण तीन वर्ष से अधिक हो या यह संभावित/निश्चित हो कि ऋण वसूली योग्य नहीं है, तो वसूली केलिए संदिग्ध मानी जानेवाली सभी व्यापार प्राप्तियों केलिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है। जहां कानूनी कार्यवाही में ऋणों पर विवाद होता है, वहां कंपनी के खिलाफ कोई निर्णय दिए जाने पर प्रावधान किया जाता है, भले ही उसकेलिए उच्च अधिकारियों/ अदालतों में अपील की गई हो।

व्यापार प्राप्य में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय कोई राशि शामिल नहीं है। इसके अलावा, कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः उन फर्मों या निजी कंपनियों से देय नहीं है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

बिना बिलवाले व्यापार प्राप्य राशि शून्य रुपए हैं। (पिछले वर्ष - 32.50 लाख रुपए)

दिनांक 31.03.2026 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	उपार्जित परंतु देय नहीं (बिना बिलवाले व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	1133.33	118.99	-	1.57	-	1253.89
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 12 : प्राप्य व्यापार- चालू (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	उपार्जित परंतु देय नहीं (बिना बिलवाले व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(iv)विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्तियां - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: 31.03.2026 तक अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-
दि. 31.03.2026 तक व्यापार प्राप्य							**1,253.89**

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	उपार्जित परंतु देय नहीं (बिना बिलवाले व्यापार प्राप्य)	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	32.50	44.25	-	1.68	-	-	78.43
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii)अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
(iv)विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्तियां - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: 31.03.2025 तक अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-
दि. 31.03.2025 तक व्यापार प्राप्य							**78.43**

नोट 13 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	99.67	16.37
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	2,030.00	-
कुल	**2,129.67**	**16.37**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 13 : रोकड और रोकड तुल्यांक (जारी..)

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केलिए अनुमोदित समाधान योजना के तहत बैंकों को बोली राशि का भुगतान किया गया है और यूसीएसएल को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद सभी प्रतिभूति शुल्क, ऋणभार, समाधान योजना के संदर्भ में जारी, उन्मुक्त माने जाते हैं। परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को मार्जिन राशि जारी की जाएगी। हालांकि, मार्जिन राशि (कुल मिलाकर लगभग 351.12 लाख रुपए) अभी तक बैंकों द्वारा कंपनी को जारी नहीं की गई है क्योंकि उनके पास उनके द्वारा पहले जारी किए गए बैंक गारंटियों केलिए ग्रहणाधिकार है, जिस यूसीएसएल ने विवादग्रस्त किया है। अतः विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी सावधि जमाओं को उस अवधि में मान्यता देगी, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन राशि जमा जारी करता है। तदनुसार, उपर्युक्त राशि इसमें शामिल नहीं है।

नोट 14 : नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
बैंकों में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधिवाली सावधि जमाराशि (तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने की परिपक्वता अवधिवाली)	-	1,755.00
बैंकों में 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधिवाली सावधि जमाराशि	3,031.00	0.99
कुल	**3,031.00**	**1,755.99**

नोट 15 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अप्रतिभूत, विचारणीय योग्य :		
बैंक जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	13.05	49.77
बिजली और अन्य जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	2.22
प्रतिभूति जमा	3.16	0.50
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3,160.19	3,187.73
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	-	1,374.15
कुल	**3,176.40**	**4,614.37**

नोट 16 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	5,854.98	6,785.03
अनुबंध परिसंपत्तियां	8,499.34	7,016.13
अप्रचलित स्टॉक	448.85	206.57
घटाएं : अप्रचलन केलिए प्रावधान	(448.85)	(206.57)
राजस्व अधिकारियों के पास शेष राशि	10.48	10.52
विविध जमाराशियां	0.18	0.03
पूर्वदत्त व्यय	142.17	235.31
एलआईसी के पास रखे गए अनुदान निधि में अधिशेष राशि	66.30	44.69
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	7,413.90	6,077.68
अन्य प्राप्य	-	31.96
कुल	**21,987.35**	**20,201.35**

विविध जमा का तात्पर्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में रखी गई बयाना राशि/सुरक्षा जमा से है।

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई राशि बकाया नहीं है। इसके अलावा, ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों से कोई राशि बकाया नहीं है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 17 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	15,00,00,000	15,000.00	15,00,00,000	15,000.00
₹ 10/- प्रति के वरीयता शेयर	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णत: प्रदत ₹ 10/- प्रति शेयर वाले	10,80,00,000	10,800.00	10,80,00,000	10,800.00
कुल	**10,80,00,000**	**10,800.00**	**10,80,00,000**	**10,800.00**

इक्विटी शेयरों से जुडी शर्तें और अधिकार: कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है और जो पूरी तरह से भुगतान किया गया है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट केलिए पात्र हैं और कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार हैं। अंतरिम लाभांश का भुगतान बोर्ड द्वारा घोषित किए जाने पर किया जाता है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

17.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	10,80,00,000	10,800.00	10,80,00,000	10,800.00
जोड: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**10,80,00,000**	**10,800.00**	**10,80,00,000**	**10,800.00**

17.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	100%
कुल	**10,80,00,000**	**100%**	**10,80,00,000**	**100%**

17.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

ब्योरा	मार्च 31,2026 को		मार्च 31,2025 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	100%

17.4 वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा रखे गए शेयर

संस्थापक का नाम	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	-	-

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 18 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
ऋणपत्र आरक्षित निधि	100.00	100.00
सामान्य आरक्षण	7,389.79	7,361.70
नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व (अन्य व्यापक आय)	(5,352.52)	946.83
प्रतिधारित कमाई	7,238.00	(2,078.42)
कुल	**9,375.27**	**6,330.11**
प्रतिधारित कमाई		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(2,078.42)	(2,303.69)
घटाएं : भारतीय लेखा मानक 115 के संक्रमण समायोजन	-	-
जोडें : अवधि केलिए निवल लाभ / (हानि)	9,338.76	262.78
जोडें/ (घटाएं): अन्य व्यापक आय		
- निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(22.34)	(37.51)
- ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-	-
चालू वर्ष केलिए कुल व्यापक आय	**7,238.00**	**(2,078.42)**
वर्ष के अंत में शेष राशि	**7,238.00**	**(2,078.42)**

ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के साथ कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य के 10% पर ऋणपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि बनाया है, जो नवंबर, 2028 में परिपक्व होगा।

सामान्य आरक्षित निधि:

सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने और विवेकपूर्ण उद्देश्यों केलिए बनाया जाता है। यह एक निःशुल्क आरक्षित निधि है और इसका उपयोग किसी भी सामान्य उद्देश्य जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों की पुनर्खरीद आदि केलिए किया जा सकता है।

नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व:

नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट सं. 3.7 देखें)

नोट 19 : उधार - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्रतिभूति रहित		
होल्डिंग कंपनी को जारी किए गए रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर	1,000.00	1,000.00
होल्डिंग कंपनी से ऋण	500.00	-
कुल	**1,500.00**	**1,000.00**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 19 : उधार - गैर चालू (जारी..)

क) 1000 लाख रुपए में जारी किए गए प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र:- यूसीएसएल के पुनरुद्धार और सामान्य निगमित आवश्यकताओं को पूरा करने केलिए, निजी स्थानन के माध्यम से यूसीएसएल द्वारा सीएसएल को 1000 रुपए अंकित मूल्य के 1 लाख एनसीडी जारी किए गए हैं। कूपन दर 6% है और वार्षिक आधार पर ब्याज का भुगतान करना होगा। एनसीडी 84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं अर्थात् : दिनांक 26 नवंबर 2028 को।

ख) 500 लाख रुपए का ऋण: - यूसीएसएल के प्रचालन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले खर्चों को पूरा करने केलिए, दिनांक 18.09.2025 को नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 6.25% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपए का निवेश किया। संवितरण की तारीख यानी 17 सितंबर 2030 से 5 साल के अंत में चुकाई जाने वाली मूल राशि। ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक आधार पर किया जाना है।

नोट 20 : पट्टा देयताएं - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	535.43	594.37
कुल	535.43	594.37

नोट 21 : अन्य वित्तीय देयताएं - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
किराया जमा	-	19.98
कुल	-	19.98

परिचालन पट्टे पर दिए गए जलयान के सामने प्राप्त किराया जमे का भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर प्रकटीकरण - वित्तीय साधन।

चालू वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली किराया जमा राशि को चालू वित्तीय देनदारियों में दर्शाया गया है।

नोट 22: अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अग्रिम पट्टा किराया (भारतीय लेखा मानक 109 समायोजन)	-	2.36
कुल	-	2.36

नोट 23: प्रावधान - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान- क्षतिपूरण अवधि	121.32	79.45
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान- उपदान	-	-
कुल	121.32	79.45

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 24: उधार - चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्रतिभूति		
होल्डिंग कंपनी से ऋण (दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता)	-	500.00
बैंकों से मांग पर चुकाए जानेवाले ऋण	3,985.62	4,344.04
कुल	**3,985.62**	**4,844.04**

कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एसआईबी और फेडरल बैंक से क्रमशः 8.25%, 8.65%, 8.00% और 7.90% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा (20000 लाख रुपये की स्वीकृति सीमा) प्राप्त की है। कंपनी ने एसबीआई की उप-सीमा के अंतर्गत 6.34% प्रति वर्ष की दर पर ईपीसी सीमा भी प्राप्त की है। यह ऋण सुविधा कंपनी की वर्तमान संपत्तियों, जिनमें इन्वेंट्री और प्राप्य राशियां शामिल हैं, के बंधक द्वारा सुरक्षित है।

पुनर्भुगतान की शर्तें : वार्षिक समीक्षा / नवीकरण के अधीन मांग पर पुनर्भुगतान योग्य चालू खाता।

दिनांक 31.03.2026 तक नकद ऋण सुविधा का लाभ ₹ 3,985.62 (पिछले वर्ष ₹ 4,344.04) है।

होल्डिंग कंपनी से ऋण - नोट 19 (बी) का संदर्भ लें।

नोट 25 : पट्टा देयताएं - चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	114.82	53.88
कुल	**114.82**	**53.88**

नोट 26 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	143.73	350.53
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	4,816.85	4,651.89
कुल	**4,960.58**	**5,002.42**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	143.73	350.53
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 26 : व्यापार देय (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

तुलन पत्र की तिथि पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया राशि का खुलासा उपरोक्त नोट में किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने नियत तिथि पर या उससे पहले ऐसे उद्यमों की बकाया राशि भुगतान कर दिया है और इसलिए ऐसे उद्यमों को ब्याज के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस सीमा तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। लेखापरीक्षकों ने इस पर भरोसा किया है।

व्यापार देय (एमएसएमई के अलावा) में बिल रहित देय राशि ₹1284.18 लाख रुपए शामिल है जिसमें, 60.21 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय प्रावधान (पि.व. 728.80 लाख) शामिल है।

31/03/26 व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
देय नहीं	143.73	-	-	-	143.73
देय	-	-	-	-	-
(ii) अन्य					
देय नहीं	1,837.81	-	-	-	1,837.81
देय	1,574.98	119.88		-	1,694.86
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
(v) बिल चुकानेवाले लेनदार	1,284.18	-	-	-	1,284.18
कुल	**4,840.70**	**119.88**	**-**	**-**	**4,960.58**

31.03.2025 व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों केलिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
देय नहीं	350.53	-	-	-	350.53
देय	-	-	-	-	-
(ii) अन्य					
देय नहीं	1,624.46	-	-	-	1,624.46
देय	2,224.99	73.63		-	2,298.62
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
(v) बिल चुकानेवाले लेनदार	728.80	-	-	-	728.80
कुल	**4,928.79**	**73.63**	**-**	**-**	**5,002.42**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 27 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव देयता	5,449.11	108.88
प्रदत्त ब्याज लेकिन उधार केलिए देय नहीं	18.64	31.86
अन्य		
व्यापार प्रतिभूति और अन्य जमा	334.97	1,230.50
अन्य देय	62.91	1,274.55
किराया जमा	21.80	-
कुल	**5,887.43**	**2,645.79**

अन्य देय राशियों में लेनदारों की समिति को देय राशि शून्य (पिछले वर्ष 1,253.84 लाख रुपये) शामिल है, अर्थात पोत निर्माण सब्सिडी योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया।

नोट 28 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
अनुबंध देयता	15,661.70	20,050.81
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य अनुबंधों केलिए अग्रिम	226.04	258.75
वैधानिक बकाया देय	504.33	162.05
अग्रिम पट्टा किराया (इंड एएस 109 समायोजन)	0.59	-
कुल	**16,392.66**	**20,471.61**

नोट 29 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2026 को	मार्च 31,2025 को
कर्मचारी के लाभ केलिए प्रावधान		
उपदान	-	-
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	2.86	5.44
कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन	106.13	67.50
कुल (क)	**108.99**	**72.94**
अन्य प्रावधान		
गारंटी मरम्मत केलिए	191.68	15.00
व्यय/ आकस्मिकों केलिए	640.01	640.01
कुल (ख)	**831.69**	**655.01**
कुल (क + ख)	**940.68**	**727.95**

गारंटी मरम्मत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अभी भी वारंटी के अंतर्गत आनेवाले पोतों और अन्य उत्पादों के संबंध में अनुमानित वारंटी दावों केलिए प्रावधान किया गया है।

व्यय/आकस्मिकताओं केलिए प्रावधान

समाधान योजना के अनुसार सुविधा के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु दिनांक 31.03.2020 तक खातों में 1250 लाख रुपए की आकस्मिकता का प्रावधान प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, यूसीएसएल ने शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि समायोजित की है और 640.01 लाख रुपये की शेष राशि की समीक्षा की गई है और उसे बरकरार रखा गया है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 29 : चालू प्रावधान (जारी..)

29.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2025 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना / उपदान निधि में अंशदान	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान- उपदान	-	-	-	-	-
क्षतिपूरण अवधि	5.44	-	-	2.58	2.86
कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन	67.50	106.13	48.23	19.26	106.13
गारंटी मरम्मत	15.00	176.68	-	-	191.68
व्यय / आकस्मिकों केलिए प्रावधान	640.01	-	-	-	640.01

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2024 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान- उपदान	-	-	-	-	-
क्षतिपूरण अवधि	2.46	2.98	-	-	5.44
कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन	-	67.50	-	-	67.50
गारंटी मरम्मत	47.26	15.00	47.26	-	15.00
व्यय / आकस्मिकों केलिए प्रावधान	640.01	-	-	-	640.01

नोट 30 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
जलयान	55,257.98	22,697.60
इंजीनियरिंग कार्य	61.62	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	6,099.67	3,424.94
	61,419.27	**26,122.54**
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत:	-	-
इंजीनियरिंग कार्य	-	-
	-	**-**
अन्य प्रचालन राजस्व		
स्टॉक मद की बिक्री	305.58	337.00
स्क्रैप की बिक्री-उत्पादन	86.79	104.06
	392.37	**441.06**
कुल	**61,811.64**	**26,563.60**

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 41 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'। स्टॉक वस्तुओं की बिक्री, ठेकेदारों/ग्राहकों को आवश्यक सामग्रियों जैसे पोत निर्माण सामग्री, उपभोग्य सामग्रियों आदि की बिक्री को दर्शाती है।

कंपनी ने सीएसएल के साथ अनुबंध किया है और पोत निर्माण की एक टर्नकी परियोजना शुरू की है, जिसे आय मद 'इंजीनियरिंग कार्य' के तहत 61.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के लिए दर्शाया गया है।

कंपनी की परिचालन आय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, में 27,871.86 लाख रुपये का अप्रतिबंधित राजस्व शामिल है (पिछले वर्ष यह 20,856.83 लाख रुपये था)।

परिचालन से प्राप्त राजस्व में से 45,952.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष यह 19390.17 लाख रुपये था) निर्यात आदेशों से प्राप्त राजस्व है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 31 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
स्क्रैप और स्टोर की बिक्री से आय	28.16	178.12
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	-
किराया शुल्क	90.00	90.00
बैंक जमे पर ब्याज	91.98	211.89
अन्य जमे से ब्याज	62.48	286.23
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	618.44	52.85
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	-	282.16
प्रतिभूति जमे पर ब्याज की वापसी - भारतीय लेखा मानक 109	2.31	2.26
विविध आय	316.28	195.01
कुल	**1,209.65**	**1,298.52**

कंपनी उन जमाओं पर फॉर्म 26 एएस में अपलोड की गई ब्याज राशि का हिसाब नहीं दे रहा है, जिन्हें एनसीएलटी के आदेश से पहले चिह्नित होने के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

स्क्रैप और स्टोर की ब्रिकी से प्राप्त आय में शून्य रुपए (पिछले वर्ष 32.50 लाख रुपए) का बिना बिलवाला राजस्व शामिल है।

विविध आय में ग्राहकों आदि से वसूल की गई परिसमापन क्षतिपूर्ति राशि शामिल है।

अन्य प्राप्त ब्याज में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त शून्य रुपए (पिछले वर्ष 283.76 लाख रुपए) शामिल हैं।

अन्य प्राप्त ब्याज में विक्रेताओं से एक वर्ष के लिए प्राप्त सुरक्षा जमा की प्रारंभिक शेष राशि पर 8.05ऽ प्रति वर्ष की दर से काल्पनिक आय और आपूर्तिकर्ताओं से छह महीने की अवधि के लिए रोकी गई प्रतिधारण राशि पर इन्ड ए एस 109 के अनुसार 58.27 लाख रुपये की काल्पनिक आय शामिल है।

नोट 32 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल		
इस्पात	4,755.72	3,630.11
पाइप	200.74	91.46
रंग	478.53	338.43
खरीदे गए घटक	23,872.31	10,737.73
कुल	**29,307.30**	**14,797.73**

नोट 33 : कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उसके अलावा जिन्हें प्रतिशत/आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य-प्रगति :		
वर्ष की शुरुआत में	(885.23)	(428.64)
घटाइए : साल के अंत में	(240.00)	(885.23)
कुल	**645.23**	**(456.59)**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 34 : उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
उप अनुबंध और ऑफ लोडेड काम	7,063.10	3,704.52
हल बीमा	94.31	69.24
डिज़ाइन व्यय	834.20	2,120.39
प्रचालन व्यय	2,539.29	1,139.79
कुल	**10,530.90**	**7,033.94**

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेशिया और भत्ते	1,560.58	1,181.26
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	100.48	78.59
उपदान / अर्जित छुट्टी	(11.25)	29.80
कर्मचारी कल्याण खर्च	199.50	155.32
कुल	**1,849.31**	**1,444.97**

वेतन, पारिश्रमिक, बोनस/एक्सग्रेशिया और भत्ते में कर्मचारियों केलिए अर्जित अवकाश के नकदीकरण और अनुपस्थिति केलिए आधा वेतन मुआवज़ा के रूप में 52.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 59.11 लाख रुपए) का प्रावधान शामिल है।

कर्मचारी लाभ व्यय में नियंत्रण कंपनी से ली गई दूसरी सेवाओं के 130.46 लाख रुपए शामिल हैं (पिछले वर्ष 130.41 लाख रुपए)।

उपदान और अर्जित अवकाश के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन से चालू वर्ष का कुल व्यय 45.94 लाख रुपये दर्शाया गया है। संबंधित समायोजन प्रविष्टियाँ बही-खातों में दर्ज कर ली गई हैं। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई निवल राशि 11.25 लाख रुपये के क्रेडिट के रूप में दिखाई देती है।

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजन केलिए उपयोग की जानेवाली प्रमुख धारणाएं निम्नानुसार थीं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.40%	6.60%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
संघर्षण दर - आधा वेतन अवकाश	1.00%	-
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	14.73	16.37

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	9.13	4.83
पिछले सेवा मूल्य	3.38	0.00
निवल ब्याज व्यय	5.04	1.95
निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि	**17.56**	**6.78**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	124.18	84.89
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**124.18**	**84.89**

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	2.86	5.44
पीवीओ के गैर चालू घटक	121.32	79.45
कुल पीवीओ	**124.18**	**84.89**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	84.89	28.31
वर्तमान और पिछली सेवा लागत	12.51	4.83
वर्तमान ब्याज लागत	5.04	1.95
बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.67	52.33
प्रदत्त लाभ	(16.94)	(2.53)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	**124.18**	**84.89**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	16.94	2.53
प्रदत्त लाभ	(16.94)	(2.53)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	2.86	4.36
वर्ष 2	17.03	0.00
वर्ष 3	14.42	1.67
वर्ष 4	13.35	2.57
वर्ष 5	13.63	2.36
अगले 5 वर्ष	197.28	73.93

'एनए' 'लागू नहीं' को दर्शाता है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	8.40%	7.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	114.95	77.46
उतार-चढाव	-7.43%	-8.75%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.40%	5.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	134.75	93.55
उतार-चढाव	8.51%	10.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	134.26	93.16
उतार-चढाव	8.12%	9.74%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	115.22	77.66
उतार-चढाव	-7.21%	-8.52%

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

(₹ लाखों में)

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य केलिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है:	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.40%	6.60%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
निकासी दर	1.00%	0.00%
योजनागत परिसंपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर	7.63%	7.60%

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	11.22	12.78

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	31.27	25.59
पिछली सेवा लागत	0.07	0.00
निवल ब्याज खर्च	(2.95)	(0.04)
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**28.39**	**25.55**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.35)	(1.28)
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(1.47)	(0.92)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(8.82)**	**(2.20)**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	104.22	75.26
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	170.53	119.96
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**(66.30)**	**(44.70)**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	75.26	47.58
चालू सेवा मूल्य	31.27	25.59
चालू ब्याज मूल्य	4.97	3.38
पिछली सेवा लागत	0.07	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.35)	(1.28)
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**104.22**	**75.26**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	119.96	48.13
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	7.92	3.42
बीमांकिक लाभ / (हानि)	1.47	0.92
नियोक्ता से अंशदान	41.18	67.49
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**170.52**	**119.96**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	9.84	7.75
वर्ष 2	9.01	2.12
वर्ष 3	9.12	5.84
वर्ष 4	9.68	4.89
वर्ष 5	8.52	3.84
अगले 5 वर्ष	189.57	50.82

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	8.40%	7.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	95.92	68.00
उतार-चढाव	-7.97%	-9.65%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.40%	5.60%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	113.93	83.88
उतार-चढाव	9.31%	11.45%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	113.54	83.54
उतार-चढाव	8.94%	10.99%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	96.12	68.15
उतार-चढाव	-7.78%	-9.44%

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	लागू नहीं	लागू नहीं
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	लागू नहीं	लागू नहीं
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं
संपत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेष जमा योजना	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100%	100%
अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100%**	**100%**

योजना की परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह अनुदान योजना के माध्यम से किया जाता है।

नोट 36 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय भारतीय लेखा मानक 116	60.94	60.67
नकद ऋण पर ब्याज	439.75	33.71
नियंत्रक कंपनी से ऋण पर ब्याज	27.94	27.50
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर ब्याज - होल्डिंग कंपनी	60.00	60.00
वित्तीय देनदारियों पर ब्याज व्यय - भारतीय लेखा मानक 109	61.48	1.72
कुल	**650.11**	**183.60**

वित्तीय देनदारियों पर ब्याज व्यय में विक्रेताओं से एक वर्ष के लिए प्राप्त सुरक्षा जमा के प्रारंभिक शेष पर और आपूर्तिकर्ताओं से छह महीने की अवधि के लिए रोकी गई प्रतिधारण राशि पर 8.05% प्रति वर्ष की दर से काल्पनिक ब्याज के लिए इन्ड ए एस 109 के अनुसार ₹ 58.27 लाख रुपये की राशि शामिल है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 37 : मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	876.04	1,001.07
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	28.16	28.16
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	71.62	59.11
कुल	**975.82**	**1,088.34**

नोट 38 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भंडार एवं पुर्जों की खपत	492.64	378.97
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	42.67	40.06
दर और कर	13.14	14.44
बिजली	328.95	257.94
ईंधन	257.05	324.33
जल	9.28	5.64
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
भवन और सडक	162.56	149.64
संयंत्र और मशीनें	172.78	195.80
अन्य	242.70	233.41
परिवहन और स्टोर हैंडलिंग	103.69	71.06
यात्रा तथा सवारी खर्च	81.86	104.66
मुद्रण और लेखन सामग्री	12.66	12.66
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	5.61	3.05
विज्ञापन और प्रचार	39.73	15.57
पट्टा किराया	-	-
भाडा व्यय	262.77	180.08
बीमा व्यय	42.48	26.59
सुरक्षा व्यय	179.59	127.35
लेखापरीक्षकों को भुगतान	4.80	4.80
प्रशिक्षण व्यय	14.95	6.22
कानूनी व्यय	12.18	16.02
परामर्श	75.08	51.13
बैंक गारंटी कमीशन /बैंक शुल्क	369.00	390.57
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	1,430.25	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट संख्या 39 देखें)	0.10	-
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल हानि/(लाभ)	1,128.99	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/राइट-ऑफ पर हानि	-	-
अचल स्टॉक मदों/राइट-ऑफ किए गए भंडार के लिए प्रावधान	242.28	187.68
विविध खर्च	167.04	113.72
कुल	**5,894.83**	**2,911.39**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 38 : अन्य व्यय (जारी..)

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं केलिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क केलिए	3.00	3.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं केलिए	1.80	1.80
कुल	**4.80**	**4.80**

नोट 39: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
सीएसआर निधि के उपयोग का विवरण		
क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि	0.10	-
ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	0.10	-

नोट 40 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	9,338.76	262.78
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10,80,00,000	10,80,00,000
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	8.65	0.24
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में) पूर्ण प्रदत्त	10.00	10.00

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 के तहत निर्दिष्ट संकेतकों के आधार पर यह आकलन किया है कि वह उत्पादों और सेवाओं की बिक्री केलिए अपने लेनदेन में प्रिंसिपल है या एजेंट। इस तरह के आकलन के आधार पर, कंपनी का मानना है कि यह उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से जुडी प्रिंसिपल है और उसने रिपोर्टिंग के साथ-साथ तुलनात्मक वर्ष केलिए राजस्व का खुलासा किया है, लेकिन माल और सेवा कर के निवल पर।

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार विखंडित राजस्व:

नीचे दी गई तालिका रिपोर्टिंग वर्ष केलिए उत्पादों/सेवाओं के प्रकार और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंधों से विखंडित राजस्व प्रस्तुत करती है। कंपनी का मानना है कि यह विखंडन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि हमारे राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, मात्रा और अनिश्चितता उद्योग, बाज़ार और अन्य आर्थिक कारकों से कैसे प्रभावित होती है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
उत्पादों/सेवाओं के प्रकार के आधार पर:		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से प्राप्त राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
जलयान	55,257.98	22,697.60
इंजीनियरिंग कार्य	61.62	-

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(ii)सेवाओं की बिक्री		
इंजीनियरिंग कार्य	-	-
पोत मरम्मत	-	-
(iii) अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	6,099.67	3,424.94
स्टॉक आइटम की बिक्री	305.58	337.00
स्क्रैप की बिक्री	86.79	104.06
कुल	61,811.64	26,563.60

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व और पृथक राजस्व जानकारी के संबंध में प्रकटीकरण नोट 30 के साथ उप-नोट में दिया गया है। इस नोट में प्रकटीकरण को भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरणों के साथ पढा जाना है, जिसमें नोट 12 और उप-नोट, नोट 16 और उप नोट, नोट 28 और नोट 30 और उपनोट शामिल हैं।

तदनुसार, राजस्व की मान्यता से उत्पन्न होनेवाली प्राप्तियां व्यापार प्राप्तियां और अनुबंध परिसंपत्तियां हैं, जो राजस्व के पारित होने पर बिना शर्त प्रतिफल का अधिकार है। ऐसी व्यापार प्राप्तियां और अनुबंध परिसंपत्तियां, यदि कोई हो, तो हानि के निवल रूप में, तुलन पत्र में नोट 12 के साथ उप नोट और नोट 16 के साथ उप-नोट के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर		
घरेलू	15,859.40	7,173.43
निर्यात बिक्री	45,952.24	19,390.17
कुल	61,811.64	26,563.60

कंपनी का यह मत है कि राजस्व के विभाजन के संबंध में प्रकटीकरण, जैसा कि ऊपर दो तालिकाओं में बताया गया है, भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अपेक्षित पर्याप्त प्रकटीकरण है।

भारतीय लेखा मानक 108 अर्थात् प्रचालन खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, सिवाय प्रमुख ग्राहकों के विवरण का खुलासा करने के, जैसा कि नोट 50 में दिया गया है। तदनुसार, खंड के आधार पर अलग-अलग जानकारी का खुलासा करने का सवाल ही नहीं उठता।

असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों केलिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 2,06,117.01 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,24,780.03 लाख रुपए) है और इसे बाद के वर्षों में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। असंतुष्ट निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य की राशि जो एक अनुबंध का हिस्सा है जिसकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है, को भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमत रूप से उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है।

अन्य प्रकटीकरण :

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों का आरंभिक और अंतिम शेषः तुलन पत्र के नोट 12 में प्रकट किया गया।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों का आरंभिक और अंतिम शेषः तुलन पत्र के नोट 16 और 28 में प्रकट किया गया।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (जारी..)

ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने या उसे पूरा करने केलिए किए गए व्यय (वृदिधशील लागत सहित) जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय केलिए परिशोधित किया जाना आवश्यक है (अर्थात् पूंजीकृत): रु. शून्य (पि.व. रु. शून्य)

ग्राहक के साथ अनुबंध द्वारा निर्धारित लेनदेन मूल्य में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व: रु. शून्य (पि.व. रु. शून्य)

निष्पादन दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण, शेष निष्पादन दायित्वों केलिए लेनदेन मूल्य का आबंटन, मानक के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण निर्णय, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय, लेनदेन मूल्य का निर्धारण और निष्पादन दायित्व केलिए आबंटित राशि:

कंपनी समुद्री जलयानों के निर्माण, पोतों की मरम्मत और अन्य संबंधित कार्यों के व्यवसाय में है। उपर्युक्त गतिविधियों का बडा हिस्सा ग्राहक विशिष्ट है और ग्राहकों से प्राप्त आदेशों पर आधारित है। कंपनी तुलन पत्र से जुडी सामग्री लेखा नीति के नोट 3.14 में विस्तृत रूप से राजस्व को मान्यता दे रही है। चालान नियंत्रण हस्तांतरण की तिथि (अर्थात् सुपुर्दगी और स्वीकृति के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि) पर तैयार किया जा रहा है । हालांकि, आउटपुट पद्धति के तहत राजस्व की पहचान की गई है, जैसा कि पूर्वोक्त नोट में बताया गया है। तदनुसार कंपनी प्रगतिशील आधार पर प्रदर्शन दायित्वों को पूरा कर रही है। ग्राहक के साथ लेनदेन मूल्य आपसी सहमति से निर्धारित किया जा रहा है और तदनुसार व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जा रहा है, अर्थात् कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार।

रिटर्न, रिफंड और किसी अन्य समान उद्देश्यों केलिए कोई दायित्व नहीं है। कंपनी ने वारंटी/गारंटी दायित्वों केलिए विधिवत् प्रावधान किया है और वित्तीय विवरण के नोट 29 के तहत इसका खुलासा किया है। वित्तीय वर्ष के दौरान गारंटी/वारंटी केलिए प्रदान की गई राशि 191.68 लाख रुपए (पि.व. 15 लाख रुपए) है, जिसे प्रचालन व्यय के तहत नोट संख्या 34 में शामिल किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 115 के तहत आवश्यक अन्य खुलासे कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

वर्ष के दौरान अनुबंधित मूल्य का राजस्व के साथ समाधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आदेशों का अनुबंधित मूल्य खोलना	**2,49,078.30**	**69,454.26**
जोडें:		
प्राप्त नए आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	23,515.83	1,66,624.80
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त प्रतिफल के कारण वृद्धि	1,226.36	22,913.97
विनिमय दर में उतार-चढाव के कारण वृद्धि (निवल)	18,625.50	1,266.49
घटाइए:		
विविधता, परिवर्तन आदेश आदि सहित अन्य कटौतियां	-	414.00
वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेश	55,513.39	10,767.22
आदेशों का अनुबंधित मूल्य की समाप्ति	**2,36,932.60**	**2,49,078.30**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व:	61,419.27	26,122.54
घटाइए : वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेशों में से राजस्व	34,158.85	5,644.49
वर्ष के अंत में निष्पादन के तहत आदेशों से राजस्व (I)	27,260.42	20,478.05
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में पूरा होने के लंबित आदेशों से) (II)	2,943.73	3,441.44
राजस्व के प्रत्यावर्तन का प्रभाव (रद्द अनुबंध)	-	378.78
विनिमय दर में उतार-चढाव के कारण कमी (निवल) (III)	611.44	-
शेष राजस्व को भविष्य में मान्यता दी जाएगी अर्थात् आदेश बही (IV)	2,06,117.01	2,24,780.03
आदेश की अंतिम अनुबंधित कीमत (I+II+III+IV)	**2,36,932.60**	**2,49,078.30**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

पट्टेदार के रूप में कंपनी

अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों केलिए मूल्यह्रास प्रभार: वित्तीय विवरण के नोट 37 के साथ पढे गए नोट 4 देखें।

पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय: वित्तीय विवरा के नोट 36 को पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय भारतीय लेखा मानक 116 शीर्षक के अंतर्गत देखें।

मान्यता छूट लागू करने केलिए लेखांकन में शामिल अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय: "किराया शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत नोट 38 देखें।

मान्यता छूट लागू करने केलिए कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय: ऐसे कोई पट्टे नहीं है। पट्टे की देनदारियों के मापन में शामिल नहीं दिए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय: ऐसे कोई मामले नहीं है।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के उप पट्टे से आय: ऐसे कोई मामले नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और वहन राशि में वृद्धि: वित्तीय विवरण के नोट 4 को देखें।

भारतीय लेखा मानक 107 को लागू करते हुए पट्टे देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण: वित्तीय विवरण के नोट 48 को देखें।

किराया और भाडा व्यय में 31.03.2026 को समाप्त वर्ष केलिए अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित व्यय शामिल है, जिसकी राशि रु. 262.77 लाख (पि.व.: रु. 180.08 लाख) है।

पट्टे केलिए कुल नकद बहिर्वाह:

भारतीय लेखा मानक 116- दीर्घकालिक पट्टों के अंतर्गत आनेवाले पट्टों के संबंध में:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयता भाग	-	-
ब्याज भाग	58.95	57.82
कुल	**58.95**	**57.82**

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2026 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	60.13	58.94
एक से पांच साल तक	319.52	312.90
पांच साल से ज्यादा	1,355.06	1,421.44
कुल	**1,734.71**	**1,793.28**

पट्टा देयताओं का संचलन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष राशि	648.25	645.38
जोडें : अतिरिक्त राशि	-	-
जोडें : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	60.94	60.67
घटाएं : किया गया भुगतान	58.95	57.82
कुल	**650.25**	**648.25**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'(जारी..)

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान एक 'टीम 2' (12टन बोलार्ड पुल टग) को प्रचालन पट्टे पर दिया है। उस पर प्राप्त होनेवाला पट्टा किराया नोट 31 के अनुसार लाभ हानि खाते के विवरण में जमा किया गया है।

कंपनी द्वारा की जा रही पट्टा गतिविधि का स्वरूप "टीम 2" (12 टन बोलार्ड-पुल-टग) को प्रचालन पट्टे पर देना है। प्रबंधन को अंतर्निहित परिसंपत्ति को बनाए रखने केकिसी भी अधिकार से जुडे किसी भी जोखित का अनुमान नहीं है। यह पट्टा, पट्टा समझौते/समझौता ज्ञापन द्वारा समर्थित है और पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार को संपत्ति का कब्जा कंपनी को वापस सौंपना आवश्यक है। पट्टे के संबंध में कोई अन्य जोखिम प्रबंधन कार्यनीति नहीं है।

भावी पट्टा किराया प्राप्तियों का वर्षवार ब्यौरा (बिना छूट के):

अगले दौरान प्राप्य राशि	राशि (₹ लाखों में)
पहला वर्ष	30.00
कुल	**30.00**

नोट 43: हेड्ज अकाउंटिग केलिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यांकित राशियों से उत्पन्न होनेवाले विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई केलिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी के विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों का प्रतिपक्ष आम तौर पर एक बैंक होता है। दिनांक 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया वायदा अनुबंध हैं, जिन्हें कैश फ्लो हेज के रूप में नामित किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
मुद्रा	यूरो	यूरो
अनुबंधों की संख्या	81	111
अनुबंधों की नाममात्र राशि (₹ लाखों में)	70,279.38	82,999.05
उचित मूल्य लाभ/ (हानि) (₹ लाखों में)	(5,449.11)	1,265.27

नकदी प्रवाह हेज के रूप में नामित डेरिवेटिव केलिए हेज रिज़र्व में गतिविधि निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि क्रेडिट/(डेबिट)	946.83	324.52
बकाया नकदी प्रवाह डेरिवेटिव के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन (करों के बाद निवल)	(6,299.35)	622.31
कुल	**(5,352.52)**	**946.83**

नोट 44: भारतीय लेखा मानक 8 लेखांकन नीतियों द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में लेखांकन अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 45: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
क. मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से अधिग्रहण के बाद संभावित देयता (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है)			
गारंटी			
i साख पत्र	1,372.05	6,419.41	कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ii बैंक गारंटी	29,305.59	32,209.86	बैंक गारंटियां कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके ग्राहकों को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कंपनी को मालसूची और व्यापार प्राप्तियों सहित वर्तमान परिसंपत्तियों की दृष्टिबंधक की सुरक्षा के सामने 1,26,253.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,08,753.00 लाख रुपए) की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमा स्वीकृत की गई है।

ख पूर्ववर्ती टेबमा अवधि से संबंधित आकस्मिक देयताएं

i. कर संबंधी मामले	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी)			
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है) ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है।	448.31	437.01	कंपनी ने विदेश व्यापार अधिनियम के तहत जुर्माना, सीमा शुल्क और ब्याज लगाने वाले डीजीएफटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिसमें कारण बताने के लिए जारी किया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है) ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है	859.98	804.70	डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसे दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 45: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

i. कर संबंधी मामले	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	प्रकृति और दायित्व कॉलम का विवरण देखें	प्रकृति और दायित्व कॉलम का विवरण देखें	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के संबंध में 918.90 लाख रुपये की सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) हासिल करने में विफलता हुई और इसके संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने में भी विफलता हुई। 2016-17 के बाद के वर्षों के लिए मालपे ईओयू के गैर-पूर्ति के परिणामस्वरूप एफटीपी का उल्लंघन हुआ और इस तरह याचिकाकर्ता को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2021 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के अनुसार सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रतिवादियों ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए पोस्ट किया गया है।
- जहां विभाग ने कारण बताओ नोटिस दिए हैं। ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है	389.19	364.17	डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूसीएसएल प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और जवाब प्रस्तुत किया। आदेश की प्रतीक्षा है।
अन्य			
प्रवेश कर	76.90	76.90	ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। आईबीसी के नियमों की शर्तें और जो परिचालन ऋणदाताओं की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सेवा कर/ सीमा शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर	1,234.65	1,234.65	
कर्नाटक वैट	11.91	11.91	सितंबर से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए आईटीसी के गलत दावे के लिए आदेश संख्या ZD2900223010218S दिनांक 20/2/23। ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। आईबीसी के नियमों की शर्तें और जो परिचालन ऋणदाताओं की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने तदनुसार प्राधिकारियों को जवाब दिया।
आयकर मामला	21.69	21.69	यह मामला निर्धारण वर्ष 2018-19 केलिए शुरू किया गया था और कर निर्धारण अधिकारी ने आय को वापस जोड दिया था, बिना उस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिए। चूंकि उस समय कंपनी एनसीएलटी प्रक्रिया के अधीन थी, इसलिए कंपनी अपील दायर नहीं कर सकी, लेकिन बाद में माफी मांगी गई और अपील दायर की गई। यह मामला कर अधिकारियों के पास अपील में लंबित है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 45: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

i. कर संबंधी मामले	31 मार्च 2026 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
ii) मनी सूट			
वादी: कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	262.76	262.76	पोर्ट ने 28/03/2014 को कोच्चि में माननीय उप न्यायालय के समक्ष 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 105 लाख रुपये की राशि वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था। जो कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर देखी गई विनिर्माण त्रुटियों को ठीक करने के लिए सीओपीटी द्वारा खर्च किया गया था। मामला मध्यस्थता के लिए अदालत में लंबित है।

उपरोक्त मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमा लंबित नहीं है।

नोट 46. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2025-26	2024-25
श्री जोस वी जे अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (01.02.2026 से अध्यक्ष)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (31.01.2026 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (31.05.2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (31.05.2025 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री षिराज़ वी पी निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (23.07.2025 से)	-
डॉ हरिकृष्णन एस निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (23.07.2025 से)	-
श्री राजेष गोपालकृष्णन निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (30.10.2024 से)
श्रीमती अंजना के आर निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शंकर नटराज मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान: कोचीन)	नियंत्रक कंपनी	नियंत्रक कंपनी
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान: कोलकाता)	मुख्य संगी सहायक कंपनी	मुख्य संगी सहायक कंपनी

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 46. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण(जारी..)

लेनदेन की प्रकृति- मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक।

(₹ लाखों में)

विवरण	2025-26	2024-25
श्री हरिकुमार ए		
अल्पकालीन लाभ	38.60	34.99
रोजगार के बाद के लाभ- उपदान	3.25	1.77
कुल	**41.85**	**36.76**
श्री शंकर नटराज		
अल्पकालीन लाभ	33.88	31.65
रोजगार के बाद के लाभ- उपदान	1.96	0.48
कुल	**35.84**	**32.13**
श्री अश्विन शर्मा एम		
अल्पकालीन लाभ	11.45	10.15
रोजगार के बाद के लाभ- उपदान		
कुल	**11.45**	**10.15**

हॉल्डिंग कंपनी पर बकाया शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
प्राप्तियां	1.11	1.11
देय	21.72	19.42
उधार पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	18.64	31.86
गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र	1,000.00	1,000.00
ऋण	500.00	500.00

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये का मौजूदा ऋण चुका दिया है और 5 करोड़ रुपये का नया ऋण लिया है।

लेनदेन की प्रकृति - नियंत्रक कंपनी सहित संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	2025-26	2024-25
भुगतान किया गया सेंकडमेंट शुल्क (जीएसटी को छोडकर)	130.46	130.41
सेवाओं की खरीद (जीएसटी सहित)	-	13.34
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को माल की बिक्री (जीएसटी सहित)	-	-
ऋण पर ब्याज व्यय	27.94	27.50
गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र पर ब्याज व्यय	60.00	60.00
इंजीनियरिंग कार्यों पर राजस्व	61.62	-
पोत मरम्मत से राजस्व	-	-
इक्विटी शेयरों का आबंटन	-	-
संपर्क शुल्क प्राप्त हुआ	-	-

नियंत्रण कंपनी के साथ सभी लेन-देन उन समान शर्तों पर किए गए थे जो निष्पक्ष लेन-देन में प्रचलित थे।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 46. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

(₹ लाखों में))

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
मधु एस नायर, अध्यक्ष 31.01.2026 तक	-	10
बिजोय भास्कर, निदेशक 31.05.2025 तक	-	10
जोस वी जे, निदेशक, अध्यक्ष 01.02.2026 से	10	10
श्रीजित के नारायणन, निदेशक, 31.05.2025 तक	-	10
हरिकुमार ए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10	10
डॉ हरिकृष्णन एस, निदेशक 23.07.2025 से	10	-
श्यामकमल एन, कंपनी सचिव- सीएसएल	10	-
राजेष गोपालकृष्णन, निदेशक	10	-
अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव- यूसीएसएल	10	10

नोट 47. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों केलिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने केलिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर । इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं केलिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर ॥ इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता केलिए विचार योग्य है।

स्तर ॥। इनपुट, परिसंपत्ति या देयता केलिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर चालू			
अन्य	41.06	38.09	स्तर ॥।
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	1,253.89	78.43	स्तर ॥।
(ii) रोकड व रोकड समतुल्य	2,129.67	16.37	स्तर ॥।
(iii)बैंक शेष (ii) को छोडकर	3,031.00	1,755.99	स्तर ॥।
(iv)ऋण	-	-	स्तर ॥।
(iv)अन्य	3,176.40	4,614.37	स्तर ॥।
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**9,632.02**	**6,503.25**	
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू			
(i) उधार	1,500.00	1,000.00	स्तर ॥।
(ii) पट्टा देयताएं	535.43	594.37	स्तर ॥।
(iii)अन्य वित्तीय देयताएं	-	19.98	स्तर ॥।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग़दृद्यड्ड 47. वित्तीय साधन (जारी..)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को	अनुक्रम
चालू			
(i) उधार	3,985.62	4,844.04	स्तर III
(ii) देय व्यापार	4,960.58	5,002.42	स्तर III
(iii) पट्टा देयताएं	114.82	53.88	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	5,887.43	2,645.79	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	**16,983.88**	**14,160.48**	

नोट:

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।

ऋण, उधार, बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरीइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2026 को			31 मार्च 2025 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर
वित्तीय परिसंपत्ति						
व्यापार प्राप्तियां	–	–	1,253.89	–	–	78.43
नकद और नकद समकक्ष	–	–	2,129.67	–	–	16.37
बैंक शेष	–	–	3,031.00	–	–	1,755.99
अन्य वित्तीय संपत्ति	–	–	3,217.46	–	–	4,652.46
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**-**	**-**	**9,632.02**	**-**	**-**	**6,503.25**
वित्तीय देयताएं						
उधार	–	–	5,485.62	–	–	5,844.04
व्यापार देय	–	–	4,960.58	–	–	5,002.42
अन्य वित्तीय देयताएं	–	–	6,537.68	–	–	3,314.02
कुल वित्तीय देयताएं			**16,983.88**	**-**	**-**	**14,160.48**

नोट 48 - वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

गौण के अलावा कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और ग्राहकों से प्राप्त अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकदी और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है और साथ ही विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने वाली नीतियां प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए गौण सहित वित्तीय उपकरणों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 48 - वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी जोखिम। बाज़ार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों और निश्चित दर के साथ होल्डिंग कंपनी से ऋण से संबंधित है जैसा कि नोट 19 और 24 में बताया गया है। दीर्घकालिक निश्चित दर उधार की वर्तमान प्रोफ़ाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण प्रदर्शन का उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है) से संबंधित है। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखित जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ अग्रिम अनुबंध करके निवल विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम अनुबंध का खुलासा नोट 43 में दिया गया है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम में जोखिम, हेज जोखिम के निवल रूप में आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा करके) में व्यक्त किया गया है:

(₹ लाखों में)

विवरण		31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-
वित्तीय देयताएं		48.02	1,856.38
	यूएसडी	6.88	77.11
	ईयूआर	35.15	1,463.51
	जीबीपी	0.84	5.69
	एनओके	5.15	307.43
	एईडी	-	1.42
	एसजीडी	-	1.22

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदें शामिल हैं, जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव से निवल हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन केलिए उनके अनुवाद को समायोजित करता है, जबकि अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी मुद्रा दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 48 - वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्तीय देनदारियों पर प्रभाव	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
यूरो - ₹ में 5% की मज़बूती	(1.76)	(73.18)
यूरो - ₹ में 5% की कमज़ोरी	1.76	73.18
यूएसडी - ₹ में 5% की मज़बूती	(0.34)	(3.86)
यूएसडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	0.34	3.86
एनओके - ₹ में 5% की मज़बूती	(0.26)	(15.37)
एनओके - ₹ में 5% की कमज़ोरी	0.26	15.37
जीबीपी - ₹ में 5% की मज़बूती	(0.04)	(0.28)
जीबीपी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	0.04	0.28
एईडी - ₹ में 5% की मज़बूती	-	(0.07)
एईडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	-	0.07
एसजीडी - ₹ में 5% की मज़बूती	-	(0.06)
एसजीडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	-	0.06

(₹ लाखों में)

विवरण	कर से पहले लाभ पर प्रभाव का विवरण	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
यूरो - ₹ में 5% की मज़बूती	1.76	73.18
यूरो - ₹ में 5% की कमज़ोरी	(1.76)	(73.18)
यूएसडी - ₹ में 5% की मज़बूती	0.34	3.86
यूएसडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	(0.34)	(3.86)
एनओके - ₹ में 5% की मज़बूती	0.26	15.37
एनओके - ₹ में 5% की कमज़ोरी	(0.26)	(15.37)
जीबीपी - ₹ में 5% की मज़बूती	0.04	(5.69)
जीबीपी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	(0.04)	(5.69)
एईडी - ₹ में 5% की मज़बूती	-	(1.42)
एईडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	-	(1.42)
एसजीडी - ₹ में 5% की मज़बूती	-	(1.22)
एसजीडी - ₹ में 5% की कमज़ोरी	-	1.22

ग. कमोडिटी मूल्य जोखिम

कंपनी कुछ वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित होती है। इसकी प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, प्रमुख मशीनरी, उपकरण आदि की खरीद की आवश्यकता होती है। कंपनी अपना कच्चा माल मुख्य रूप से तीसरे पक्ष से खुले बाजार में खरीदती है। इसलिए कंपनी प्राथमिक कच्चे माल के इनपुट के रूप में स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है। कंपनी का लक्ष्य तैयार उत्पादों को पक्के अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर उचित विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। इसलिए, कंपनी कीमत को अनुकूलित करने के लिए अपनी खरीद की बारीकी से योजना बनाती है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होती है और अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति में विषम होते हैं, इसलिए कमोडिटी जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम न्यूनतम होता है।

चलनिधि जोखिम

यह जोखिम कि किसी इकाई को वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य के करीब की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता है। कंपनी प्रचालन के लिए पर्याप्त

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 48 - वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, और जब भी आवश्यक हो, इक्विटी फंड का निवेश करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकदी समकक्षों के साथ अल्पावधि और दीर्घकालिक में चलनिधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके नीचे दर्शाए अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	>3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति			
प्राप्य व्यापार	1,253.89	-	-
रोकड व रोकड समतुल्य	2,129.67	-	-
बैंक शेष	3,031.00	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,897.28	320.18	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**9,311.84**	**320.18**	**-**
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू:			
उधार	-	-	1500.00
पट्टा देयता		-	535.43
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-
चालू:			
उधार	3,985.62	-	-
पट्टा देयता	114.82	-	-
देय व्यापार	4,960.58	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	5,887.43	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	**14,948.45**	**-**	**2,035.43**

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	>3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति			
प्राप्य व्यापार	76.75	1.68	-
रोकड व रोकड समतुल्य	16.37	-	-
बैंक शेष	1,755.99	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,332.28	320.18	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**6,181.39**	**321.86**	**-**
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू:			
उधार	-	-	1000.00
पट्टा देयता		-	594.37
अन्य वित्तीय देयताएं	-	19.98	-
चालू:			
उधार	4,844.04	-	-
पट्टा देयता	53.88	-	-
देय व्यापार	5002.42	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2645.79	-	-
कुल वित्तीय देयताएं	**12,546.13**	**19.98**	**1,594.37**

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि एक प्रतिपक्षी किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय उपकरणों सहित अपनी वित्तपोषण गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। दिनांक 31.03.2026 को तुलन पत्र के घटकों के लिए कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम नोट संख्या 12 व 16 में उल्लिखित राशि है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 49. भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अनुसार प्रकटीकरण

क. रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के भीतर और बारह महीनों के बाद (लेकिन प्रचालन चक्र के भीतर) वसूली जानेवाली वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
मालसूची	10,456.28	-	10,456.28
प्राप्य व्यापार	1,253.89	-	1,253.89
रोकड व रोकड समतुल्य	2,129.67	-	2,129.67
बैंक शेष	3,031.00	-	3,031.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,856.22	320.18	3,176.40
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14,573.45	7,413.90	21,987.35

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के भीतर और बारह महीनों के बाद किया जाना अपेक्षित है (लेकिन प्रचालन चक्र के भीतर)

(₹ लाखों में)

विवरण	ऋण दृद 31.03.2026		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
पट्टा देयताएं	114.82	-	114.82
बैंकों से	3,485.62	-	3,485.62
होल्डिंग कंपनी से	500.00	-	500.00
व्यापार देयताएं	4,960.58	-	4,960.58
अन्य वित्तीय देयताएं	5,887.43	-	5,887.43
अन्य चालू देयताएं	(64.68)	16,457.34	16,392.66
प्रावधान	940.68	-	940.68

(₹ लाखों में))

विवरण	31 मार्च 2025 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
मालसूची	11,654.43	-	11,654.43
व्यापार प्राप्य	78.43	-	78.43
नकद और नकद समकक्ष	16.37	-	16.37
बेंक शेष राशि	1,755.99	-	1,755.99
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,294.19	320.18	4,614.37
अन्य चालू परिसंपत्तियां	14,123.67	6,077.68	20,201.35

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
उधार			
पट्टा देयताएं	53.88	-	53.88
बैंकों से	4,344.04	-	4,344.04
हॉल्डिंग कंपनी से	500.00	-	500.00
व्यापार देय	5,002.42	-	5,002.42
अन्य वित्तीय देयताएं	2,645.79	-	2,645.79
अन्य चालू देयताएं	4,014.27	16,457.34	20,471.61
प्रावधान	727.95	-	727.95

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 50. भारतीय लेखा मानक 108 प्रचालन खंड के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी एक ही रिपोर्ट योग्य खंड अर्थात् पोत निर्माण के अंतर्गत कार्यरत है, क्योंकि अन्य व्यावसायिक खंड महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग से संबंधित प्रकटीकरण इस पर लागू नहीं होता। हालांकि, नीचे दिए गए प्रकटीकरण पारदर्शिता के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	39,633.49	30,263.01
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	14,980.32	22,316.40
कुल	**54,613.81**	**52,571.95**
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	9,762.79	10,459.77
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	24,675.75	24,945.19
कुल	**34,438.54**	**35,441.86**
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	61,789.88	26,563.60
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	1,231.41	1,298.52
कुल	**63,021.29**	**27,862.12**
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	18,120.38	2,493.68
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	(4,952.59)	(1,634.94)
कुल	**13,167.79**	**858.74**

अनाबंटित परिणाम वित्त लागत 650.11 लाख रुपए (वार्षिक वर्ष 183.60 लाख रुपए) पर विचार करने के बाद प्राप्त किए गए हैं।

कंपनी भारत में कार्यरत है और अलग-अलग जोखिम और रिटर्नवाले आर्थिक वातावरण में इसका संचालन नहीं होता है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में प्रचालन करनेवाला माना जाता है। वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियां कंपनी ने एकल प्रचालन खंड से संबंधित हैं।

ऐसे एकल बाह्य ग्राहकों का विवरण जिनके साथ लेनदेन से प्राप्त राजस्व इकाई के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

विवरण	सेंगमेंट	31 मार्च 2026 को		31 मार्च 2025 को	
		राशि	कुल राजस्व का प्रतिशत	राशि	कुल राजस्व का प्रतिशत
ग्राहक 1	पोत निर्माण	46563.68	75.33%	19390.17	73.00%
ग्राहक 2	पोत निर्माण	11458.95	18.54%	5785.75	21.78%

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 51 क : वित्त पोषण गतिविधियों के संबंध में भारतीय लेखा मानक 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	दिनांक 01 अप्रैल 2025 को आरंभिक शेष राशि	नकदी प्रवाह	गैर-नकद लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क	31 मार्च 2026 को समापन शेष राशि
शेयर पूंजी जारी करना	10,800.00	-	-	10,800.00
गैर चालू उधारी	1,500.00	-	-	1,500.00
कार्यशील पूंजी उधारी		(358.42)	-	3,985.62
	16,644.04	**(358.42)**	**-**	**16,285.62**
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/(हानि)		(811.81)		
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ/(हानि)		(1,128.99)		
उधार पर दिया गया ब्याज		(527.69)		
अन्य मदें (भारतीय लेखा मानक 116) पट्टा भुगतान - मूलधन और ब्याज भाग		-		
वित्तीय गतिविधियों के कारण कुल नकदी प्रवाह		**(2,826.91)**		

(₹ लाखों में)

विवरण	दिनांक 01 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष राशि	नकदी प्रवाह	गैर-नकद लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क	31 मार्च 2025 को समापन शेष राशि
शेयर पूंजी जारी करना	10,800.00	-	-	10,800.00
गैर चालू उधारी	1,500.00	-	-	1,500.00
कार्यशील पूंजी उधारी		4,344.04	-	4,844.04
	12,300.00	**4,344.04**	**-**	**17,144.04**
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/(हानि)		52.85		
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ/(हानि)		282.16		
उधार पर दिया गया ब्याज		(121.21)		
अन्य मदें (भारतीय लेखा मानक 116) पट्टा भुगतान - मूलधन और ब्याज भाग		(57.82)		
वित्तीय गतिविधियों के कारण कुल नकदी प्रवाह		**4,500.02**		

नोट 51. ख पुनर्समूहन के संबंध में प्रकटीकरण

उपरोक्त सभी मामलों में तुलनात्मक वर्षों के आंकडे तदनुसार पुनर्समूहित किए गए हैं। उपर्युक्त पुनर्समूहन बेहतर प्रस्तुतिकरण और होल्डिंग कंपनी के प्रकटीकरण के साथ संरेखित करने केलिए किया गया है।

नोट 51. ग. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने केलिए शेयरधारकों केलिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य केलिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों केलिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 51. ग. पूंजी प्रबंधन (जारी..)

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने केलिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
गैर चालू उधार राशियां (दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल है)	1500.00	1500.00
चालू उधार राशियां	3985.62	4344.04
निवल ऋण	**5485.62**	**5844.04**
इक्विटी शेयर पूंजी	10800.00	10800.00
अन्य इक्विटी	9375.27	5873.52
शेयरधारकों की इक्विटी	**20175.27**	**16673.52**
गियरिंग अनुपात	**27.19%**	**35.05%**

नोट 52. अनुपात

अनुपात	अंश- गणक	विभाजक	2025-26	2024-25	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन होने पर टिप्पणी करें
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.30	1.14	14%	-
ऋण- इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.27	0.09	200%	चालू वर्ष में अल्पकालिक ऋण जोड़े गए हैं जो पिछले वर्ष नहीं लिए गए थे। परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 का अनुपात 0.35 होगा और प्रतिशत विचलन 24% होगा।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा केलिए कमाई *	ऋण सेवा *	20.78	8.57	142%	कंपनी ने बेहतर कारोबार के कारण वर्ष के दौरान बेहतर लाभ अर्जित किया।
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	कर पश्चात निवल लाभ- अधिमान लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.501	0.016	3031%	कंपनी ने बेहतर कारोबार के कारण वर्ष के दौरान बेहतर लाभ अर्जित किया।
मालसूची कारोबार अनुपात	बिक्री	औसत मालसूची	5.59	3.03	84%	पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	बिक्री	औसत प्राप्य खाता	92.79	66.42	40%	इस अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि
व्यापार देय कारोबार अनुपात	निवल ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	5.64	5.27	7%	-
निवल पूंजी कारोबार अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	6.34	5.81	9%	-
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	निवल बिक्री	0.15	0.010	1411%	पिछले साल की तुलना में कंपनी का पीएटी बेहतर हुआ है
नियोजित पूंजी पर वापसी (आरओसीआई)	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी	0.58	0.07	729%	लाभ में वृद्धि और बेहतर प्रस्तुति के लिए सूत्र में परिवर्तन के कारण, सूत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 का अनुपात 0.05 होगा और प्रतिशत विचलन 940% होगा।
निवेश पर वापसी	पीएटी	निवेश की गई राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	-	कंपनी द्वारा कोई निवेश नही किया गया

* ऋण सेवा केलिए आय = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 53. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने दिनांक 25 सितंबर 2018 के अपने आदेश के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अक्तूबर 2019 में ऋणदाताओं की समिति को उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण केलिए समाधान योजना प्रस्तुत की। माननीय एनसीएलटी ने दिनांक 04 मार्च 2020 को अपने आदेश के माध्यम से सीएसएल को सफल समाधान आवेदक घोषित किया। सीएसएल द्वारा 65 करोड रुपए की बोली राशि भुगतान किया गया और समाधान योजना का एक बडा हिस्सा लागू किया गया और वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में लेखा बहियों में इसका लेखा-जोखा रखा गया।

एनसीएलटी के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के संबंध में, कंपनी को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने केलिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।

नोट 54. अन्य सांविधिक जानकारी

क) भूमि और भवन जैसी सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़, जो फ्रीहोल्ड हैं, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम पर हैं। भूमि और भवन जैसी अचल संपत्तियों के संबंध में, जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और वित्तीय विवरणों में उपयोग के अधिकार के रूप में दर्शाया गया है, पट्टा समझौते कंपनी के नाम पर हैं।

ख) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पूरी श्रेणी के लिए अपनी लेखांकन नीति के रूप में लागत मॉडल अपनाया है।

ग) कंपनी ने समर्थकों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भुगतान की किसी भी शर्त या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जाना है।

घ) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे रिपोर्टिंग तिथि पर लिया गया था।

ड़) समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित पंजीकरण, संशोधन और शुल्कों की संतुष्टि, जहां भी लागू हो, निर्धारित समय के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई थी।

च) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

छ) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक विवरणों या विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं।

ज) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

झ) कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

ट) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

ठ) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) 'मध्यस्थ') इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा।कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 54. अन्य सांविधिक जानकारी (जारी..)

ड) कंपनी का कोई भी लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभिभूत या खुलासा किया गया हो।

ढ़) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या प्रत्यक्ष मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए, इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते हैं।

ण) अनुबंधों/उप-अनुबंधों के मामले में, जहां भी ठेकेदारों द्वारा वर्ष के अंत तक किए गए कार्य केलिए अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, वहां किए गए कार्य के आधार पर देयता का अनुमान लगाया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

त) कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों, जिनमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, से संबंधित संभावित महत्वपूर्ण हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू कानूनों अथवा लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया है।

थ) कंपनी ने अपने खातों की बहियों को बनाए रखने केलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) की सुविधा है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन केलिए लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा पूरे वर्ष संचालित होती रही है और कंपनी को लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेडछाड का कोई मामला सामने नहीं आया।

द) कंपनी के पास, सभी भौतिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

ध) निदेशक मंडल की राय में, तुलन पत्र के नोट 7 से 16 में उल्लिखित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और वर्तमान परिसंपत्तियां (मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां और निवेशों के अलावा) शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्ति पर मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उल्लिखित राशि से कम नहीं होगा।

55. पिछले वर्ष के आंकडे को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि केलिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

56. कोष्ठक के आंकडे शून्य आंकडे को दर्शाता है।

कंपनी का अवलोकन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - 1-3

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ - 4-56

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम	**शंकर नटराज**	**हरिकुमार ए**	**जोस वी जे**	**डॉ हरिकृष्णन एस**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष	निदेशक
स.सं. A41969			डीआईएन -08444440	डीआईएन -10221559

कृते के पी कंचन व कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 027635S

सी.ए. के पद्मनाभन कंचन
साझेदार
सदस्यता सं 201382
यूडीआईएन: 26201382LFCRYI8500
स्थान : उडुपी
दिनांक: 24-04-2026

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार 15 सितंबर, 2026 को 10.45 बजे भा.मा.स. पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च, 2026 तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2. डॉ. हरिकृष्णन एस. (डीआईएन : 10221559) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं।

3. श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन : 09576336) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यापार

5. लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, कंपनी इसके द्वारा 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए मात्र) के पारिश्रमिक के साथ-साथ लागू करों और वास्तविक रूप से खर्च किए गए अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति मेसर्स बीबीएस एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 00273) को देय करने की पुष्टि करती है, जिन्हें दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी के लागत रिकॉर्ड से संबंधित लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।"

'**इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया गया कि** कंपनी के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को सभी कार्य करने और सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।'

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

वासु
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A76813

कोच्ची
सितंबर 04, 2025

टिप्पणी :

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने 22 सितंबर, 2025 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 को 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 42वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थान माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

3. नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

4. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार, निदेशकों, जो पुनर्नियुक्ति चाहते हैं, का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस में संलग्न है।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति समाप्त कर दी गई है और इसलिए एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निकाय कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति कंपनी को ई-मेल के माध्यम से secretary@udupicsl.com पर भेजें, जो उनके प्रतिनिधियों को एजीएम में भाग लेने और उसकी ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत करता हो।

6. दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सदस्यों के अनुरोध पर इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य हार्ड कॉपी के लिए अपना अनुरोध secretary@udupicsl.com पर भेज सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 कंपनी की वेबसाइट https://udupicsl.com/ और नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/ पर भी उपलब्ध होगी।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए रजिस्टर और नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसारित होने की तिथि से एजीएम की तिथि तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य, secretary@udupicsl.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

8. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को कम समय के नोटिस पर आयोजित करने का प्रस्ताव है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को कम समय के नोटिस पर आयोजित करने की सहमति के लिए अनुरोध इस नोटिस के साथ संलग्न है और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तभी आयोजित की जाएगी जब वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो जाएगी।

9. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शामिल होने के निदेश निम्नानुसार हैं:

 (क) सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डिजिटल मीटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।

 उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 42वीं एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक

 मीटिंग आईडी: 465 232 492 413 985

 पासकोड: qn99Xm3Q

 (ख) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी।

 (ग) एजीएम में भाग लेने के लिए किसी भी सहायता के लिए, सदस्य कंपनी सचिव से 0484 2501926 पर संपर्क कर सकते हैं या secretary@udupicsl.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

 (घ) मतदान के मामले में वोट डालने के लिए निर्दिष्ट ईमेल आईडी secretary@udupicsl.com. है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के लिए विवरण

मद सं. 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की धारा 148 के अनुसरण में कंपनियों (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमों, 2014 के साथ पढित, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है।

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को आयोजित अपनी 38 वीं बैठक (सीआईआरपी पश्चात्) में बोर्ड ने मेसर्स बीबीएस एसोसियेट्स लागत लेखाकार, कोच्ची (फर्म पंजीकरण संख्या 00273) को 75,000 रुपए का पारिश्रमिक/- (केवल पचहत्तर हजार रुपए) प्लस लागू करों और वास्तविक पर अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियमों, 2014 के नियम 14 के साथ पढित, कंपनी के सदस्यों द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को पुष्टि करने की आवश्यकता है।

बोर्ड तदनुसार एक साधारण संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के लिए नोटिस के मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी/ उनके रिश्तेदारों के निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में से कोई भी किसी भी तरह से, संबंधित या रुचि, आर्थिक रूप से या अन्यथा, नोटिस के मद सं. 5 पर संकल्प में नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

वासु
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A76813

कोच्ची
सितंबर 04, 2026

पंजीकृत कार्यालय
एस सं. 377, पष़माथुर ग्राम
पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम – 603 116
सीआईएन : U27209TN1984GOI010994
ई-मेल : *secretary@udupicsl.com*
वेबसाइट : *https://udupicsl.com/*

शेयरधारकों की सहमति

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार]

सेवा में
निदेशक मंडल
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
एस.सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम – 603 116

मैं..... के पुत्र/पुत्री

..... का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयर रखता हूँ, एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार, दिनांक 15 सितंबर, 2026 को कम समय के नोटिस पर कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने केलिए सहमति देता हूँ ।

हस्ताक्षर :

नाम :

स्थान :

दिनांक :

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण

[भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के अनुसार]

निदेशक का नाम	डॉ हरिकृष्णन एस
डीआईएन	10221559
आयु और जन्म तिथि	57 वर्ष और 29 मई, 1969
योग्यता	डॉ. हरिकृष्णन एस. ने यांत्रिक अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक, उत्पादन अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर उपाधि , अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी में दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट (पीएच.डी.) की उपाधियाँ प्राप्त की हैं।
अनुभव	डॉ. हरिकृष्णन एस. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो नियंत्रण कंपनी है, में निदेशक (प्रचालन) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने डिजाइन, निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, खरीद, योजना तथा परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। वे सीएसएल की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) के निदेशक भी हैं तथा सीएसएल और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच गठित संयुक्त उद्यम कंपनी ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।
पुन: नियुक्ति की शर्तें और नियम	डॉ. हरिकृष्णन एस. को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. हरिकृष्णन एस. के निदेशक पद पर तब तक बने रहने के लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी गई है, जब तक कि उनका नामांकन वापस नहीं ले लिया जाता। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक और अंतिम आहरित राशि का विवरण (वि.व. 2025-26)	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	जुलाई 23, 2025
कंपनी में रखे गए शेयरों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से रखे जाते हैं)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	4/5
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोडकर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (3) ग्रीन मैरीटाइम प्रोपल्शन प्राइवेट लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता /अध्यक्षता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (क) हितधारक संबंध समिति - सदस्य (ख) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य (ग) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति - सदस्य

निदेशक का नाम	श्री राजेष गोपालकृष्णन
डीआईएन	09576336
आयु और जन्म तिथि	55 वर्ष और 05 जुलाई 1971
योग्यता	श्री राजेष गोपालकृष्णन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) की डिग्री तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) की डिग्री प्राप्त की है।
अनुभव	श्री राजेश गोपालकृष्णन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), जो नियंत्रक कंपनी है, में निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें पोत निर्माण, पोत मरम्मत एवं रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। उन्हें व्यावसायिक रणनीति, व्यवसाय विकास, लागत निर्धारण, संविदा प्रबंधन, खरीद, योजना, परियोजना प्रबंधन, बिलिंग, बिक्री उपरांत सेवाओं तथा ग्राहक संबंधों सहित व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सीएसएल की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) में भी निदेशक हैं, जहाँ उन्होंने प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य किया था।
पुनः नियुक्ति की शर्तें और नियम	श्री राजे गोपालकृष्णन को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री राजेश गोपालकृष्णन के निदेशक पद पर तब तक बने रहने के लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी जा रही है, जब तक कि उनका नामांकन वापस नहीं लिया जाता। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक और अंतिम आहरित राशि का विवरण (वि.व. 2025-26)	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	अक्तूबर 30, 2024
कंपनी में रखे गए शेयरों की संख्या	10 (सीएसएल की ओर से)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	7/7
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोडकर)	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 2.हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता /अध्यक्षता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (क) हितधारक संबंध समिति - सदस्य (ख) जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य (ग) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति - सदस्य

टिप्पणी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पष़माथुर ग्राम
पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु- 603116

सीआईएन : U27209TN1984GO1010994

a K&A creation | www.kalolwala.com



UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED

Annual Report
2025-26

Accelerating Momentum

Delivering Excellence

What's Inside

Corporate Overview 01-11

Corporate Information	**01**
Our Guiding Principles	**02**
About Us	**04**
Highlights of the Year 2025-26	**05**
Chairman's Address	**06**
Board of Directors	**08**
Leadership Team	**10**

Statutory Reports 12-39

Directors' Report	**12**
Report on Corporate Governance	**28**
Management Discussion and Analysis Report	**33**

Financial Statements 40-117

Independent Auditors' Report	**41**
Comments of the C&AG	**55**
Balance Sheet	**56**
Statement of Profit and Loss	**57**
Statement of Changes in Equity	**58**
Statement of Cash Flows	**60**
Notes to Financial Statements	**62**

Notice 118-123

AGM Notice	**118**



Corporate Information

BOARD OF DIRECTORS

Shri Jose V J
Chairman

Dr. Harikrishnan S
Non – Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non – Executive Director

Shri Shiraz V P
Non – Executive Director

Smt. Anjana K R
Non – Executive Director

COMPANY SECRETARY

Shri Aswin Sarma M
(up to April 24, 2026)

Shri Vaasu
(w.e.f. April 25, 2026)

REGISTERED OFFICE

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post
Madurantakam Taluk
Kancheepuram
Tamil Nadu – 603 116

CIN: U27209TN1984GOI010994

LEADERSHIP TEAM

Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shankar Nataraj
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Ambalavanan M
Chief Operating Officer (COO)

KEY PERSONNEL

Shri Harikishen E S
DGM (Operations)

Shri Pradeep K
DGM (Operations)

Shri Sony Clement T M
AGM (I/c Materials)

Smt. K K Triveni
AGM (U&M, Yard Planning & HSE)

Shri Haleel M Jalal
AGM (SOF & AOF)

Shri Gokul P N
AGM (Contract Cell & BD)

Shri L K Prabhakar
AGM (Hull & Painting)

Shri Sachithlal Padmanabhan
AGM (Electrical Design)

Shri Jaison Jose Chirayath
AGM (Quality Control & Planning)

Shri Narayananpotti R
Consultant (Finance)

FACILITIES

Udupi, Karnataka
Chengalpattu, Tamil Nadu

STATUTORY AUDITORS

M/s. K P Kanchan & Co.
Chartered Accountants
Holy Family Complex
Brahmavar, Udupi
Karnataka – 576 213

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SVJS & Associates
Company Secretaries
65/2364A, Ponoth Road
Kaloor, Kochi
Ernakulam, Kerala – 682 017

COST AUDITORS

M/s. BBS & Associates
Cost Accountants
62/102, First Floor
Nenmanassery Illom
Illom Road, Off Paliam Road
Ernakulam, Kerala – 682 016

INTERNAL AUDITORS

M/s. Shebin & Associates
Chartered Accountants
3rd Floor, Khadeeja Building
Ernakulam North
Ernakulam, Kerala – 682 018

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
The Federal Bank Limited
The South Indian Bank Limited

Our Guiding Principles

VISION

- Emerge as one of the internationally preferred shipyards to construct world class tug boats, deep sea fishing vessels, offshore supply vessels and special purpose ships of up to 80 meters in length.
- Spearhead the transformation of Indian fishing fleet to engineered fishing boats, aimed at wholesome development of the fishermen of the country.
- Emerge as the market leader in aluminium hull construction in the country.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.

MISSION

- To build and repair tug boats, specialised fishing vessels and special purpose ships of up to 80 meters length to international standards and provide value added quality engineering services, sustain corporate growth in competitive environment and adopt & undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

OBJECTIVES

- To sustain and enhance shipbuilding and specialised engineering services through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the Shipyard leveraging facilities of the Company in the states of Karnataka and Tamil Nadu.
- To work with the parent organisation Cochin Shipyard Limited, in carrying out research & development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programs.
- To adopt best practices for clean and safe environment.
- To adopt proactive approach to opportunities with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.
- To ensure positive customer-oriented initiatives.
- To be a responsible corporate citizen through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.



About Us

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) is a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a premier public sector shipyard in India. Udupi-CSL became part of CSL group in September 2020 by way of an acquisition by CSL under the IBC process.

The Company was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited' on July 09, 1984 as a private non government company operating from Chennai. Subsequently, the Company became public and changed the name to 'Tebma Shipyards Limited'. The Company initially focused on building Tugs and later entered into offshore vessels segment with a significant cooperation with CSL during 2003 – 2014 for the construction of 8 Platform Supply Vessels for Europe and 4 Anchor Handling Tugs for Indian client at CSL, Kochi. Subsequently, the Company expanded by setting up a new shipyard at Udupi and built a wide range of small and medium sized vessels like tugs, offshore vessels, high end geo technical research vessels, dredgers etc.

However, the global financial crisis in 2007-08 resulted in order cancellations and a gradual decline in business momentum, leading to the initiation of insolvency proceedings in September 2018. Consequently, CSL took over the Company in September 2020, revamped the facilities and resumed operations in July, 2021. Subsequently, on April 22, 2022 the name of the Company was changed to Udupi Cochin Shipyard Limited.

Since becoming part of CSL Group, Udupi-CSL has undergone a remarkable transformation, swiftly evolving into a trusted and capable shipbuilder in the small to medium-sized vessel segment. The Company has steadily established a reputation for reliability, quality craftsmanship and timely delivery, catering to a diverse clientele across both domestic and international markets. Backed by excellent execution capabilities, robust infrastructure and a healthy order book, the Company is well positioned for sustainable growth and long-term value creation.

Udupi-CSL has two facilities; one in Udupi, Karnataka and the other in Chengalpattu, Tamil Nadu. The Company's facility at Udupi possesses an infrastructure including a modern Steel Fabrication unit which is considered as one of the best in the country amongst medium sized shipyards.



Highlights of the Year 2025-26

Successfully delivered two **70T** Bollard Pull Tugs and four Future Proof **3800 TDW** Dry Cargo Vessels.

Secured work-share arrangements with Cochin Shipyard Limited (CSL) for the construction of eight vessels including two **70T** Bollard Pull Tugs, two **60T** Green Tugs (Electric) and four **70T** Electric Harbour Escort Tugs.

₹2,000+ Crores
Order book value as on March 31, 2026.

₹63,021.29 Lakhs
Revenue from Operations, a YoY growth of 126.19%.

₹9,338.76 Lakhs
Profit after tax, achieving a substantial YoY growth.

Business Segment

- Tugs and Coastal vessels
- Medium sized Auxiliary vessels for Defence
- Short Sea and Coastal Vessels for Europe
- Specialised Vessels / Factory Vessels for Europe
- Small fishing vessels – on a 'productised mode' as ready-to-buy vessels for Indian Fishing Community
- Engineering Fabrication Projects for Maritime Industry

Chairman's Address



Udupi-CSL continued to make strong progress in vessel construction, delivery and order acquisition. During the year, the Company successfully delivered six vessels, comprising four Future Proof 3,800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway and two 70T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited.

Dear Shareholders,

As we reflect on the year gone by, it gives me great pleasure to present the Annual Report of Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) for the financial year 2025–26. The year under review has been one of significant achievement and strong growth for the Company, marked by robust financial performance, improved operational execution, successful vessel deliveries and a strengthening order pipeline. Since becoming part of the Cochin Shipyard Limited (CSL) family in 2020, Udupi-CSL has progressed steadily from revival to a phase of sustained growth, supported by focused execution, operational discipline and a clear strategic vision. I am also pleased to note that the Company achieved an "Excellent" rating for the year under the Memorandum of Understanding (MoU) entered into with CSL, the holding company.

Financial Performance

The financial year 2025–26 has been a landmark year for Udupi-CSL, particularly in terms of financial performance. The Company recorded a total income of ₹63,021 lakhs, compared to ₹27,862 lakhs in the previous year, representing an impressive growth of 126%. Revenue from operations also increased significantly to ₹61,812 lakhs from ₹26,564 lakhs, registering a year-on-year growth of 133%. The improvement in operational performance translated into a substantial enhancement in profitability. Profit Before Tax (PBT) rose sharply to ₹13,168 lakhs from ₹859 lakhs in the previous year, while Profit After Tax (PAT) increased to ₹9,339 lakhs from ₹263 lakhs. The significant increase in financial performance was primarily driven by accelerated execution of vessel construction projects and our continued focus on timely project completion and efficient execution.

Operational Performance

Udupi-CSL continued to make strong progress in vessel construction, delivery and order acquisition. During the year, the Company successfully delivered six vessels, comprising four Future Proof 3,800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway and two 70T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited. The Company also completed its prestigious export order from Wilson ASA with the delivery of the fifth and sixth vessels during the early part of FY 2026–27.

Further strengthening the order pipeline, Udupi-CSL secured work-share arrangements from the holding company, CSL, for eight vessels, including electric and conventional tugs for Polestar Maritime Limited and Svitzer, Denmark. During the early part of FY 2026–27, the Company also delivered a 70T Bollard Pull Tug to Polestar Maritime Limited and secured orders for four additional 70T Bollard Pull Tugs from Ocean Sparkle Limited, reflecting the growing confidence of customers in Udupi-CSL's capabilities and execution strength.

People

As our operations continue to grow, our people remain central to Udupi-CSL's progress. During the year, the Company continued its recruitment efforts across technical, managerial, supervisory and workmen categories to meet its growing operational requirements. As on March 31, 2026, the Company had 189 employees, comprising 91 executives, 38 supervisors and 60 workmen, in addition to 19 trainees engaged under the apprenticeship programme. Employees from the holding company, CSL, also provide support when needed.

We remain committed to skill development, continuous learning and knowledge sharing, while fostering an environment that promotes professional growth and employee well-being. Notably, Udupi-CSL maintained cordial industrial relations throughout the year.

Health, Safety and Environment (HSE)

Safety remained a core priority across all operations at Udupi-CSL. We maintained our commitment to quality, environmental responsibility and occupational health and safety through its Integrated Management System (IMS) certifications under ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 14001:2015 (Environmental Management System) and ISO 45001:2018 (Occupational Health & Safety Management System). Regular training, audits and monitoring continued to strengthen our health, safety and environmental practices and our HSE performance remained satisfactory throughout the year.

As we expand our operations, we remain committed to maintaining a safe and healthy workplace for our employees, contractors and other stakeholders and to ensuring that increased production and business growth are achieved without compromising on safety standards.

Corporate Governance

The Company is committed to adopting the best Corporate Governance practices wherever possible and complies with the applicable DPE Guidelines on Corporate Governance. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. Further, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

Industry Outlook and Strategic Direction

The global shipbuilding industry continues to undergo significant transformation, driven by evolving maritime trade patterns, increasing demand for efficient and environmentally sustainable vessels, technological advancements and the transition towards greener shipping. At the same time, India is placing strong emphasis on building a globally competitive and self-reliant shipbuilding ecosystem, creating significant opportunities for Indian shipyards.

Udupi-CSL remains committed to supporting the Government of India's vision of a self-reliant and globally competitive maritime sector. In line with the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047, the Company is focused on strengthening its capabilities in the small and medium-sized vessel segment, including green and electric vessels. The adoption of the Approved Standard Tug Design and Specifications (ASTDS) framework for suitable domestic projects will further enable us to deliver standardised, efficient and cost-effective solutions for India's ports and maritime infrastructure.

Looking Ahead

With improved financial strength, demonstrated execution capabilities, an expanding market presence and an unexecuted order book exceeding ₹2,000 crores, Udupi-CSL is well positioned to pursue sustainable growth. We will continue to focus on the timely delivery of quality vessels, strengthening customer relationships and enhancing our capabilities to address the evolving requirements of the maritime industry.

With the continued support of Cochin Shipyard Limited and our unwavering focus on quality, efficiency and timely execution, we are confident of further strengthening Udupi-CSL's presence in both domestic and international markets and creating sustained value for all our stakeholders.

Acknowledgement

I take this opportunity to express my sincere appreciation to all our stakeholders for their continued trust and support. I extend my gratitude to the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Government of India, and the Governments of Karnataka and Tamil Nadu for their valuable guidance and encouragement. I also thank the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited and my fellow Board members for their continued support, valuable insights and strategic direction.

Our people remain at the heart of the Company's ability to deliver on its commitments and achieve sustainable growth. My heartfelt appreciation goes to the employees of Udupi-CSL, guided and inspired by the leadership of our CEO, CFO and COO. Their dedication, resilience and commitment to excellence have been instrumental in achieving the milestones recorded during the year. I also acknowledge the continued support of our valued customers, business associates, vendors and other stakeholders, whose confidence and cooperation remain integral to our progress.

Together, we look forward to building on the progress achieved during the year and steering Udupi-CSL towards a stronger, more resilient and sustainable future.

Thanking You

Jai Hind

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Board of Directors



Shri Jose V J
Chairman

Shri Jose V J is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Shri Jose V J assumed charge as the Chairman on February 01, 2026 consequent to the assumption of the addition charge of Chairman and Managing Director of CochinShipyard Limited (CSL), the holding company. He has been serving as the Director (Finance) and Chief Financial Officer of CSL since August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He was honoured with the Best CFO Award 2024 in Best Returns (Large Cap) category by Dalal Street Investment Journal. He has approximately 35 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Dr. Harikrishnan S
Non – Executive Director

Dr. Harikrishnan S was inducted to the Board of Udupi-CSL with effect from July 23, 2025. He was the Executive Director (Ship Building) of Cochin Shipyard Limited (CSL) and on August 27, 2025 was appointed as the Director (Operations) of CSL. He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, an MBA in International Business and a Doctorate (PhD) in Mechanical Engineering. He has around three decades of experience in shipbuilding and ship repair including design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management. He also serves as the Chairman of Green Maritime Propulsion Private Limited, the JV Company formed by CSL and HBL Engineering Limited. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non – Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan was re-inducted to the Board of Udupi-CSL with effect from October 30, 2024. He had also served as a Board Member of Udupi-CSL during the period from May 03, 2022 to January 05, 2024. He was the Executive Director (Ship Repair) of Cochin Shipyard Limited (CSL) and on August 27, 2025 was appointed as the Director (Technical) of CSL. He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering and a Master's degree in Business Administration with specialisation in International Marketing. He has around three decades of experience in the field of shipbuilding, ship repairs & conversion covering the entire spectrum from business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales & customer relations. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL, where he was the first CEO.



Shri Shiraz V P
Non – Executive Director

Shri Shiraz V P was inducted to the Board of Udupi-CSL with effect from July 23, 2025. He is the Executive Director (Ship Building) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a Degree of Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from the University of Kerala. He has more than 29 years of work experience across areas such as shipbuilding hull, outfit, marketing, design, outsourcing, planning, project management and ship repair operations. He is a recipient of the "Manager of the Year" award in 2023 from the Kerala Management Association and had also received commendation from the Chief of Naval Staff for his outstanding contributions as the Project Manager of the Indigenous Aircraft Carrier project "INS Vikrant".



Smt. Anjana K R
Non – Executive Director

Smt. Anjana K R was inducted to the Board of Udupi-CSL with effect from January 06, 2024. She is the Chief General Manager (Design and Materials) of Cochin Shipyard Limited (CSL). Smt. Anjana K R holds a Degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture & Ship Building) from Cochin University of Science and Technology. She has more than three decades of work experience across areas such as ship design, shipbuilding hull, production engineering and ship building materials procurement. Smt. Anjana K R was awarded the "Inspiring Woman Leader - Maritime Sector" at the MARPORTS GLOBAL Conference & Excellence Awards 2026. She is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.

Leadership Team



Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Harikumar A took charge as the Chief Executive Officer (CEO) of the Company on January 28, 2021. He is a graduate in Production Engineering and has over three decades of experience in shipbuilding and ship repair operations and project management. He has worked with various leading shipyards, both in public sector as well as private sector and has made significant contributions. He is a fellow of Institution of Engineers (India) and Institute of Marine Engineers (India).



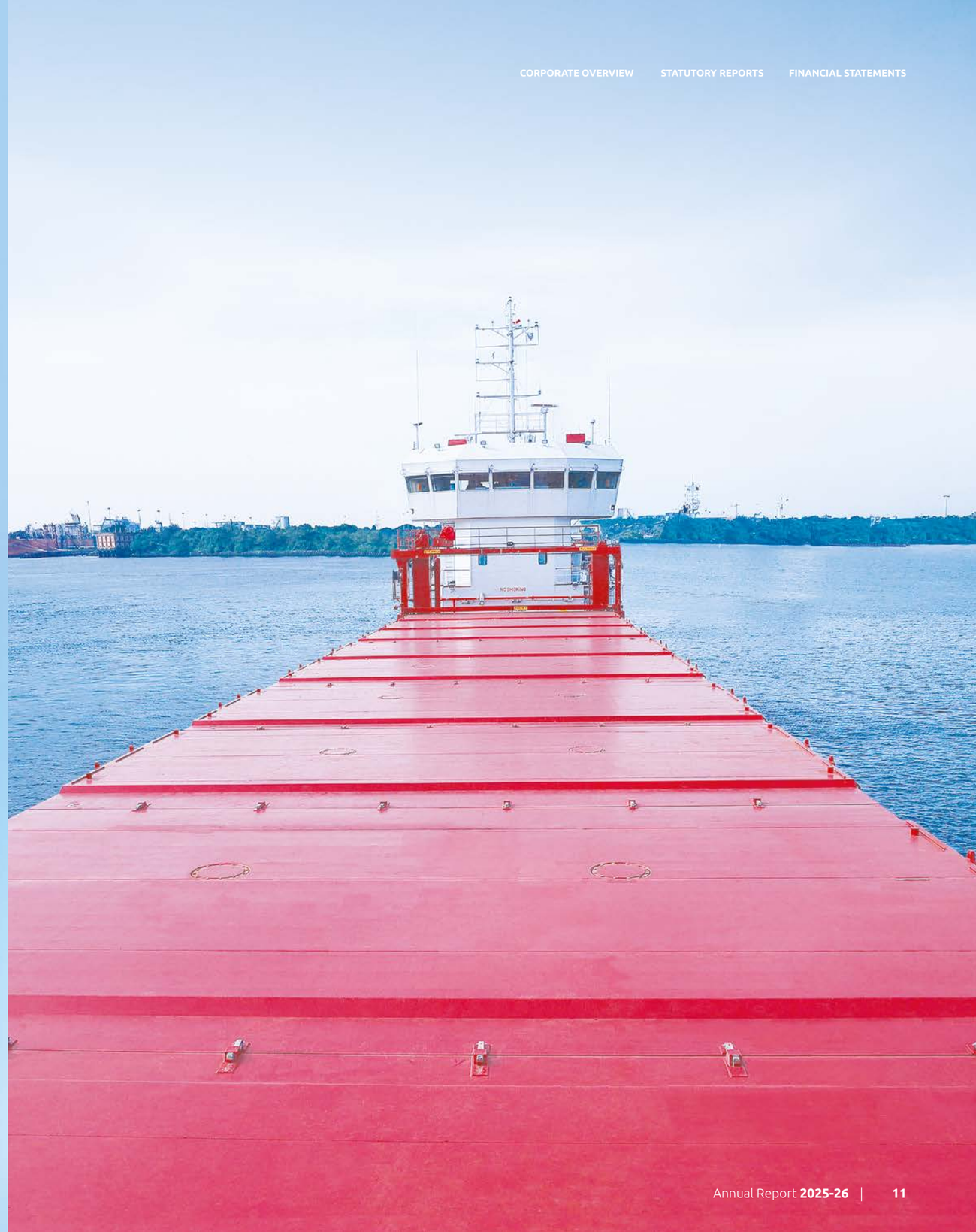
Shri Shankar Nataraj
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Shankar Nataraj took charge as the Chief Financial Officer (CFO) of the Company on November 25, 2022. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and also holds a Bachelor's Degree in Commerce from St. Xavier's College, Kolkata. He has approximately 35 years of work experience in the field of financial management, budgetary controls, costing, commercial and general management etc. spread across various private sector companies mainly in cement, pharmaceuticals and logistics sectors. He is also empanelled in the Independent Director's Databank of the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) under the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India.



Shri Ambalavanan M
Chief Operating Officer (COO)

Shri Ambalavanan M took charge as the Chief Operating Officer (COO) of Udupi-CSL on January 01, 2026. Prior to his appointment as COO, he served as Deputy General Manager (Operations) from February 2021. With over three decades of experience in shipbuilding, operations, technical execution, executive management and strategic risk mitigation, he brings extensive industry expertise to his role. He holds a Diploma in Mechanical Engineering from the State Board of Technical Education and Training, Department of Technical Education, Madras. He has been instrumental in Company's transformation into a globally recognized mid-segment shipyard and had played a key role in the successful Cochin Shipyard - Tebma Shipyard collaboration. As the COO, he continues to lead the Company's operational growth and strengthen its position as a globally competitive shipbuilding enterprise.



Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors are pleased to present the Forty-First Annual Report of your Company together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2026 and the Report of the Statutory Auditors and the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.

Operations

2. The financial year 2025-26 was a year of strong operational performance and continued business growth for Udupi Cochin Shipyard Limited. The Company sustained its momentum in project execution while strengthening its position as a reliable shipbuilder in both domestic and international markets. The continued confidence of existing customers and successful execution of ongoing projects further reinforced the Company's reputation for quality, timely delivery and customer satisfaction.

3. During the year, the Company successfully delivered six vessels comprising of two 70T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited and four Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway. The Company continued to make steady progress on vessels under construction, with major construction activities advancing in line with the planned timelines. Further, the Company secured work-share arrangements with its holding company, Cochin Shipyard Limited, for the construction of a total of eight vessels, comprising two 70T Bollard Pull Tugs, two 60T Green Tugs (Electric) for Polestar Maritime Limited and four 70T Electric Harbour Escort Tugs for Svitzer, Denmark. The Company has established a project office at Kochi for efficiently carrying out the construction activities under the work-share arrangements. These achievements demonstrate the Company's capability to execute multiple projects concurrently while maintaining the highest standards of quality and safety.

4. The order book position of the Company as on March 31, 2026 is given below:

Vessel	Nos.
70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited	01
70T Bollard Pull Tugs for Ocean Sparkle Limited	09
Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels for Wilson ASA, Norway	02
6300 TDW Dry Cargo Vessels for Wilson ASA, Norway	08
70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited*	02
60T Green Tugs (Electric) for Polestar Maritime Limited*	02
70T Electric Harbour Escort Tugs for Svitzer, Denmark*	04

*Work-share arrangement with Cochin Shipyard Limited (CSL).

5. During the first part of the financial year 2026–27, the Company achieved a significant milestone with the successful delivery of the fifth and sixth vessels in the series of six Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway, marking the successful completion of a prestigious export order. During the period, the Company also delivered a 70T Bollard Pull Tug to Polestar Maritime Limited. Further, the Company secured orders for four 70T Bollard Pull Tugs from Ocean Sparkle Limited, reflecting the continued confidence and trust reposed in the Company by its customers. As on the date of this report, the Company has a robust unexecuted order book of more than ₹ 2,000 crores, ensuring a solid foundation for the Company's sustained growth in the coming years.

Financial Performance

6. During the financial year 2025-26, the Company recorded an exceptional financial performance with total income of ₹ 63,021.29 lakhs as against ₹ 27,862.12 lakhs for the previous year, reflecting a year-on-year (YoY) growth of 126.19%. The revenue from operations for FY 2025-26 stood at ₹ 61,811.64 lakhs as against ₹ 26,563.60 lakhs in the previous year, registering a YoY growth of 132.69%. Further, the profit before tax (PBT) stood at ₹ 13,167.79 lakhs as against ₹ 858.74 lakhs for the previous year, while profit after tax (PAT) increased to ₹ 9,338.76 lakhs from ₹ 262.78 lakhs, achieving a substantial YoY growth.

7. The strong growth in revenue and profitability was driven by significant improvements in business operations, higher operational efficiency, effective cost optimization and continued customer confidence.

Financial Highlights

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
(i)	Total Income	63,021.29	27,862.12
(ii)	Profit/ (Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	14,793.72	2,130.68
(iii)	Finance cost	650.11	183.60
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	975.82	1,088.34
(v)	Profit/ (Loss) Before Tax	13,167.79	858.74
(vi)	Tax	3,829.03	595.96
(vii)	Net Profit/ (Loss)	9,338.76	262.78
(viii)	Net-worth	20,175.27	17,130.11

Share Capital

8. The Authorised Share Capital of the Company as on March 31, 2026 is ₹ 215,00,00,000 (Rupees Two Hundred and Fifteen Crore Only) divided into 15,00,00,000 (Fifteen Crore) Equity Shares of ₹ 10 each and 6,50,00,000 (Six Crore Fifty Lakh) Preference Shares of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is ₹ 108,00,00,000 (Rupees One Hundred and Eight Crore Only) divided into 10,80,00,000 (Ten Crore Eighty Lakh Only) Equity Shares of ₹ 10 each.

Debentures

9. The Company has 1,00,000 (One Lakh Only) Unsecured Redeemable Non-Convertible Debentures (Debentures) of face value of ₹ 1,000 (Rupees One Thousand Only) each outstanding as on March 31, 2026. The Debentures were issued in the month of November 2021 with a tenure of 84 months at a coupon rate of 6.00% per annum to CSL for an amount of ₹ 10,00,00,000 (Rupees Ten Crore Only). The Debentures are due for redemption in November 2028.

Dividend

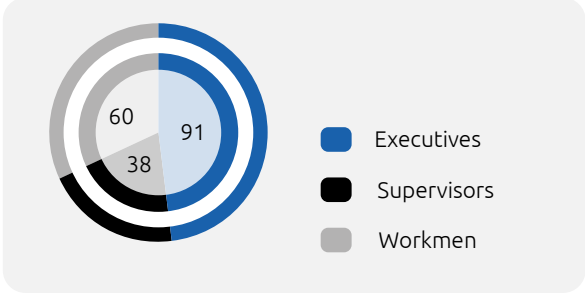
10. In view of the Company's ongoing growth and consolidation phase, capital expenditure and working capital requirements and the need to preserve internal resources to support its future growth, business operations and financial strength, the Board of Directors has decided not to recommend any dividend for the financial year under review.

Transfer to Reserves

11. The details of amount transferred to reserves is given at Note 18 of the Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2026 which forms part of the Annual Report.

Manpower Status

12. As on March 31, 2026, the Company has 189 employees consisting of 91 executives, 38 supervisors and 60 workmen. Out of the 91 executives, 6 are employed on deputation basis from the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL). The Company has also engaged 19 trainees under its apprenticeship programme.



Industrial Relations

13. The Company maintained cordial industrial relations during the year and no manhours were lost on account of labour unrest or strike.

Particulars of Employees and Related Disclosures

14. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

15. Particulars as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 relating to Conservation of Energy, Technology

Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are placed at **Annexure I**.

Risk Management

16. The Company operates under a Comprehensive Risk Management Policy approved by the Board at its 14th Meeting (Post-CIRP) held on July 13, 2022. This framework establishes an institution-wide risk management system featuring structured protocols for risk identification, assessment, mitigation response, continuous monitoring, and strategic reporting. The Policy provides the management and the Board of Directors with reasonable assurance that the organization's critical risks are systematically identified and effectively managed.

17. In alignment with the Policy, the Board of Directors maintains ultimate oversight of the Company's risk management architecture, conducting formal reviews at scheduled periodic intervals. Operationally, risk mitigation is driven by the Risk Management Steering Committee alongside functional Risk Management Committees, which ensure policy implementation across all business segments. These Committees, in conjunction with the Board, consistently review the evolving risk landscape and operational protocols. A dedicated Chief Risk Officer (CRO) serves as the central coordinator, supervising all risk management activities across the entire enterprise.

Health, Safety & Environment (HSE)

18. Udupi-CSL recognizes that its workforce plays a vital role in achieving business objectives and continues to foster a robust health, safety, and environmental (HSE) culture across all operations. To guarantee a safe and compliant workplace, Udupi-CSL maintains its Integrated Management System (IMS) certifications—comprising ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 14001:2015 (Environmental Management System), and ISO 45001:2018 (Occupational Health & Safety Management System)—issued by Bureau Veritas, a premier global certification body. The most recent IMS surveillance audit was successfully concluded in February 2026.

19. To maintain oversight, Udupi-CSL utilizes a dedicated Safety Officer and an Electrical Safety Officer to monitor general and electrical safety standards, respectively. The Company maintains active membership in the National Safety Council (Karnataka Chapter) and delivered 296 HSE induction training sessions this year to drive safety awareness. Further, 598 onsite toolbox talk meetings were conducted to reinforce safe daily practices. Operational preparedness was tested through ten emergency mock drills, covering fire scenarios, confined space rescues, electric shock responses, cyclone emergencies, chemical spills, and civil defense maneuvers. Widespread employee engagement was also achieved during National Safety Day and World Environment Day through safety pledges, campaigns, and tree-plantation drives. Consequently, the Company concluded the reporting period with 937 consecutive accident-free working days, underscoring its commitment to safety and regulatory compliance.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

20. As on March 31, 2026, the Company had five directors, all of whom are Non-Executive Directors and three Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Jose V J	08444440	Chairman
2.	Dr. Harikrishnan S	10221559	Director
3.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	Director
4.	Shri Shiraz V P	11170690	Director
5.	Smt. Anjana K R	09545253	Director
6.	Shri Harikumar A	N.A.	Chief Executive Officer
7.	Shri Shankar Nataraj	N.A.	Chief Financial Officer
8.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary

21. During the financial year 2025-26, following were the changes in the Directors of the company:

(a) Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) ceased to be Directors with effect from June 01, 2025, on account of withdrawal of nomination by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to their retirement on superannuation from the services of CSL.

(b) Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) and Shri Shiraz V P (DIN: 11170690) were appointed as Directors on the Board of the Company, as the nominees of CSL with effect from July 23, 2025.

(c) Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) ceased to be a Director and the Chairman with effect from February 01, 2026, on account of withdrawal of directorship by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to his retirement on superannuation from the services of CSL.

(d) Shri Jose V J (DIN: 08444440) assumed charge as the Chairman on account of entrustment of additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of Cochin Shipyard Limited (CSL) with effect from February 01, 2026, consequent upon the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) as CMD of CSL on January 31, 2026.

22. Shri Jose V J (DIN: 08444440) and Smt. Anjana K R (DIN: 09545253), whose office as Directors were liable to retire by rotation and being eligible were reappointed as the Directors of the Company in the 41st Annual General Meeting held on September 18, 2025.

23. There were no other changes in the Directors and Key Managerial Personnel (KMP) during the financial year 2025-26.

24. Further, Shri Vaasu was appointed as the Company Secretary of the Company with effect from April 25, 2026, in place of Shri Aswin Sarma M, consequent to the withdrawal of the latter's assignment to the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

Details of Board Meetings held during 2025-26

25. Seven Board Meetings have been held during the financial year 2025-26 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	April 25, 2025	6	6
2.	July 22, 2025	4	3
3.	September 18, 2025	6	5
4.	November 04, 2025	6	6
5.	December 29, 2025	6	5
6.	January 22, 2026	6	6
7.	March 17, 2026	5	5

26. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2025-26 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu Sankunny Nair*	07376798	6/6
2.	Shri Bejoy Bhasker#	08103825	1/1
3.	Shri Jose V J	08444440	7/7
4.	Shri Sreejith K Narayanan#	09543968	1/1
5.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	7/7
6.	Smt. Anjana K R	09545253	5/7
7.	Dr. Harikrishnan S^	10221559	4/5
8.	Shri Shiraz V P^	11170690	5/5

*Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) ceased to be a Director and the Chairman with effect from February 01, 2026, on account of withdrawal of directorship by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to his retirement on superannuation from the services of CSL.

#Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) ceased to be Directors with effect from June 01, 2025, on account of withdrawal of nomination by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to their retirement on superannuation from the services of CSL.

^Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) and Shri Shiraz V P (DIN: 11170690) were appointed as Directors on the Board of the Company, as the nominees of CSL with effect from July 23, 2025.

Committees of the Board

27. The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact that the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory committees of the Board have been constituted during the financial year 2025-26.

Evaluation of Board's Performance

28. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from the provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 regarding statement on formal annual evaluation. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

29. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors' Responsibility Statement

30. Your Directors state that:

 (a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2026, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

 (b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year 2025-26 and of the profit of the Company for that period;

 (c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

 (d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

 (e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

31. During the financial year 2025-26, no related party transactions have been entered into by the Company which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 46 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

32. The report on Corporate Governance for the financial year 2025-26, prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

33. The Management Discussion and Analysis Report (MDAR) provides an overview of the affairs of the Company, the industry analysis, business environment, segment-wise performance, strengths, opportunities, constraints, risks and concerns. The MDAR for the year under review, prepared in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE, is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

34. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures. The Company had engaged M/s. RAGA Consulting LLP, Chartered Accountants, for review and testing the internal financial controls of the Company.

Their assessment confirmed that these controls were adequate, commensurate with the size and nature of the Company's business and were operating effectively. The Company continues to maintain and monitor these robust internal financial controls.

Secretarial Standards of ICSI

35. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2). The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

36. M/s. K P Kanchan & Co. (Firm Registration No. 027635S), Chartered Accountants, Udupi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2025-26.

Statutory Auditors Report

37. M/s. K P Kanchan & Co., Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2026, on April 24, 2026, which forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Supplementary Audit

38. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2026.

Comments of C&AG

39. The Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

40. M/s. SVJS & Associates (ICSI Unique Code: P2008KE017900), Practicing Company Secretaries, Kochi were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2025-26.

Secretarial Auditors Report

41. M/s. SVJS & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on May 13, 2026, which is placed at Annexure II to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

42. M/s. Shebin & Associates (Firm Registration No. 026506S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct the Internal Audit for the financial year 2025-26.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

43. The Company is complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS), Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Ex-Servicemen issued by the Government of India from time to time.

Vigilance

44. There were no vigilance cases pending/ disposed off during the financial year 2025-26.

Right to Information Act, 2005

45. All the RTI requests received during the year 2025-26 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Vigil Mechanism

46. The Company is not falling under the provisions of Section 177(9) of the Companies Act, 2013 and the rules thereof, which mandates establishment of a Vigil Mechanism. However, the Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company is applicable on the Company and acts as the Vigil Mechanism of Udupi-CSL. The said policy is available at the Company's website at www.udupicsl.com.

Annual Return

47. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.udupicsl.com.

Cost Audit

48. The Company maintains cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. M/s. BBS & Associates (Firm Registration No. 00273), Cost Accountants, Kochi were appointed as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2025-26. The remuneration of Cost Auditors for the financial year 2025-26 was ratified by the shareholders at the 41st AGM held on September 18, 2025.

Corporate Social Responsibility (CSR)

49. During the year under review, the Company came under the ambit of CSR provisions for the first time since conclusion of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), with a CSR obligation of ₹ 10,000 for the financial year 2025-26. Considering the quantum of the CSR obligation and the established track record of its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL) in undertaking CSR activities, the Company contributed the amount to CSL towards the construction of an open auditorium for Gandhi Shatabdi Government Model Higher Primary School, Malpe implemented through Palli Srinivas Hegde Charitable Trust, Udupi, in compliance with the applicable provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.

50. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure III**.

Details of subsidiaries, joint ventures or associate companies

51. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

52. Nil.

Material changes and commitments

53. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

54. During the year under Report, the Company has not

 (a) given any loan to any person or other body corporate;

 (b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and

 (c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

55. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under review.

Deposits

56. The Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

57. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Proceedings under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

58. No application was filed against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) during the year under review. However, certain applications filed in connection with/ stemming from the takeover of the Company by CSL under IBC in the year 2020, have been disposed of by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chennai, in favour of the Company.

Compliance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

59. The Company has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The details of complaints filed under the said Act during the financial year 2025-26 is given below in the prescribed format.

(a)	number of complaints of sexual harassment received in the year	Nil
(b)	number of complaints disposed off during the year	Nil
(c)	number of cases pending for more than ninety days	Nil

Compliance with the Maternity Benefits Act, 1961

60. The Company has diligently adhered to all applicable provisions of the Maternity Benefits Act, 1961 during the financial year 2025-26.

Other Statutory Disclosures

61. No disclosure or reporting is made with respect to the following items, as there were no transactions during FY 2025-26.

- There was no issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise;
- There was no issue of equity shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under Employees Stock Option Scheme;
- The Company does not have any scheme or provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefits of employees;
- There was no instance of one-time settlement with any Bank or Financial Institution; and
- There was no revision of financial statements and/ or Directors' Report of the Company under Section 131 of the Companies Act, 2013.

Acknowledgement

62. The Board of Directors gratefully acknowledges the continued guidance, support, and confidence extended by the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Cochin Shipyard Limited (CSL), and the officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and CSL. The Board also places on record its appreciation for the valuable assistance and cooperation received from various offices of the Government of India, the Government of Karnataka, the Government of Tamil Nadu, the Comptroller & Auditor General of India and local authorities. The Board extends its sincere thanks to the Company's customers, business associates, bankers, auditors, legal counsels, consultants, suppliers and sub-contractors for their continued trust, support, and contribution towards the Company's progress. The Board also recognizes and appreciates the dedication, commitment, and efforts of all employees, whose collective contributions have been vital to the Company's achievements during the year. The Company remains committed to building on the support and trust of its stakeholders and looks forward to their continued association in its journey towards sustainable growth and value creation.

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Annexure I

(A) Conservation of Energy

(i) Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2025-26:	**Steps Taken** • The existing lighting system at the repair outfit shed consisting of 32 Nos. of 400 W sodium vapour lights was replaced with 16 Nos. of energy-efficient LED light fittings. • All 32 Nos. of existing 400 W sodium vapour lamps at the Hangarkatte Yard (CS Bay) were replaced with LED light fittings. • Installed a new 1010 kVA Diesel Generator (DG) equipped with an electronic governor and an advanced fuel injection system, in place of the existing two 500 kVA DG sets. **Impact** The above measures contributed to improved energy efficiency through reduction in electricity consumption, improved illumination, reduced maintenance requirements and better fuel efficiency and operational reliability during power interruptions.
(ii) Steps taken for utilising alternate sources of energy:	Nil
(iii) Capital investment on energy conservation equipments:	An amount of approximately ₹ 67.40 lakhs have been invested for implementation of energy conservation measures specified above.

(B) Technology Absorption

(i) Efforts made towards technology absorption:	The Company continued to strengthen its technological capabilities by adopting globally proven ship designs and advanced systems for its key products. The Bollard Pull Tugs are built using state-of-the-art designs from Robert Allan Limited, Canada, while the Dry Cargo Vessels are based on designs developed in collaboration with Conoship International BV, Netherlands. The Company's Green Tugs incorporate advanced battery systems supplied by Green Maritime Propulsion Private Limited (A JV Company formed between Cochin Shipyard Limited and HBL Engineering Limited) and integrated electrical packages from ABB, demonstrating the Company's focus on innovative, sustainable and technology-driven shipbuilding solutions. Further, the Company has accorded preference to indigenously manufactured products, wherever technically and commercially feasible, for the projects undertaken at the Yard, with a view to reducing dependence on imported stores, spares and equipment and promoting the use of domestic products.
(ii) Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions:	The adoption of advanced ship designs and modern technologies has enabled the Company to construct technologically advanced and environmentally sustainable vessels, resulting in improved product quality, enhanced operational efficiency and strengthened execution capabilities. Further, opting for Made in India products, wherever possible, for the projects that are being undertaken at the Yard has reduced dependence on imports and supported domestic manufacturing.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year):			
(a) The details of technology imported:	Basic Design for 62T and 70T Bollard Pull Tugs.	Basic Design and Detailed Engineering for the Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels.	Basic Design and Detailed Engineering for the 6300 TDW Dry Cargo Vessels.
(b) The year of import:	2022-23	2023-24	2024-25
(c) Whether the technology been fully absorbed:	Yes	Yes	No
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof:	N.A.	N.A.	The absorption is in the final stages.
(iv) Expenditure incurred on Research and Development:	Nil		

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

(₹ in Lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Earnings in Foreign Exchange		
From Shipbuilding	35,973.39	17,138.70
From Ship repair	-	-
Total	**35,973.39**	**17,138.70**
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	21,316.02	12,960.50
Design & Documentation	548.96	1,864.68
Service Charge & Others	635.90	462.41
Total	**22,500.87**	**15,287.59**

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Annexure II

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2026

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village, Pukathurai Post,
Madurantakam Taluk, Kancheepuram,
Tamil Nadu, India, 603116

We, SVJS & Associates, Company Secretaries, have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U27209TN1984GOI010994]** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;

(ii) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company.

1. The Electricity Act, 2003 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
2. The Industrial Employment Standing Orders Act and the Rules;
3. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
4. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
5. The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
6. Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016;
7. The Factories Act, 1948 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
8. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
9. The Right to Information Act, 2005 and the Rules framed thereunder
10. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards relating to Meetings of the Board of Directors (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

In respect of other laws specifically applicable to the Company we have relied on information / records produced by the

Company during the course of our audit and the reporting is limited to that extent.

We report that

The Board of directors of the Company is duly constituted. All the directors of the Company are Non-executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in accordance with the provisions of the Act and Secretarial Standards, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions of the Board were unanimous and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that to the extent of our verification, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no instances of:

(i) Public / Right / Preferential issue of shares / debentures / sweat equity

(ii) Redemption / buy-back of securities

(iii) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

(iv) Foreign technical collaborations

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **'Annexure A'** and forms an integral part of this report.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354847

Kochi
13th May, 2026

'Annexure A'

To
The Members
UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
S.No.377 Pazhamathur Village, Pukathurai Post,
Madurantakam Taluk, Kancheepuram,
Tamil Nadu, India, 603116

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of the Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to express an opinion on these records, based on our audit.

2. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our report.

3. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards etc. is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of the procedures and compliances on test basis.

6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2026 but before issue of the Report.

7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal / professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354847

Kochi
13th May, 2026

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Annexure III

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The Company is committed to conducting its business in a socially responsible and sustainable manner and recognizes its responsibility towards the welfare of society and the environment. During the financial year 2025–26, the Company became subject to the CSR provisions for the first time since the conclusion of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). Considering the nominal CSR obligation of ₹ 10,000 and the established expertise of its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), in implementing CSR programmes, the Company contributed its entire CSR obligation to CSL towards an eligible CSR project, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

2. Composition of CSR Committee

Since the CSR obligation of the Company was nominal for the financial year 2025–26, the Company was not required to constitute a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, as it did not meet the prescribed threshold under Section 135 of the Companies Act, 2013. Consequently, the CSR functions, to the extent applicable, were overseen by the Board of Directors.

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR & SD Committee	Not Applicable
CSR Policy	https://udupicsl.com/index.php/csr/
CSR projects approved by the Board	https://udupicsl.com/index.php/csr/

4. Executive summary along with web-link(s) of Impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

No impact assessment was required to be carried out during the financial year 2025-26.

5.	(a) Average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 (“Act”)	:	₹ 4.85 Lakhs
	(b) Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act	:	₹ 0.10 Lakhs
	(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years	:	Nil
	(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any	:	Nil
	(e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c) – (d)]	:	₹ 0.10 Lakhs
6.	(a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)	:	₹ 0.10 Lakhs
	(b) Amount spent in Administrative Overheads	:	Nil
	(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable	:	Not Applicable
	(d) Total amount spent for the financial year [(a) + (b) + (c)]	:	₹ 0.10 Lakhs

(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the financial year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135 of the Act		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
10,000	Nil	NA	NA	Nil	NA

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act	0.10 Lakhs
(ii)	Total amount spent for the financial year	0.10 Lakhs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set-off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three financial years:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Sl. No.	Preceding financial year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act, if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of transfer		
1.	2024-25	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
2.	2023-24	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
3.	2022-23	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

◯ Yes ◉ No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired | NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

Not Applicable.

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135 of the Act:

Not Applicable.

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Udupi Cochin Shipyard Limited ("Udupi-CSL"/ "Company"), a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), is committed to embedding the principles of corporate governance across all aspects of its operations. Management continuously works to strengthen governance practices by fostering transparency, fairness, accountability, and stakeholder engagement in the conduct of business. This Corporate Governance Report has been prepared in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

Board of Directors

2. As per the approval of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, the Chairman and Managing Director (CMD) of CSL shall be the Chairman of Udupi-CSL and the other Directors on the Board will be nominated by the CMD, CSL from amongst the Whole-time Directors and officers of CSL not below the rank of General Manager, as Part Time Directors on ex-officio basis.

3. As on March 31, 2026, the Board of the Company consists of five Non-Executive Directors. The Company has a Non-Executive Chairman. The composition of the Board as on March 31, 2026 is as follows:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Jose V J	08444440	Chairman
2.	Dr. Harikrishnan S	10221559	Director
3.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	Director
4.	Shri Shiraz V P	11170690	Director
5.	Smt. Anjana K R	09545253	Director

4. During the financial year 2025-26, following were the changes in the Directors of the company:

 (a) Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) ceased to be Directors with effect from June 01, 2025, on account of withdrawal of nomination by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to their retirement on superannuation from the services of CSL.

 (b) Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) and Shri Shiraz V P (DIN: 11170690) were appointed as Directors on the Board of the Company, as the nominees of CSL with effect from July 23, 2025.

 (c) Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) ceased to be a Director and the Chairman with effect from February 01, 2026, on account of withdrawal of directorship by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to his retirement on superannuation from the services of CSL.

 (d) Shri Jose V J (DIN: 08444440) assumed charge as the Chairman on account of entrustment of additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of Cochin Shipyard Limited (CSL) with effect from February 01, 2026, consequent upon the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) as CMD of CSL on January 31, 2026.

5. Shri Jose V J (DIN: 08444440) and Smt. Anjana K R (DIN: 09545253), whose office as Directors were liable to retire by rotation and being eligible were reappointed as the Directors of the Company in the 41st Annual General Meeting held on September 18, 2025.

6. There were no other changes in the Directors during the financial year 2025-26.

7. The profile of the Directors who are on the Board of the Company as on the date of this report including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors as on March 31, 2026, are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

8. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

9. Seven Board Meetings have been held during the financial year 2025-26 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The 41st AGM of the Company was held on September 18, 2025 through electronic mode. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting							AGM
	2025					2026		Sep 18, 2025
	Apr 25	Jul 22	Sept 18	Nov 04	Dec 29	Jan 22	Mar 17	
Shri Madhu Sankunny Nair#	Yes	Yes	Yes	Yes*	Yes	Yes	N.A.	Yes
Shri Bejoy Bhasker^	Yes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Jose V J	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Sreejith K Narayanan^	Yes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Rajesh Gopalakrishnan	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Smt. Anjana K R	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Dr. Harikrishnan S$	N.A.	N.A.	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Shri Shiraz V P$	N.A.	N.A.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

*Attended through electronic mode.

#Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) ceased to be a Director and the Chairman with effect from February 01, 2026, on account of withdrawal of directorship by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to his retirement on superannuation from the services of CSL.

^Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968) ceased to be Directors with effect from June 01, 2025, on account of withdrawal of nomination by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, consequent to their retirement on superannuation from the services of CSL.

$Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) and Shri Shiraz V P (DIN: 11170690) were appointed as Directors on the Board of the Company, as the nominees of CSL with effect from July 23, 2025.

Directorships and Committee positions

10. The total number of Directorships/ Chairmanships held by Directors and the positions of Membership/ Chairmanship on Committees including Udupi Cochin Shipyard Limited as on March 31, 2026, unless otherwise stated, are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu Sankunny Nair (As on the tenure end date of January 31, 2026)	3	3	-	1
Shri Bejoy Bhasker (As on the tenure end date of May 31, 2025)	-	3	-	-
Shri Jose V J*	3	3	-	1
Shri Sreejith K Narayanan (As on the tenure end date of May 31, 2025)	-	3	-	-
Dr. Harikrishnan S	-	3	-	1
Shri Rajesh Gopalakrishnan	-	3	-	1
Smt. Anjana K R	-	2	-	-
Shri Shiraz V P	-	1	-	-

*Shri Jose V J has been entrusted with the additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of Cochin Shipyard Limited (CSL) with effect from February 01, 2026, following the retirement on superannuation of Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798) as CMD of CSL on January 31, 2026. Consequently, Shri Jose V J assumed charge as the Chairman of CSL's wholly-owned subsidiaries viz., Udupi-CSL and Hooghly-CSL.

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

11. The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact that the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory committees of the Board have been constituted during the financial year 2025-26.

General Body Meetings

12. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) are given below:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2022-23	September 19, 2023 at 11.15 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No
2023-24	September 19, 2024 at 09.15 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No
2024-25	September 18, 2025 at 10.00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No

13. No Extra Ordinary General Meetings (EGM) have been held during the financial year 2025-26.

14. The 42nd AGM of the Company is scheduled to be held on September 15, 2026 at 10:45 hrs. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM").

Code of Conduct

15. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board Members and Senior Management of the Company as required under the DPE Guidelines on Corporate Governance. All Board Members and Senior Management Personnel have confirmed compliance with the Code for the financial year ended March 31, 2026. A declaration signed by the Chief Executive Officer of the Company in this regard is given below:

Pursuant to the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, it is hereby declared that all the Board Members and Senior Management Personnel of Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) have affirmed compliance with the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management for the financial year ended March 31, 2026.

Harikumar A
Chief Executive Officer

Remuneration to Directors

16. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Senior Management Personnel of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, who are appointed as Non-Executive Directors on ex-officio basis. Accordingly, no remuneration including performance linked incentives are payable to the Directors. Further, there have been no pecuniary relationship or transactions between the Directors and the Company during the reporting period.

Other Disclosures

Related Party Transactions

17. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large. Further, related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24 is set out at Note 46 to the financial statements of the Company.

Non-compliance by the Company

18. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/ strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the period since the completion of the insolvency resolution process of the Company.

Whistle Blower Policy

19. The Company has an effective Whistle Blower Policy which provides the framework for stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy adopted by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, is applicable on the Company and acts as the Whistle Blower Policy/ Vigil Mechanism of Udupi Cochin Shipyard Limited. The said Policy has been hosted on the website of the Company at www.udupicsl.com. During the period under report no personnel has been denied access to the Vigil Mechanism of the Company.

Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

20. The Company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. A Certificate in this regard obtained from a Practicing Company Secretary is placed at Annexure I.

Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years

21. The Company became a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business

22. Nil.

Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management

23. Nil.

Details of administrative and office expenses

24. The administrative and office expenses of the Company for the year 2025-26 were 11.82% (10.78% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 1.30% (0.68% PY) of the total expenses in the year 2025-26.

Means of communication of results

25. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/ half yearly/ annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/ half yearly/ annual) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual Reports and the official news releases of the Company are placed at the Company's website at www.udupicsl.com. Further, the Annual Reports of the Company are also hosted on the website of CSL viz., www.cochinshipyard.in.

Audit Qualifications

26. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. K P Kanchan & Co., with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2025-26 does not contain any qualifications/ adverse remark.

Training of Board Members

27. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Senior Management Personnel of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company and also have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL imparts training to the Directors/ Senior Management Personnel, wherever considered necessary.

Address for Correspondence

Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116
e-mail: secretary@udupicsl.com
website: www.udupicsl.com

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Annexure I

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

(As stipulated in the guidelines on Corporate Governance for CPSES issued by the Department of Public Enterprises, Government of India)

To
The Members
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village, Pukathurai Post,
Madurantakam Taluk, Kancheepuram,
Tamil Nadu, India, 603116

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U27209TN1984GOI010994]** (the Company) for the financial year ended 31.03.2026, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, We certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the above-mentioned guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067H000354858

Kochi
13th May, 2026

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Udupi Cochin Shipyard Limited ("Udupi-CSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.

2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "UCSL", "Udupi-CSL" "Group" are with respect to Udupi Cochin Shipyard Limited and its holding company.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. The global shipbuilding industry operated in a challenging yet resilient environment during FY 2025–26, shaped by geopolitical tensions, trade policy uncertainties, evolving supply chains, and changing patterns in global seaborne trade. These developments influenced international shipping routes, freight markets, and maritime logistics, while reinforcing the need for fleet renewal and modernization. Driven by increasingly stringent environmental regulations and the global transition towards low-carbon shipping, shipowners continued to invest in technologically advanced, fuel-efficient, and environmentally compliant vessels to enhance operational efficiency and meet evolving decarbonization requirements.

4. According to the International Monetary Fund (IMF), global economic growth is projected at around 3.0% in 2026, reflecting a gradual recovery amid persistent geopolitical and macroeconomic uncertainties. Although global seaborne trade growth is expected to remain subdued compared with previous years due to trade policy measures, regional conflicts, and supply chain disruptions, the long-term fundamentals of the maritime sector continue to support investments in fleet modernization and replacement.

5. China, South Korea, and Japan continued to dominate the global shipbuilding industry, accounting for the majority of commercial shipbuilding orders and deliveries. Demand remained robust for container vessels, LNG carriers, dual-fuel vessels, offshore support vessels, and other specialised ships. At the same time, investments in alternative-fuel technologies, including LNG, methanol, ammonia-ready, and other low-emission vessel designs, reflected the industry's continued transition towards greener and more sustainable shipping.

6. The global shipbuilding orderbook remained at healthy levels, providing sustained business visibility for major shipyards. However, constraints in shipyard capacity, rising construction costs, supply chain disruptions, and shortages of skilled manpower continued to influence newbuilding prices and delivery schedules across several markets.

7. Looking ahead, the global shipbuilding industry is expected to maintain a positive long-term outlook, supported by sustained fleet replacement demand, increasingly stringent environmental regulations, growth in offshore and renewable energy sectors, and continued investments in digital shipbuilding technologies, automation, and alternative-fuel propulsion systems. While geopolitical

uncertainties, supply chain constraints, and cost pressures may persist in the near term, these structural growth drivers are expected to create significant opportunities for technologically advanced and sustainable shipbuilding.

Indian Shipbuilding Industry

8. India continues to strengthen its position as an emerging maritime nation, supported by robust economic growth, expanding port infrastructure, increasing coastal and inland waterway transportation, and sustained policy support for the maritime sector. The country's growing trade volumes, strategic geographic location, and increasing focus on self-reliance have created favourable conditions for the development of the domestic shipbuilding and ship repair industry.

9. The Indian shipbuilding industry comprises both public and private sector shipyards catering to commercial, offshore, defence and coastal vessel segments. Public sector shipyards continue to play a strategic role in the construction of complex naval and commercial vessels, while private shipyards have expanded their capabilities in building cargo vessels, offshore support vessels, tugs, patrol vessels, fishing vessels and specialised craft. The combined strengths of these shipyards are steadily enhancing India's indigenous shipbuilding capacity and technological capabilities.

10. Unlike traditional mass-manufacturing sectors, the shipbuilding industry operates on a custom, order-driven business model. As of FY25, India's aggregate order book reached 517 vessels totalling 797.3 thousand DWT. During FY25, Indian yards successfully delivered 259 ships with a combined tonnage of 65.1 thousand DWT, a 124.3% YoY surge compared to FY24 deliveries.

11. The industry is witnessing increasing demand driven by fleet replacement, coastal shipping, inland water transport, offshore energy, port development, and defence modernisation. Simultaneously, the global transition towards cleaner shipping is generating opportunities for Indian shipyards to participate in the construction of energy-efficient and alternative-fuel vessels, including LNG and other low-emission vessel designs.

12. Recognising the strategic importance of the maritime sector, the Government of India has continued to strengthen the policy framework through the Maritime India Vision 2030 (MIV 2030) and the Maritime Amrit Kaal Vision 2047 (MAKV 2047) aimed to enhance indigenous shipbuilding capacity, improve global competitiveness, promote technological advancement, and position India as an emerging hub for shipbuilding. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has established the ViBhaS (Viksit Bharat Sankalp) and NAVIC (Neel Arth Vision Implementation Cells) framework to drive the implementation of MIV 2030 and MAKV 2047. The Government has set ambitious targets to elevate India's position to the 10th largest globally in ship owning and shipbuilding by 2030, and 5th by 2047. These targets are supported by targeted policy interventions and infrastructure development programmes. A comprehensive package of ₹ 69,725 crores has been approved by the Union Cabinet to revitalise India's shipbuilding and maritime sector.

13. The budgetary support for the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for the year 2026-27 in the Union Budget proposed ₹ 3,400 million, higher by 74.36% from the 2025-26 revised budgetary support. During the Union Budget 2025-26, ₹ 1,950 million has been allocated to the shipbuilding industry, an increase of 30.65% from previous year's budget. Additionally, the Government has announced ₹ 10,000 million Maritime Development Fund, a Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) with an outlay of ₹ 5,150 million and a ₹ 2,500 million for capacity and capability development and credit risk coverage for shipbuilding in India – Shipbuilding Development Scheme (SbDS). The SBFAS is designed to promote the domestic construction of large, green and specialised vessels and is expected to generate nearly ₹ 960 billion of shipbuilding activity, replacing the existing policy after March 2026. To improve industry participation, the scheme will be made more flexible, allowing shipyards to combine benefits with other central and state schemes, opt between old and new policies during the transition period and avail retrospective benefits for approved projects where applicable. The key policy initiatives of the Government of India for the Indian Shipping Industry are given below:

Initiative / Policy	Description
Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP 2.0)	The Government of India has introduced the SBFAP 2.0 with a total outlay of ₹ 24,736 crores to enhance the cost competitiveness of Indian shipyards. The policy provides financial assistance of 15 percent for vessels costing below ₹ 100 crores, 20 percent for vessels above ₹ 100 crores, and up to 25 percent for green or hybrid vessels that achieve at least 30 percent domestic value addition. It also includes a ship-breaking credit note scheme of ₹ 4,001 crores to promote end-of-life recycling within Indian yards.

Initiative / Policy	Description
Maritime Development Fund (MDF)	The MDF, with a total corpus of ₹ 25,000 crores, has been established to strengthen long-term financing for shipbuilding. It comprises a Maritime Investment Fund of ₹ 20,000 crores and an Interest Incentivisation Fund of ₹ 5,000 crores, which provides up to 3 percent interest subvention on loans extended to shipyards and shipping companies.
Shipbuilding Development Scheme (SDS)	The SDS provides ₹ 19,989 crores to support greenfield and brownfield expansion of shipyards, along with risk-coverage and capability-building components. Out of this, ₹ 9,930 crores is allocated for greenfield cluster capex, ₹ 8,261 crores for brownfield modernisation, ₹ 1,443 crores for risk coverage and ₹ 305 crores for skill and capability development initiatives.
Infrastructure Status and Demand Aggregation	In September 2025, the Government accorded infrastructure status to large shipbuilding projects, enabling access to long-tenor, low-cost financing. At the same time, oil and gas public sector undertakings and the Shipping Corporation of India have aggregated demand for more than 112 vessels to be constructed domestically over the next decade, providing assured order visibility to Indian yards.
Public Procurement Preference and Right of First Refusal (RoFR)	The public procurement framework mandates that all government and PSU vessel orders valued up to ₹ 200 crores must be placed with Indian shipyards. In addition, the revised RoFR policy gives priority to Indian-built, followed by Indian-flagged and Indian-owned vessels in all PSU and government tenders, thereby strengthening domestic shipbuilding demand.
Sagarmala Programme	The Sagarmala Programme, covering over 800 projects with a total investment of ₹ 5.8 trillion, focuses on port modernisation, ship repair, ship recycling and coastal connectivity. The second phase, Sagarmala 2.0, incorporates shipbuilding clusters and port-linked industrial infrastructure to reduce logistics costs and improve the coastal shipping ecosystem.
Maritime India Vision 2030 (MIV 2030)	The Maritime India Vision 2030 seeks to position India among the world's top 10 ship owning and shipbuilding nations by 2030. It targets an annual addition of 4-5 million GT of shipbuilding capacity, increased port repair capability and a coastal shipping share of 12-15 percent of domestic freight movement.
Green Shipping and Technological Transition	Under the Green Tug Transition Programme (GTTP), every major port is required to induct at least two green tugs in the first phase, with five standard tug designs released for adoption. The Harit Sagar Guidelines (2023) aim to achieve 60 percent renewable-energy use and a 30 percent reduction in emission intensity by 2030 across Indian ports. The complementary Harit Nauka Guidelines promote the use of clean fuels for inland vessels, while the National Centre of Excellence for Green Ports and Shipping (NCoEGPS) set up jointly with TERI focuses on R&D and technical standards for green shipping.

14. Demand for shipbuilding in India is majorly driven by defence, which is expected to continue and the defence shipbuilding order book is expected to grow by 8–9% over the coming years which is expected to boost the Indian shipbuilding industry. Recent government-led shipbuilding and maritime reforms are expected to further support the growth of India's shipbuilding sector. The measures focus on improving domestic capacity through financial support, long-term maritime financing and infrastructure development, aimed at reducing reliance on foreign-built vessels and improving competitiveness. These reforms have the potential to boost the shipbuilding capacity to 4.5 million GT and enable shipbuilding output of up to 8.2 million GT, along with the addition of over 2,500 vessels by 2047. The reforms are also expected to drive investments of about ₹ 4.5 trillion, supporting sustained growth in both commercial and defence shipbuilding in India and are aligned with India's objective of becoming the 10th largest ship owning and shipbuilding nation by 2030 and the 5th largest by 2047.

15. The medium-to long-term outlook for the Indian shipbuilding industry remains positive. Rising domestic demand, increasing investments in maritime infrastructure, sustained defence procurement, expansion of coastal and inland water transport, and supportive Government policies are expected to drive growth in shipbuilding and ship repair activities. At the same time, global supply constraints, increasing demand for specialised and environmentally compliant vessels, and the diversification of international supply chains present significant opportunities for Indian shipyards to enhance their presence in global markets. With continued investments in technology, infrastructure, skill development and operational excellence, the Indian shipbuilding industry is well positioned to emerge as an important contributor to the country's maritime economy and long-term industrial growth.

16. Against this favourable industry backdrop, Udupi Cochin Shipyard Limited is well positioned to leverage the growing opportunities in the domestic and international

shipbuilding markets through its established infrastructure, technical capabilities, support from its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), and continued focus on quality, timely execution, and operational excellence.

Operations

17. The financial year 2025-26 has been another year of sustained growth and strong operational performance for Udupi Cochin Shipyard Limited. During the year, the Company successfully delivered a total of six vessels comprising of two 70T Bollard Pull Tugs to Ocean Sparkle Limited and four Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway. The Company also achieved significant progress on its ongoing projects, culminating in the delivery of the fifth and sixth vessels in the series of six Future Proof 3800 TDW Dry Cargo Vessels to Wilson ASA, Norway during the first part of the financial year 2026-27. The successful completion of this prestigious export order marks a significant milestone for the Company and reinforces its capabilities in executing high-quality shipbuilding projects for international customers. In addition, the Company delivered a 70T Bollard Pull Tug to Polestar Maritime Limited during the said period.

18. Building on its proven execution capabilities, the Company further strengthened its order pipeline through work-share arrangements with its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), for the construction of a total of eight vessels. These comprise two 70T Bollard Pull Tugs, two 60T Green Tugs (Electric) for Polestar Maritime Limited and four 70T Electric Harbour Escort Tugs for Svitzer, Denmark. To ensure seamless execution of these projects, the Company has established a dedicated project office at Kochi to oversee and coordinate construction activities under the work-share arrangements.

19. During the first part of the financial year 2026-27, the Company also secured fresh orders from Ocean Sparkle Limited for the construction of four 70T Bollard Pull Tugs, reinforcing the Company's strong customer relationships and the confidence reposed by the customers in its execution capabilities and quality standards. As on the date of this report, the Company has a robust unexecuted order book exceeding ₹ 2,000 crores, providing strong revenue visibility and a solid foundation for sustained growth in the years ahead.

20. During the financial year 2025-26, Udupi-CSL delivered exceptional financial performance, driven by the timely execution of shipbuilding contracts and successful vessel deliveries. Total income surged to ₹ 63,021.29 lakhs from ₹ 27,862.12 lakhs in the previous fiscal year, registering a remarkable year-on-year growth of 126.19%. Revenue from operations stood at ₹ 61,811.64 lakhs compared to ₹ 26,563.60 lakhs in the prior year, representing a growth of 132.69%. Profit before tax (PBT) witnessed an exponential increase to ₹ 13,167.79 lakhs against ₹ 858.74 lakhs in the previous year. Similarly, profit after tax (PAT) grew significantly to ₹ 9,338.76 lakhs, up from ₹ 262.78 lakhs recorded in FY 2024-25. The financial highlights for the reporting period are summarized below:

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
(i)	Total Income	63,021.29	27,862.12
(ii)	Profit/ (Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	14,793.72	2,130.68
(iii)	Finance cost	650.11	183.60
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	975.82	1,088.34
(v)	Profit/ (Loss) Before Tax	13,167.79	858.74
(vi)	Tax	3,829.03	595.96
(vii)	Net Profit/ (Loss)	9,338.76	262.78
(viii)	Net-worth	20,175.27	17,130.11

Proposed Dividend

21. In view of the Company's ongoing growth and consolidation phase, capital expenditure and working capital requirements and the need to preserve internal resources to support its future growth, business operations and financial strength, the Board of Directors has decided not to recommend any dividend for the financial year under review.

Segment wise/ product wise performance

22. The Company is primarily engaged in shipbuilding. The segment wise performance of the Company is given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Segment Assets		
Shipbuilding	39,633 49	30,263.01
Ship Repair	-	(7.46)
Unallocated	14,980 32	22,316 40
Total	**54,613.81**	**52,571.95**
Segment Liabilities		
Shipbuilding	9,762.79	10,459.77
Ship Repair	-	36.88
Unallocated	24,675.75	24,945.19
Total	**34,438.54**	**35,441.84**
Segment Revenue		
Shipbuilding	61,789.88	26,563.60
Ship Repair	-	-
Unallocated	1,231.41	1,298.52
Total	**63,021.29**	**27,862.12**
Segment Result		
Shipbuilding	18,120.38	2,493.68
Ship Repair	-	-
Unallocated	(4,952.59)	(1,634.94)
Total	**13,167.79**	**858.74**

SWOT

23. The Company possesses established shipbuilding infrastructure and integrated facilities capable of constructing a diverse range of small and medium-sized vessels, including harbour tugs, offshore support vessels, multipurpose support vessels and other specialised crafts for both domestic and international customers. Over the years, the Company has established a strong track record in executing complex shipbuilding projects, supported by a skilled and dedicated workforce and robust project management capabilities. The successful completion of prestigious export orders and the receipt of repeat orders from existing customers underscore the Company's proven execution capabilities, quality standards, and long-standing customer relationships.

24. As a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), one of India's premier shipbuilding and ship repair companies, the Company continues to leverage CSL's technical expertise, project execution experience, and institutional strengths, thereby enhancing its operational capabilities and competitiveness. The Company's adherence to internationally recognised management systems, including ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 14001:2015 (Environmental Management System), and ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System), together with its strong emphasis on quality and safe working environment, reinforces its reputation as a reliable shipbuilder for domestic and overseas clients.

25. The Company continues to face certain structural and operational constraints that may limit its growth potential. The limited land availability at its Malpe shipyard restricts opportunities for future capacity expansion and constrains its ability to undertake construction of larger vessel segments. In addition, certain infrastructure upgrades and modernisation initiatives would be required to support future business growth and evolving technological requirements.

26. The Company's operations continue to rely significantly on subcontract labour, making it susceptible to fluctuations in labour availability and costs. Further, the limited development of the domestic ancillary ecosystem for shipbuilding necessitates dependence on imported equipment and critical raw materials, resulting in longer procurement cycles and increased exposure to supply chain uncertainties.

27. The Government of India's continued policy focus on promoting the domestic shipbuilding industry, coupled with increasing emphasis on maritime infrastructure and green shipping initiatives, presents significant growth opportunities for the Company. Rising demand for

technologically advanced and environmentally sustainable vessels, including electric and hybrid tugs, harbour crafts, inland cargo vessels, specialised port vessels, and other niche marine assets, is expected to support future business prospects. The Company's demonstrated execution capabilities, healthy order book and continued support from its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), position it well to capitalise on these emerging opportunities in both domestic and international markets.

28. The Company functions in a highly competitive industry characterised by rapid technological advancements, evolving customer requirements, increasing labour and input costs, and stringent regulatory and environmental compliance requirements. Competitive pricing pressures, volatility in steel and other raw material prices, fluctuations in foreign exchange rates and geopolitical disruptions affecting global supply chains continue to pose risks to project execution and profitability.

29. The Company also faces increasing competition for skilled maritime manpower, particularly from larger domestic shipyards, resulting in challenges in attracting and retaining experienced personnel. These factors, together with continuing uncertainties in global supply chains for imported equipment and electronic systems, could impact project schedules and cost competitiveness. The Company remains focused on mitigating these risks through continuous improvement in operational efficiency, technology adoption, prudent cost management, strategic sourcing and supply chain optimisation.

Risks and concerns

30. The Company operates in a cyclical shipbuilding industry that is influenced by global economic conditions, developments in the shipping and offshore sectors, international trade and geopolitical events. As an order-driven business, the Company's performance and growth are dependent on its ability to secure new orders, maintain a healthy order book and execute projects within committed timelines.

31. The Company's operations are dependent on the timely availability of key raw materials such as steel and essential components including engines, propellers, pumps and navigation systems. Disruptions in global supply chains, delays in procurement or fluctuations in foreign exchange rates may impact project execution, costs and profitability. The Company continues to mitigate these risks through prudent procurement practices and a robust Foreign Exchange Policy.

32. The Company is also exposed to operational risks arising from equipment failure, machinery breakdown, fire and other unforeseen incidents. The Company continues to strengthen its maintenance, safety and risk management practices to minimise operational disruptions. Although adequate insurance coverage is maintained for major operational risks, business interruption insurance is currently not in place. Accordingly, any significant operational disruption could adversely affect project execution, contractual delivery schedules and the Company's financial performance.

Internal Control

33. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures. The Company had engaged M/s. RAGA Consulting LLP, Chartered Accountants, for review and testing the internal financial controls of the Company. Their assessment confirmed that these controls were adequate, commensurate with the size and nature of the Company's business and were operating effectively. The Company continues to maintain and monitor these robust internal financial controls.

Human Resource Development and Industrial Relations

34. As on March 31, 2026, the Company has 189 employees consisting of 91 executives, 38 supervisors and 60 workmen. Out of the 91 executives, 6 are employed on deputation basis from the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL). The Company has also engaged 19 trainees under its apprenticeship programme. Further, the Company provides training to its work force in various fields as per the job requirements. During the reporting period the Company maintained cordial industrial relations.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

35. The Company believes in sustainable development and prioritises environment friendly and energy efficient business practices. Further, the Company endeavours to incorporate modern technology in its business processes and operations, wherever possible.

36. During the year under review the Company undertook the following key initiatives to conserve energy:

 - The existing lighting system at the repair outfit shed consisting of 32 Nos. of 400 W sodium vapour lights was replaced with 16 Nos. of energy-efficient LED light fittings.
 - All 32 Nos. of existing 400 W sodium vapour lamps at the Hangarkatte Yard (CS Bay) were replaced with LED light fittings.
 - Installed a new 1010 kVA Diesel Generator (DG) equipped with an electronic governor and an advanced fuel injection system, in place of the existing two 500 kVA DG sets.

37. These measures have collectively contributed to improved energy efficiency through reduction in electricity consumption, improved illumination, reduced maintenance requirements and better fuel efficiency and operational reliability during power interruptions.

38. The Company continued to strengthen its technological capabilities by adopting globally proven ship designs and advanced systems for its key products. The Bollard Pull Tugs are built using state-of-the-art designs from Robert Allan Limited, Canada, while the Dry Cargo Vessels are based on designs developed in collaboration with Conoship International BV, Netherlands. The Company's Green Tugs incorporate advanced battery systems supplied by Green Maritime Propulsion Private Limited (A JV Company formed between Cochin Shipyard Limited and HBL Engineering Limited) and integrated electrical packages from ABB, demonstrating the Company's focus on innovative, sustainable and technology-driven shipbuilding solutions. Further, the Company has accorded preference to indigenously manufactured products, wherever technically and commercially feasible, for the projects undertaken at the Yard, with a view to reducing dependence on imported stores, spares and equipment and promoting the use of domestic products.

39. During the reporting period, the Company has earned an income of ₹ 35,973.39 lakhs (PY - ₹ 17,138.70 lakhs) in foreign currency and incurred an amount of ₹ 22,500.87 lakhs (PY - ₹ 15,287.59 lakhs) towards expenses in foreign currency.

Corporate Social Responsibility (CSR)

40. During the year under review, the Company came under the ambit of CSR provisions for the first time since conclusion of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), with a CSR obligation of ₹ 10,000 for the financial year 2025-26. Considering the quantum of the CSR obligation and the established track record of its holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL) in undertaking CSR activities, the Company contributed the amount to CSL towards the construction of an open auditorium for Gandhi Shatabdi Government Model Higher Primary School, Malpe implemented through Palli Srinivas Hegde Charitable Trust, Udupi, in compliance with the applicable provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.

41. The Annual Report on CSR activities is placed at Annexure III to the Directors' Report.

Cautionary Statement

42. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward-looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Jose V J
Chairman
DIN: 08444440

Kochi
July 24, 2026

Financial Statements

Independent Auditors' Report

To
The members of **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED**
(Formerly TEBMA SHIPYARDS LIMITED)

OPINION

We have audited the accompanying financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited ("the Company"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "financial statements")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("The Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2026, the Profit including Other Comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters as described below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Sl. No	Key Audit Matter	Auditor's response
1	Refer to Note 3.11(a) and Note 41 of the financial statements, regarding Revenue from contracts with customers. There are significant accounting judgements involved in estimating contract revenue to be recognised on contract with customers, including estimation of transaction price and financial assistance allocation to the completed performance obligations and determination of progress of completion as on the reporting date. The progress of completion is ascertained as per the in-house procedures developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs from the technical departments of the company.	**Our key audit procedures included;** - We assessed the appropriateness of the Company's revenue recognition policies, by comparing with applicable accounting standards. - Understanding of the systems, processes and control implemented by management for recording and calculating revenue from contract with customers. - We tested the effectiveness of controls relating to the evaluation of performance obligations and identification of those that are distinct, estimation of costs to complete each of the performance obligations as the work progresses.

Sl. No	Key Audit Matter	Auditor's response
	Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Due to the nature of the contracts, revenue recognition involves usage of percentage of completion method, which is determined by survey of work performed, which involves technical expertise, significant judgments, identification of contractual obligations and the Company's rights to receive payments for performance completed till date, changes in scope and consequential revised contract price. Revenue is recognised when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over the period of time using output method based on measurement of physical progress of completion to date in respect of contracts with customers.	- Selected a sample of contracts with customers and performed following procedures • Obtained and reviewed contract documents for each selection and other documents that were part of the agreement. • (i) Identified significant terms and conditions in the contract to assess management's conclusions regarding the determination of transaction price (ii) identification of performance obligation; (iii) changes to costs to complete as work progresses; (iv) impact of change orders on the transaction price and (v) evaluation of the adjustment to the transaction price on account of variable consideration. • Compared costs incurred with company's estimates of costs incurred to date to identify significant variations and evaluated whether those variations have been considered appropriately in estimating remaining costs to complete the contract. • Tested the estimate for consistency with the status of delivery of milestones. • Performed analytical audit procedures for reasonableness of revenues disclosed by type and nature of contracts. • Substantial reliance was placed on the technical and activity based assessment made by the management in determination of percentage of physical progress completion. • Evaluated the appropriateness of the disclosures made by the company in accordance with Ind AS 115
2.	Refer to Note 3.13 to the Financial Statements regarding Taxes on Income and Note 8B & Note 9 to the Financial Statements regarding Deferred Tax Assets(net). Significant estimate and judgement involved in the recognition of deferred tax assets require a determination of future taxable income based on the Company's expectations. The assessment of realizability of deferred tax assets is based on a reasonable and supportable evidences and certainty test, depending on the composition of the deferred tax assets.	**Our key audit procedures included:** • Assessing the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal financial controls over the recognition of deferred tax assets. • Obtaining details of different components of deferred tax assets and details of estimates of taxable incomes for future periods as approved by the Board of Directors. • Obtaining confirmation where the future forecasts were approved in the meetings of the Board of Directors. • Evaluating the management assessment relating to the amendment in Income Tax Act and its consequential impact on items that qualify for recognition of deferred tax assets • Evaluating the management assessment for estimating availability of future taxable profits for determination of recognition of deferred tax assets. • Assessing the period over which the deferred tax assets would be recovered against future taxable income. • Evaluating companies actual performance for the current year and discussed with the management their basis and assumptions in respect of evidence to support that there will be sufficient taxable income in the ensuing years to absorb the deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in Directors Report and Management Discussion and Analysis Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we are not expressing any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as

a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal financial control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we have given in "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

2. As required under the Directions and Sub- Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sub Section (5) of Section 143 of the Companies Act 2013, we are enclosing our report in "Annexure B".

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

 a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

 b) In our opinion proper books of account as required by the law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

 c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account.

 d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

 e) In view of the exemption given vide notification no.G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.

 f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C"**. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

 g) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, as amended;

 The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the company, being a Government Company, vide Ministry of Corporate Affairs notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 45.B to the Financial Statements.

ii. The company has made provision, as required under applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any on long term contracts including derivative contracts.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the notes to the financial statements, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, , directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the notes to the financial statements , no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above contain any material misstatement.

v. The company has not declared or paid or distributed any amount as Dividend during the year and therefore the question of further reporting on this aspect does not arise.

vi. Based on our examination which included test checks, the company has used an accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2026 which have the feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software systems. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with, and the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

For M/s K P Kanchan & Co
Chartered Accountants
Firm Regn No.027635S

K. Padmanabha Kanchan
Proprietor
M No. 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500

Place: Brahmavar
Date: 24-04-2026

Annexure A' to the Independent Auditors' Report on Financial Statements

(Issued to Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Limited) for the year ending 31 March 2026)

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements")

In terms of the information and explanations sought by us and given by the Company and the books of accounts and records examined by us in the normal course of audit and to the best of our knowledge and belief, we state that:

I. a) A. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment, Capital work-in-progress and relevant details of right-of-use assets.

B. The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

b) According to the information and explanations given to us and the records examined by us the Property, Plant and Equipment of the Company have been physically verified by the management. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. As informed to us and as evidenced by the records produced before us, no material discrepancies were noticed on such verification.

c) According to the information and explanations given to us and the records examined by us and based on the examination of the registered title deeds provided to us, we report that the title deeds, of all the immovable properties (other than properties where the company is lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the Financial Statements included in Property, Plant and Equipment and Capital work-in progress are held in the name of the Company as at the balance sheet date. In respect of immovable properties that have been taken on lease & disclosed as Assets on Leased Premises under Property Plant & Equipment (Note 4(b) to Financial Statements), the lease agreements (as produced before us) are in the name of the Company, where the Company is the lessee in the agreement. However, the title deeds of freehold land continue to stand in the name of erstwhile Tebma Shipyards Limited and Tebma Engineering Private Limited.

d) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not revalued Property, Plant and Equipment (Including Right-of-use assets) or intangible assets or both during the year.

e) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, there are no proceedings initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder .

II. a) According to the information and explanations given to us, inventories have been physically verified by the management during the year. In our opinion the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate having regard to the size of the Company and nature of its operations. No discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventories were noticed on such physical verification of inventories. .

b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, we hereby report that the Company has been sanctioned with working capital limits in excess of ₹ Five Crores in aggregate from Banks, on the basis of security of Current Assets i.e. Inventory and Trade Receivables. The Company has filed the quarterly returns/statements of Current Asset i.e Inventory and Trade Receivables, with such lending Banks, which are in agreement with the books of accounts of the company.

III. As per the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year Company has not made any investment, or provided any guarantee or security or has not granted any loans or advances in the nature of loans to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or any other entities during the year, hence reporting requirement of provisions of paragraph 3 (iii) (a) to (f) is not applicable.

IV. As per the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the records of the company, the Company has not advanced any loan, given any guarantee, made any investments or provided any security to any entity covered by the provisions of Section 185 and Section 186 of Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clause 3(iv) of the Order does not arise.

V. The Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause (v) of the Order is not applicable. .

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, as amended prescribed by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that, prima facie, the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determine whether they are accurate and complete.

VII. a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Good and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess, and other material statutory dues, applicable to it, with the appropriate authorities. There were no outstanding undisputed statutory dues as on the date of Balance Sheet for a period of more than six months from the date they became payable.

b) According to the records of the company made available to us and as per the information and explanations given to us, details of statutory dues referred to in sub clause (a) above which have not been deposited as on 31st March 2026 on account of disputes are given below :.

Sl. No	Name of the Statute	Nature of the statutory due	Amount of dispute (In Lakhs)	Period to which the amount related	Forum where dispute is pending
1	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	98.63	2006-07	Honourable High Court of Madras
2	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	114.17	2007-08	Honourable High Court of Madras
3	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	235.52	2006-07	Honourable High Court of Madras
4	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	344.77	2006-07	Honourable High Court of Madras
5	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	56.28	2006-07	Honourable High Court of Madras
6	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	187.33	2006-07	Honourable High Court of Madras
7	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	11.02	2006-07	Honourable High Court of Madras
8	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	260.57	2006-07	Honourable High Court of Madras
9	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	389.19	2006-07	Honourable High Court of Madras

Sl. No	Name of the Statute	Nature of the statutory due	Amount of dispute (In Lakhs)	Period to which the amount related	Forum where dispute is pending
10	Kerala Tax on Entry of Goods into Local Areas act	Entry Tax	0.45	2006-07	Supreme Court
11	Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry Tax	48.48	2012-23	Karnataka Appellate Tribunal
12	Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry Tax	4.92	2010-11	Karnataka Appellate Tribunal
13	Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry Tax	23.05	2009-10	Karnataka Appellate Tribunal
14	Central Excise Act	Central Excise	72.57	2008-09	CESTAT, Bangalore
15	Finance Act 1994	Service Tax	99.54	2008-09	CESTAT, Bangalore
16	Central Excise Act	Central Excise tax matters under dispute	454.00	2009-10	CESTAT, Bangalore
17	West Bengal VAT Act	VAT	72.72	2008-09	Commissioner of Commercial Tax West Bengal
18	Finance Act 1994	Service Tax	94.10	2008-09	CESTAT, Bangalore
19	Finance Act 1994	Service Tax	441.72	2008-09	CESTAT, Bangalore
20	Karnataka VAT	Karnataka VAT	11.91	Sep 2017-Dec 2017	Assistant Commissioner of Commercial taxes, LGSTO-280
21	Income Tax Act, 1961	Penalty u/s.270A	21.69	2017-18	Commissioner of Income Tax(Appeals)

Note:

1. Sl.No-1 to 9-Amount of Dispute includes interest computed from 01/04/2016 to 31/03/2026.

2. With respect to amounts mentioned in Sl.No. 10 to 19, details are not available with the company. All these cases mentioned in the above table, pertains to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

VIII. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded in the books of account, in the tax assessments under the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) as income during the year.

IX. a) The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.

b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or government authority or any other lender.

c) The Company has not availed any terms loans during the year and there are no unutilised term loans at the beginning of the year. Accordingly reporting under clause ix (c) of the order is not applicable to the Company.

d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that, funds raised on short-term basis have, prima facie, not been utilised during the year for long-term purposes by the Company.

e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the

Company has not taken any funds from an entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures. Therefore, reporting under Paragraph 3(ix)(e) of the Order is not applicable.

f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures, or associate companies. Therefore, reporting under Paragraph 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

X. a) The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

XI. a) Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

c) According to the information and explanations given to us, and as represented to us by the management, no whistle-blower complaints have been received during the year by the company. Therefore, reporting under paragraph 3(xi)(c) of the Order is not applicable to the Company.

XII. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

XIII. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable Accounting Standards.

XIV. a) In our opinion and based on our examination, the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.

b) We have considered, the internal audit reports, issued to the Company during the year and covering the period up to 31st March 2026 in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

XV. In our opinion, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

XVI. As evidenced from the records produced before us and as per information given to us, we are of the Opinion that

(a) the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

(b) The Company has not carried on any business of Non-Banking Financial or Housing Finance Activities.

(c) The Company is not a Core Investment Company as defined under the regulations made by the Reserve Bank of India.

(d) There are no Core Investment Companies in the Group.

XVII. The Company has not incurred any cash losses in the financial year covered by our audit. The company has not incurred any cash loss during the immediately preceding financial year.

XVIII. During the year, the previous statutory auditor M/s Pai Nayak & Associates, resigned from the engagement. Based on the information and explanations given to us and as disclosed in the filings made by the outgoing auditor with the Registrar of Companies, there were no issues, objections or concerns raised by the outgoing auditor which required consideration in this report.

XIX. According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as

on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

XX. According to the information and explanations given to us, the Company has fully spent the required amount towards Corporate Social Responsibility (CSR). Accordingly, there is no unspent amount requiring transfer to a Fund specified in Schedule VII or to a special account in compliance with the provisions of sub-section (5) and sub-section (6) of Section 135 of the said Act. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) and 3(xx)(b) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 is not applicable.

XXI. The paragraph 3(xxi) of the order is not applicable to the Company, since the financial statement covered under the report is not a consolidated financial statement.

For M/s K P Kanchan & Co
Chartered Accountants
Firm Regn No.027635S

K. Padmanabha Kanchan
Proprietor
M No. 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500

Place: Brahmavar
Date: 24-04-2026

'Annexure B' to Independent Auditors' Report on Financial Statements

(Issued to Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ending 31 March 2026)

(Referred to in paragraph 2 of our report of even date under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements")

Report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013.

A. General Directions

(a) Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.

We have examined the records and disclosures relating to investments made directly by the Company or through trusts for post-retirement employee benefits. Based on the information and explanations provided by the Management and the records produced for our verification, the Company does not hold any material quoted or unquoted investments directly or through trusts towards post-retirement employee benefit obligations as at 31 March 2026.

Employee benefit obligations disclosed in the financial statements have been accounted for in accordance with the applicable provisions of Ind AS 19 – Employee Benefits. We have reviewed the underlying actuarial valuation reports, related accounting treatment and disclosures in the financial statements.

In view of the absence of material investment assets requiring fair valuation, reporting on valuation methodologies for quoted and unquoted investments is not applicable. No material misstatements or deviations were noticed in respect of accounting and disclosure of post-retirement employee benefit obligations.

(b) Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organisations empanelled by Cert-In at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported".

Based on the information and explanations provided to us and records examined by us, the Company has a system in place for processing accounting transactions through SAP ERP system and other integrated IT applications. Financial and accounting transactions are substantially processed through the IT system.

During the year, the Company carried out an Information Security Gap Assessment and review of IT controls and cyber security covering various aspects relating to IT governance, information security framework, access controls, password management, supplier management, incident management, business continuity, backup procedures and cyber security controls.

The review report identified certain gaps and areas for improvement in the information security framework, inter alia, absence of formal information security policies, need for strengthening segregation of duties, access control documentation, incident management procedures, backup mechanisms and independent information security review processes. Recommendations were provided for strengthening the overall information security environment in line with ISO 27001 requirements.

Based on the audit procedures performed and records examined by us, no material discrepancies having material

impact on the financial reporting process were noticed which would affect the integrity of the accounts. Further, no material instances involving processing of accounting transactions outside the IT system having material financial implications on the financial statements were observed during the course of our audit.

(c) Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

In our opinion, based on our examination of books of accounts of the company and as per the information and explanations given to us, the funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per their terms and conditions.

(d) Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?

Based on the information and explanations provided to us and records examined by us, the Company has identified various operational, financial, compliance and information security related risk areas through its internal control framework, management review processes and Information Security Gap Assessment. The Company has established control mechanisms and standard operating procedures for key financial reporting areas including related party transactions, provisioning, taxation, employee benefits, GST, contingent liabilities and financial statement disclosures.

The Company has also implemented management systems under ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 frameworks and has undertaken review of information security controls with recommendations for strengthening the framework in line with ISO 27001 requirements and global practices.

Further, the Company has identified information and IT related assets as part of its information security assessment process. However, no separate valuation of data assets was made available to us for verification.

(e) Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not. the cases of deviation may be highlighted.

Based on the information and explanations provided to us and records examined by us, the Company has generally been complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, relevant directions/guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI), CERT-In and Ministry of Electronics and Information Technology, wherever applicable to the Company.

Since Udupi Cochin Shipyard Limited is an unlisted Government company, the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are not applicable to the Company. Further, provisions relating to Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and National Payments Corporation of India (NPCI) are not applicable to the Company based on the nature of its operations.

During the course of our audit, no material instances of non-compliance with the aforesaid applicable laws, rules, regulations and guidelines were noticed.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For M/s K P Kanchan & Co
Chartered Accountants
Firm Regn No.027635S

K. Padmanabha Kanchan
Proprietor
M No. 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500

Place: Brahmavar
Date: 24-04-2026

'Annexure C' to Independent Auditors' Report on Financial Statements

(Issued to Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ending 31 March 2026)

(Referred to in paragraph 3(f) of our report of even date under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements")

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Udupi Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal financial control with reference to Financial Statements established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For M/s K P Kanchan & Co
Chartered Accountants
Firm Regn No.027635S

K. Padmanabha Kanchan
Proprietor
M No. 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500

Place: Brahmavar
Date: 24-04-2026

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24 April 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2026 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Chennai
Date: 09 June 2026

(S. Velliangiri)
Principal Director of Audit, Shipping

Balance Sheet

as at March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment (other than (b) below)	4	9208.46	8948.84
(b) Right of Use assets (ROU)		675.10	703.26
(c) Capital work-in-progress	5	383.11	537.54
(d) Intangible assets	6	73.49	144.34
(e) Financial assets			
Other Financial Assets	7	41.06	38.09
(f) Income tax assets (net)	8	80.51	104.61
(g) Deferred tax assets (net)	9	1965.99	3668.86
(h) Other non-current assets	10	151.50	105.48
Total Non-Current assets		**12579.22**	**14251.02**
Current assets			
(a) Inventories	11	10456.28	11654.43
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	12	1253.89	78.43
(ii) Cash and cash equivalents	13	2129.67	16.37
(iii) Bank balances other than (ii) above	14	3031.00	1755.99
(iv) Other Financial assets	15	3176.40	4614.37
(c) Other current assets	16	21987.35	20201.35
Total Current assets		**42034.59**	**38320.94**
Total Assets		**54613.81**	**52571.96**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	17	10800.00	10800.00
(b) Other equity	18	9375.27	6330.11
Total Equity		**20175.27**	**17130.11**
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	19	1500.00	1000.00
(ii) Lease Liabilities	20	535.43	594.37
(iii) Other financial liabilities	21	-	19.98
(b) Other non current liabilities	22	-	2.36
(c) Provisions	23	121.32	79.45
Total Non-Current Liabilities		**2156.75**	**1696.16**
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Short Term Borrowings	24	3985.62	4844.04
(ii) Lease Liabilities	25	114.82	53.88
(iii) Trade payables			
a) Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	26	143.73	350.53
b) Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		4816.85	4651.89
(iv) Other financial liabilities	27	5887.43	2645.79
(b) Other current liabilities	28	16392.66	20471.61
(c) Provisions	29	940.68	727.95
Total Current Liabilities		**32281.79**	33745.69
Total Equity and Liabilities		**54613.81**	**52571.96**
Corporate overview and Material Accounting Policies etc	1-3		
Notes to the Financial Statements	4-56		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M
Company Secretary
M.No. A41969

SHANKAR NATARAJ
Chief Financial Officer

HARIKUMAR A
Chief Executive Officer

JOSE V J
Chairman
DIN-08444440

Dr HARIKRISHNAN S
Director
DIN-10221559

For KP KANCHAN & CO
Chartered Accountants
FRN - 027635S

C.A. K Padmanabha Kanchan
Proprietor
M.No 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500
Place :Udupi
Dated: 24-04-2026

Statement of Profit and Loss

for the Year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Sl No	Particulars	Note No.	Year Ended 31-Mar-26	Year Ended 31-Mar-25
I	**Income**			
	Revenue from operations	30	61811.64	26563.60
	Other income	31	1209.65	1298.52
	Total Income		**63021.29**	**27862.12**
II	**Expenses**			
	Cost of materials consumed	32	29307.30	14797.73
	Changes in Inventories of Work-in-Progress	33	645.23	(456.59)
	Sub contract and other direct expenses	34	10530.90	7033.94
	Employee benefits expenses	35	1849.31	1444.97
	Finance costs	36	650.11	183.60
	Depreciation and amortisation expenses	37	975.82	1088.34
	Other expenses	38	5894.83	2911.39
	Total expenses		**49853.50**	**27003.38**
III	**Profit /(Loss) before exceptional items and tax (I-II)**		**13167.79**	**858.74**
IV	**Exceptional Items**		**-**	**-**
V	**Profit / (Loss) beforeTax (III+IV)**		**13167.79**	**858.74**
VI	**Tax expense**			
	(1) Current tax	8	-	-
	(2) Deferred tax	9	3829.03	595.96
VII	**Profit / (Loss) for the year (V-VI)**		**9338.76**	**262.78**
VIII	**Other comprehensive income**			
	A) Items that will be reclassified to profit or loss			
	i) Effective portion of gains/ (losses) on cash flow hedging instruments		(8417.99)	831.61
	ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		2118.64	(209.30)
	B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(29.85)	(50.13)
	ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		7.51	12.62
	Other comprehensive income for the year		**(6321.69)**	**584.80**
IX	**Total Comprehensive Income for the year**		**3017.07**	**847.58**
X	**Paid up equity share capital (Face value - ₹ 10 each)**		**10800.00**	**10800.00**
XI	**Earnings per equity share of ₹ 10 each (Fully Paid up)**	40		
	(1) Basic (₹)		8.65	0.24
	(2) Diluted (₹)		8.65	0.24
	Corporate overview and Material Accounting Policies	1-3		
	Notes to the Financial Statements	4-56		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M
Company Secretary
M.No. A41969

SHANKAR NATARAJ
Chief Financial Officer

HARIKUMAR A
Chief Executive Officer

JOSE V J
Chairman
DIN-08444440

Dr HARIKRISHNAN S
Director
DIN-10221559

For KP KANCHAN & CO
Chartered Accountants
FRN - 027635S

C.A. K Padmanabha Kanchan
Proprietor
M.No 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500
Place :Udupi
Dated: 24-04-2026

Statement of Changes in Equity

For The Year Ended 31 Mar, 2026

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2025	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at Mar 31, 2026
10,800.00	-	-	-	10,800.00

Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2024	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2025
10,800.00	-	-	-	10,800.00

B. Other Equity

(₹ in lakhs)

	Reserves and Surplus			Other Comprehensive Income	Total
	General Reserve	Retained Earnings	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2025	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-
Addition of Land property	28.09	-	-	-	28.09
Profit for the year	-	9338.76	-	-	9338.76
Other comprehensive income for the year (net of tax)	-	(22.34)	-	(6299.35)	(6321.69)
Total comprehensive income for the year	**7389.79**	**7238.00**	**100.00**	**(5352.52)**	**9375.27**
Dividends	-	-	-	-	-
Transfer from retained earnings	-	-	-	-	-
Balance as at Mar 31,2026	**7389.79**	**7238.00**	**100.00**	**(5352.52)**	**9375.27**

Statement of Changes in Equity

For The Year Ended 31 Mar, 2026

B. Other Equity (Contd..)

(₹ in lakhs)

	Reserves and Surplus			Other Comprehensive Income	Total
	General Reserve	Retained Earnings	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2024	7361.70	(2303.69)	100.00	324.52	5482.53
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-
Profit for the year	-	262.78	-	622.31	885.09
Other comprehensive income for the year	-	(37.51)	-	-	(37.51)
Total comprehensive income for the year	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**
Dividends	-	-	-	-	-
Transfer from retained earnings	-	-	-	-	-
Balance as at Mar 31,2025	**7361.70**	**(2078.42)**	**100.00**	**946.83**	**6330.11**

Debenture Redemption Reserve: The Company has created Debenture Redemption Reserve at 10% of the value of debenture issued by the company in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 maturing in November, 2028.

Corporate overview and Material Accounting Policies	1-3
Notes to the Financial Statements	4-56

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M
Company Secretary
M.No. A41969

SHANKAR NATARAJ
Chief Financial Officer

HARIKUMAR A
Chief Executive Officer

JOSE V J
Chairman
DIN-08444440

Dr HARIKRISHNAN S
Director
DIN-10221559

For KP KANCHAN & CO
Chartered Accountants
FRN - 027635S

C.A. K Padmanabha Kanchan
Proprietor
M.No 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500
Place :Udupi
Dated: 24-04-2026

Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For Year Ended March 31, 2026	For Year Ended March 31, 2025
A. Cash flow from operating activities		
Profit (Loss) before tax	13167.79	858.74
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation expense	975.82	1088.34
Finance cost	650.11	183.60
Interest income from Bank Deposits	(91.98)	(211.89)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	1128.99	(282.16)
Unrealised loss/(gain) on derivative contracts (net)	(1703.61)	-
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	811.81	(52.85)
Operating cash flow before working capital changes	**14938.93**	**1583.78**
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	1198.15	(5747.41)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(2946.64)	(15238.34)
Increase / (decrease) in trade and other payables	(6137.43)	15103.98
	7053.01	**(4297.99)**
Income tax (paid)/refund (net)	24.10	(31.05)
Net cash flows from operating activities (A)	**7077.11**	**(4329.04)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and Intangible Assets	(1108.30)	(1346.88)
(Increase) / decrease in capital work In progress	154.43	258.21
Sale proceeds from Property, Plant and Equipment	-	-
(Increase) / Decrease in Term Deposit	(1275.01)	(1055.05)
Interest received on Bank deposits	91.98	211.89
Rent received	-	-
Net cash flows from investing activities (B)	**(2136.90)**	**(1931.83)**
C. Cash flow from financing activities		
Net gain /(loss) on foreign currency transactions	(811.81)	52.85
Net gain /(loss) on Derivative Contracts	(1128.99)	282.16
Payment of Working capital Loan	(858.42)	4344.04
Receipt of working capital Loan	500.00	-
Proceeds from Issued of Equity Shares on Right Basis	-	-
Repayment of lease liability with Finance Cost (viz. Rent Paid)	-	(57.82)
Finance cost	(527.69)	(121.21)
Net cash flows from financing activities (C)	**(2826.91)**	**4500.02**

Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2026

(₹ in lakhs)

Particulars	For Year Ended March 31, 2026	For Year Ended March 31, 2025
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**2113.30**	**(1760.85)**
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	**16.37**	**1777.21**
Cash and cash equivalent at the end of the Year	**2129.67**	**16.37**
Components of cash and cash equivalents (refer note 13)		
Cash on hand	-	-
Balances with banks	2129.67	16.37
Total cash and cash equivalents	**2129.67**	**16.37**

I. Cash Flow Statement is prepared under indirect method as prescribed under Ind AS 7.

II. Cash And Cash Equivalents do not include Bank Deposits with Maturity period beyond 3 Months, Earmarked Deposits, Deposits Kept as Margin Money.

iii. Refer Note 51A for futher disclosures in relation to Cash Flow Statement i.e Cash Flow from Financing Activities

Corporate overview and Material Accounting Policies 1-3

Notes to the Financial Statements 4-56

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M
Company Secretary
M.No. A41969

SHANKAR NATARAJ
Chief Financial Officer

HARIKUMAR A
Chief Executive Officer

JOSE V J
Chairman
DIN-08444440

Dr HARIKRISHNAN S
Director
DIN-10221559

For KP KANCHAN & CO
Chartered Accountants
FRN - 027635S

C.A. K Padmanabha Kanchan
Proprietor
M.No 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500
Place :Udupi
Dated: 24-04-2026

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

1. CORPORATE OVERVIEW AND MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), a company engaged in manufacturing and repair of commercial ships for domestic and international clients, was founded on July 09, 1984. UCSL was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited', became public as 'Tebma Engineering Limited' and subsequently the name was changed to 'Tebma Shipyards Limited'. In September 2020, the Company was taken over by Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India, through the statutory insolvency resolution process. Consequently, on April 22, 2022, the name of the Company was changed to 'Udupi Cochin Shipyard Limited'.

The Registered Office of the Company is situated at S.No.377, Pazhamathur Village, Pukathurai Post, Madurantakam Taluk, Kancheepuram – 603 116. UCSL has two yards; One in Malpe – Karnataka and the other one in Chengalpet – Tamil Nadu. It has a major fabrication unit in Hangarkatta (about 20 km from the Malpe yard). The Company has been known for its quality standards and commitment levels in the shipbuilding industry.

The financial statements for the year ended March 31, 2026 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 24th April, 2026 which are subject to the supplementary audit by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and final approval of the shareholders.

2. Basis of preparation and presentation of Financial Statements

2.1 Statement of Ind AS Compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

2.2 Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3. Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments, Property Plant and Equipments / Right of Use Assets which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company's normal operating cycle;

ii. the asset is intended for sale or consumption;

iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;

v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

(i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.

(ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. "

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of Material Accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Litigations

From time to time, the Company is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavorable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Company categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

(a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

(b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.

(c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Company's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgment in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers.

Revenue is recognized over time by measuring the work carried out or survey of performance completed to date under output method. Under this method, works completed to date in each contract are the basis to measure and recognize revenue. The quantum is calculated by each project team based on the technical progress up to the reporting date. The revenue recognized reflects the value of works completed/ measured to date in line with the consideration as determined in the respective contracts.

Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.6 Changes in Accounting Policies

There are no changes in Accounting Policies during the Year ending 31 st March 2026

3 Material Accounting Policies

The Company has consistently applied all the accounting policies to the period presented in this financial statements except :

- where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or
- a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

(Refer "Note No. 2.6-Changes in Accounting Policies")

The Company presents the material accounting policies under this note, which should be read in conjunction with the information presented and disclosed in the relevant notes referred under these financial statements and are considered to be "Material Accounting Policy Information".

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Recognition and Measurement:

Items of Property, Plant and Equipment are measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated depreciation and any accumulated

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

impairment losses. For the items of Property, Plant and Equipment existing as on April 1, 2019 i.e company's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

If significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of Property, Plant and Equipment, i.e., when the Company intends to use these for a period exceeding 12 months and that can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

Any gain or loss on disposal of an item of Property, Plant and Equipment is recognized in the statement of profit and loss account.

Subsequent Expenditure:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items is material and can be measured reliably.

3.2 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP').

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years."

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

For the intangible assets existing as on April 1, 2019 i.e company's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date."

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

3.4 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land

As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use (RoU) Assets

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments ie., amortised cost under effective interest method. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. When a lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of right of use asset, or is recorded in statement of profit and loss, if carrying amount of the right of use asset has been reduced to nil

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and RoU assets is also suitably adjusted.

The Company presents right of use assets in 'property, plant and equipment' and the lease liabilities separately from other liabilities in the Balance Sheet.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognized as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in (""Accrued Lease Rental asset"").

3.5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

* Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

*Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Part C of Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

* Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and up to the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all categories of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipments are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

3.6 Inventories

(a) Raw materials, components,stores and spares are valued at weighted average cost method. When they are intended to project use, valuation is done at project specific weighted average cost method. Goods in transit are valued at cost.

(b) Work In Progress (WIP) and Finished goods, have been valued at lower of cost and net realisable value.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Cost of Inventories comprises of all costs of purchase, cost of conversion , a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity and other costs incurred in bringing them to their respective present location and condition. Cost of steel plates, profiles, equipments and other raw materials and stores and spares at Weighted Average Method. Cost of Work-inProgress and Finished Goods is determined on Absorption Costing Method."

3.7 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- Financial assets at amortised cost;
- Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);"

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL

c) Lease Receivables under Ind AS 116 "

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognizes lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognized at the reporting date is recognized as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortized cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

* Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

* Financial liabilities at amortized cost"

Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Financial Liabilities at amortised cost

Financial Liabilities that are not held-for-tradingand are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortised cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognised when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

- the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset."

A **financial liability** or a part of financial liability is de-recognised from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Derivative instruments and hedge accounting

The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non- designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Company undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Company generally designates the whole forward contract as hedging instrument. These hedging instruments are governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors. At the inception of a hedge relationship, the Company formally designates and Documents the hedge relationship to which the Company wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective potion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively. Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting."

3.7A Impairment of Assets other than Financial assets

The Company assesses the impairment of assets other than financial assets such as Property, Plant & equipments, Intangible Assets and Inventories etc. at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable / realisable amount, is accounted for accordingly. The recoverable / realisable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

3.8 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

3.9 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.10 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Warranty obligations included in this type of provisions are not treated as a separate performance obligation, unless the customer has the option of contracting the warranty separately, therefore they are recognized in accordance with Ind AS 37. These provisions are classified as current liabilities since they relate to the operating construction projects cycle, in line with Ind AS 1."

Provision towards guarantee claims in respect of ships delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case-to-case basis, wherever required.

Contingent Liabilities and Contingent assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability.The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.11 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers are measured based on the consideration specified in a contract with a customer (ie., transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable)

At the first instance, revenue recognition process involves identifying the relevant contracts and technical evaluation of the performance obligations, contained therein.

A single performance obligation is identified in shipbuilding and/or ship repair segments for each vessel, due to the high degree of integration and customization of the various goods and services forming a combined output that is transferred to the customer over time.

The company choses the appropriate method of measuring the progress of the completion at the contract inception for recognizing revenue over time, and are applied consistently to similar performance obligations under the respective segments and/or activities carried out thereon.

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time is made only if the company can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation"

The performance obligations for the shipbuilding and Ship repair activities carried out by the company are satisfied over time rather than at a point in time, since the Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company and it has an enforceable right to payment for performance completed to date;

In the case of ship repair contracts involving continuous maintenance support/ recurring and routine services, the company opted for time-elapsed output method, i.e, measuring the progress based on time elapsed to reporting date, which is representative of the satisfaction of performance obligation subject to entitlement of consideration in exchange of goods and/or services.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the company, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

During the initial stages of a contract, where the company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognized only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation."

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

The Company generally does not recognize any revenue from additional work until it has been approved by the customer. When the scope of work has been approved but the impact on revenue is yet to be valued, the "variable consideration" requirement (as explained below) will apply. This entails recognizing revenue in an amount that is unlikely to be reversed.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

Revenue from Supply of Base & Depot Spares is recognized based on the satisfaction of performance obligation at point of time on proof of receipt of goods from customer.

Unlike revenue recognition, amounts billed to the customer are based on the various milestones reached under the contract and on acknowledgement thereof by the customer by means of a contractual document referred to as a progress billing certificate. Therefore, the amounts recognized as revenue for a given year do not necessarily match those billed to or certified by the customer. For contracts in which the revenue recognized exceeds the amount billed or certified, the difference is recognized in as "Contract Asset" under "Other Current Assets", while for contracts in which the revenue recognized is lower than the amount billed or certified, the difference is recognized as "Contract Liability" under "Other Current Liabilities".

Other Operating Revenue with respective sale of stock items and scrap is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations and right to receive the income is established as per terms of the contract by transferring promised goods and services to the customer.

b) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.Ship Building

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Financial Assistance(SBFA) is recognised over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under ""other operating revenue"".

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognized in statement of profit & loss in the period in which they become receivable."

C. Other Income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

ii) Accounting for insurance claims

(a) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statments in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(b) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statments on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

Other items of income are accounted as and when the right to receive such income arises and it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of income can be measured reliably."

3.12 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund,National Pension Scheme which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined benefit plans -

Gratuity :

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

Provident fund: Contributions to provident fund (a defined contribution plan) are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the profit and loss account. The Company has no further obligations for future provident fund benefits other than its monthly contributions.

Gratuity Fund: Company makes contribution to Group Gratuity Cash Accumulation plan maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). National Pension Scheme : Company makes contribution to National Pension Scheme maintained with SBI Fund

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.13 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The Company has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore accounted for them under Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using the tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset, when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the Balance Sheet approach. Deferred tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised."

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity)."

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.14 Operating Segments

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/ offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.15 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements and also as per Guidance note on Division II - Ind AS Schedule III.

3.16 Excluded Financial Asset

Pursuant to resolution plan and NCLT Order dated 4th March 2020, the following assets/matters of Erstwhile Tebma shipyards mentioned below are identified as excluded financial asset based on information provided by the COC or Resolution Professional

1) VAT refund;

2) Insurance claim for damages to Tug lodged with an insurance company;

3) Insurance claim for theft and burglary with an insurance company;

4) Trade receivables from Indian Navy; and

5) 50% (fifty percent) of the amount of subsidy claim (ie., Shipbuilding Finance Assistance/subsidy) form Government of India.

These items will be accounted on realization basis.

3.17: Foreign Exchange Transactions

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. At the end of each reporting period,monetary assets and lialbilities denominated in foreign currencies are translated using exchange rates in effect at the reporting date.Exchange diffrences arising on settlement or translation of monetary items are recognised in statement of profit & loss ."

3.18: Recent Pronouncements

Ministry of Corporate affairs (MCA) notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) rules as issued from time to time. For the year ended 31 st March 2026,MCA has not notified any new Standards or amendments to the existing Standards applicable to the Company.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 4 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2026	As at 1st April 2025	For the year ended 31st Mar 2026	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2026	As at 31st Mar 2026	As at 31st March 2025
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	2,680.32	28.09	-	2,708.41	-	-	-	-	2,708.41	2,680.32
Buildings	2,493.03	111.10	-	2,604.13	602.53	92.65	-	695.18	1,908.95	1,890.50
Plant and equipment	5,923.97	575.48	-	6,499.45	3,257.65	585.98	-	3,843.63	2,655.82	2,666.32
Furniture and fixtures	51.77	21.99	-	73.76	14.14	5.39	-	19.54	54.22	37.63
Vehicles	19.51	-	-	19.51	7.19	2.24	-	9.43	10.08	12.32
Office equipment	75.68	29.54	-	105.22	28.88	18.93	-	47.80	57.42	46.80
Data Processing Equipments	159.18	17.10	-	176.28	75.92	35.66	-	111.57	64.71	83.26
Electrical installation / Fitting	321.44	-	-	321.44	34.08	30.50	-	64.57	256.87	287.36
Sub Total	**11,724.90**	**783.30**	**-**	**12,508.20**	**4,020.39**	**771.35**	**-**	**4,791.72**	**7,716.48**	**7,704.51**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,482.26	352.32	-	2,834.58	1,476.79	90.49	-	1,567.26	1,267.32	1,005.48
Slipway	1,117.99	-	-	1,117.99	879.14	14.20	-	893.33	224.66	238.85
Sub Total	**3,600.25**	**352.32**	**-**	**3,952.57**	**2,355.93**	**104.69**	**-**	**2,460.59**	**1,491.98**	**1,244.33**
Total (a)+(b)	**15,325.15**	**1,135.62**	**-**	**16,460.77**	**6,376.32**	**876.04**	**-**	**7,252.31**	**9,208.46**	**8,948.84**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	767.15	-	-	767.15	63.89	28.16	-	92.05	675.10	703.26
Sub Total	**767.15**	**-**	**-**	**767.15**	**63.89**	**28.16**	**-**	**92.05**	**675.10**	**703.26**
Total(a+b+c)	**16,092.30**	**1,135.62**	**-**	**17,227.92**	**6,440.21**	**904.20**	**-**	**7,344.36**	**9,883.56**	**9,652.10**

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2025	As at 1st April 2024	For the year ended 31st Mar 2025	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2025	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	2,680.32	-	-	2,680.32	-	-	-	-	2,680.32	2,680.32
Buildings	2,259.46	233.57	-	2,493.03	488.61	113.92	-	602.53	1,890.50	1,770.85
Plant and equipment	5,257.76	666.21	-	5,923.97	2,498.16	759.49	-	3,257.65	2,666.32	2,759.60
Furniture and fixtures	37.54	14.23	-	51.77	10.98	3.16	-	14.14	37.63	26.56
Vehicles	7.33	12.18	-	19.51	4.81	2.38	-	7.19	12.32	2.52
Office equipment	48.93	26.75	-	75.68	17.39	11.49	-	28.88	46.80	31.54

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 4 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2025	As at 1st April 2024	For the year ended 31st Mar 2025	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2025	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Data Processing Equipments	114.05	45.13	-	159.18	44.61	31.31	-	75.92	83.26	69.44
Electrical installation / Fitting	132.97	188.47	-	321.44	16.52	17.56	-	34.08	287.36	116.45
Sub Total	**10,538.36**	**1,186.54**	**-**	**11,724.90**	**3,081.08**	**939.31**	**-**	**4,020.39**	**7,704.51**	**7,457.28**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,458.21	24.05	-	2,482.26	1,429.23	47.56	-	1,476.79	1,005.48	1,028.98
Slipway	1,117.99	-	-	1,117.99	864.94	14.20	-	879.14	238.85	253.05
Sub Total	**3,576.20**	**24.05**	**-**	**3,600.25**	**2,294.17**	**61.76**	**-**	**2,355.93**	**1,244.33**	**1,282.03**
Total (a)+(b)	**14,114.56**	**1,210.59**	**-**	**15,325.15**	**5,375.25**	**1,001.07**	**-**	**6,376.32**	**8,948.84**	**8,739.31**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	767.15	-	-	767.15	35.73	28.16	-	63.89	703.26	731.42
Sub Total	**767.15**	**-**	**-**	**767.15**	**35.73**	**28.16**	**-**	**63.89**	**703.26**	**731.42**
Total(a+b+c)	**14,881.71**	**1,210.59**	**-**	**16,092.30**	**5,410.98**	**1,029.23**	**-**	**6,440.21**	**9,652.10**	**9,470.73**

UCSL and Karnataka Maritime Board have signed the Lease Agreement for the Leasehold land at Malpe & Hangarkatta on 23.12.2022, for a period of 30 years w.e.f 04.3.2020,i.e;the date of NCLT order approving the take over of M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile M/s TEBMA Shipyards Ltd) by M/s Cochin Shipyard Ltd.

Team 2 (12T BollardPull Tug) given on operating lease during the previous financial year has been included in "Plant & Equipments

The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have been recognized in accounts at ₹ 28.09 lakhs.

Some parcel of lands Land belonging to the company continue to be in the name of erstwhile "Tebma Shipyards Ltd" and/or "Tebma Engineering Pvt Ltd" in the land records. Company has already initiated action to change the title deed in the name of "Udupi Cochin Shipyard Limited

Assets which cannot be detached and transported for alternate use (“Non Removable Assets”) constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

No charge has been created on Property,Plant & Equipments

Disclosures with regard to Measurement, Depreciation Method, Useful life etc. of Property, Plant and Equipment are given vide para 3.1 of Material Accounting Policies, Key Accounting Estimates and Judgements.During the year, no portion of the Property Plant and Equipment has been revalued portion.However, the management is of the opinion that the carrying value of the asset as aforesaid does not exceed its recoverable value. Further, there is no indication, whether internal or external, that result in impairment loss ”. Accordingly, the question of impairment of tangible fixed assets i.e. Property, Plant and Equipment does not arise.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 5 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Plant and machinery, Buildings and Civil works	374.11	201.52
Capital yard items	9.00	336.02
Total	**383.11**	**537.54**

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2026

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	382.62	-	0.49	-	383.11
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

None of the projects under work in progress are overdue in respect of budgeted time and cost and hence overdue CWIP schedule not applicable

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	537.05	0.49	-	-	537.54
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Note 6 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2025	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2026	As at 1st April 2025	For the year ended 31st Mar 2026	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2026	As at 31st Mar 2026	As at 31st March 2025
Computer software	222.35	0.77	-	223.12	78.01	71.62	-	149.63	73.49	144.34
Total	**222.35**	**0.77**	**-**	**223.12**	**78.01**	**71.62**	**-**	**149.63**	**73.49**	**144.34**

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st April 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2025	As at 1st April 2024	For the year ended 31st Mar 2025	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st March 2025	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Computer software	86.06	136.29	-	222.35	18.90	59.11	-	78.01	144.34	67.16
Total	**86.06**	**136.29**	**-**	**222.35**	**18.90**	**59.11**	**-**	**78.01**	**144.34**	**67.16**

Refer vide note No.3.3 of Material Accounting Policies, Key Accounting Estimates and Judgements for Measurement, amortisation Method etc of intangible assets.

No Borrowing Cost was incurred towards any qualifying Asset.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 7: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured; Considered good:		
Security deposits	41.06	38.09
Total	**41.06**	**38.09**

No amounts due from directors or KMPs of the company either severally or jointly with any other person. Further, no amounts are due from firms or private companies respectively in which any director is a partner, a director or a member.

Security deposits includes rent deposits paid towards lease land at amortised cost under Ind AS 109 read with Ind As 116

Note 8: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Non Current tax assets		
Income tax refundable net of provisions if any	80.50	104.61

The company has not accounted the TDS amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien mark on the bank guarantee issued.

(A) Major components of tax expense/(income):

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
a) Profit or Loss Section:		
i. Current tax:		
Current income tax charge	-	-
Adjustment in respect of prior years	-	-
Total (i)	**-**	**-**
ii. Deferred tax:		
In respect of current year	3,829.03	595.96
Total (ii)	**3,829.03**	**595.96**
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (i+ii)	**3,829.03**	**595.96**
b) Other Comprehensive Income (OCI) Section:		
(i) Items not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods		
Deferred Tax expense/(income)	-	-
On remeasurement of defined benefit plans	7.51	12.62
Total (i)	**7.51**	**12.62**
(ii) Items to be reclassified to profit or loss in subsequent periods		
Effective portion of gains/ (losses) on cash flow hedging instruments	2,118.64	(209.30)
Total (ii)	**2,118.64**	**(209.30)**
Income tax expense recognised in the Statement of Other Comprehensive Income (i+ii)	**2,126.15**	**(196.68)**
c) Retained Earnings(Other Equity):		
i. Current Income Tax	-	-
ii. Deferred tax:	-	-
Income Tax Expense reported in Retained Earnings (Other Equity)	**-**	**-**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 8: Income tax assets / liability (net) (Contd..)

B) The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Profit before tax	13,167.79	858.74
Corporate tax rate as per Income Tax Act 1961	25.17%	25.17%
Income tax expense calculated at respective applicable rates	3,314.07	216.13
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	711.94	495.12
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(365.96)	(415.12)
Adjustments with respect to unabsorbed business loss / Depreciation	(3,660.08)	(296.13)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	0.03	-
Effect of income that is exempt from taxation	-	-
Tax related to earlier year	-	-
	(0.00)	**(0.00)**
Current Tax expense recognised during the year	-	-
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	3,829.03	595.96
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	**3,829.03**	**595.96**
Effective Income tax rate	**29.08%**	**69.40%**

(C) Advance Income Tax and TDS

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
At the beginning of the year	104.61	73.56
Charge for the year	-	-
Charge for the previous year arrears adjusted	-	-
Income tax Paid /(Refund)	(24.10)	31.05
At the end of the year	**80.51**	**104.61**

Note 9: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Deferred tax liabilities	(1,012.38)	703.79
Deferred tax assets	(953.58)	(4,372.65)
Total	**(1,965.96)**	**(3,668.86)**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 9: Deferred tax assets (net) (Contd..)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2025-26

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(385.29)	(240.50)	-	(625.79)
Property, plant and equipment & Intangible Assets	208.35	(19.21)	-	189.14
Carry forward losses	(3,824.21)	3,660.07	-	(164.14)
Intangible assets	-	-	-	-
Others -				
Right Of Use (ROU)	(163.15)	(0.50)	-	(163.65)
Lease Liability	177.00	(7.09)	-	169.91
Cashflow Hedge - Adjustment	318.44	(1,689.87)	-	(1,371.43)
Total	**(3,668.86)**	**1,702.90**	**-**	**(1,965.96)**

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2024-25

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(352.41)	(32.88)	-	(385.29)
Property, plant and equipment & Intangible Assets	145.81	62.54	-	208.35
Carry forward losses	(4,373.81)	549.60	-	(3,824.21)
Intangible assets	-	-	-	-
Others-				
Right Of Use (ROU)	(162.43)	(0.72)	-	(163.15)
Lease Liability	172.19	4.82	-	177.00
Cashflow Hedge - Adjustment	109.14	209.30	-	318.44
Total	**(4,461.51)**	**792.65**	**-**	**(3,668.86)**

As at March 31, 2026, the company has assessed recognition of deferred tax assets by assessing availability of sufficient future taxable profits, based on financial projections & order book position ,which have been approved by the Management, to absorb the deferred tax asset.

Note 10: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured, considered good		
Capital advances	-	-
Advances other than capital advances:		
Security deposits	-	-
Deposits with Customs department	-	-
Loose tools	151.50	105.48
Total	**151.50**	**105.48**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 11 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Raw Materials and components	9,848.89	10,620.14
Work in Progress	240.00	885.23
Goods-in transit	102.96	-
Total (A)	**10,191.85**	**11,505.37**
Stores & Spares	264.43	149.06
Total (B)	**264.43**	**149.06**
Total (A+ B)	**10,456.28**	**11,654.43**

Refer Material accounting Policy 3.6 for inventory valuation

Entire stock of inventories are hypothecated towards availing cash credit facility from the banks.

Note 12 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	1,253.89	78.43
Total	**1,253.89**	**78.43**

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle. Since the majority of the Trade receivables are due for less than one year, no expected credit loss allowance is made under Ind AS 109.

Full provision is made for all trade receivables if any considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable. Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Trade receivables do not include any amount due from directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person. Further, no trade or other receivable are due from firms or private companies respectively in which any director is a partner, a director or a member.

There are unbilled trade receivables amounting to ₹ Nil .(P.Y.₹ 32.50 lakhs)

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2026

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good"	-	1133.33	118.99	-	1.57	-	1253.89
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 12 : Trade Receivables-Current (Contd..)

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2-3 years	More than 3 years	
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2026	-	-	-	-	-	-	-
Trade receivable as on 31.03.2026							**1,253.89**

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Accrued but not due (Unbilled trade receivables)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good"	32.50	44.25	-	1.68	-	-	78.43
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2025	-	-	-	-	-	-	-
Trade receivable as on 31.03.2026							**78.43**

Note 13 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Balance with Banks		
In current account	99.67	16.37
Term deposits with original maturity of less than three months	2,030.00	-
Total	**2,129.67**	**16.37**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 13 : Cash and Cash equivalents (Contd..)

Pursuant to resolution plan submitted by the M/s Cochin Shipyard Limited for takeover of Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile Tebma shipyards), the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to erstwhile M/s Tebma Shipyards Limited, stands released, discharged in terms of the resolution plan.Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited. However, the margin monies (aggregating approx. ₹351.12 lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the UCSL. Therefore, on a prudent basis, the company will recognize the Fixed deposits, Interest income and TDS portion of interest income only in the period in which the banks actually release the margin money deposits. Accordingly the aforesaid amount is not included in the above.

Note 14 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Term Deposits with banks with original maturity more than 12 months (Maturing more than 12 months from the date of balance sheet)	-	1,755.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	3,031.00	0.99
Total	**3,031.00**	**1,755.99**

Note 15 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured, considered good		
Interest accrued on Bank Deposits	13.05	49.77
Interest accrued on Eletricity and Other Deposits	-	2.22
Security deposits	3.16	0.50
Ship Building Financial Assistance	3,160.19	3,187.73
Foreign Exchange Derivatives Assets	-	1,374.15
Total	**3,176.40**	**4,614.37**

Note 16 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured advances		
Advances to Suppliers and others	5,854.98	6,785.03
Contract Assets	8,499.34	7,016.13
Obsolete stock	448.85	206.57
Less: Provision for obsolesence	(448.85)	(206.57)
Balance with Revenue authorities	10.48	10.52
Miscellaneous deposits	0.18	0.03
Prepaid expenditure	142.17	235.31
Surplus Balance in Gratuity Fund maintained with LIC	66.30	44.69
Input Tax Credit on GST	7,413.90	6,077.68
Other Receivables	-	31.96
Total	**21,987.35**	**20,201.35**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 16 : Other Current Assets (Contd..)

Misc deposits represents Earnest Money Deposit / security deposit kept in ordinary course of business.

No amounts due from directors and KMPs of the company either severally or jointly with any other person. Further, no amounts are due from firms or private companies respectively in which any director is a partner, a director or a member.

Note 17 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	15,00,00,000	15,000.00	15,00,00,000	15,000.00
Preference shares of ₹ 10/- each	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	10,80,00,000	10,800.00	10,80,00,000	10,800.00
Total	**10,80,00,000**	**10,800.00**	**10,80,00,000**	**10,800.00**

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

17.1 Reconciliation of number of shares and amounts

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number	₹ in Lakhs	Number	₹ in Lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	10,80,00,000	10,800.00	10,80,00,000	10,800.00
Add : Shares issued during the year	-	-	-	-
Less : Shares cancelled during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	**10,80,00,000**	**10,800.00**	**10,80,00,000**	**10,800.00**

17.2 Details of shares held by Holding company

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	100%
Total	**10,80,00,000**	**100%**	**10,80,00,000**	**100%**

17.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	100%

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 17 : Equity Share Capital (Contd..)

17.4 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of shares held at the end of the year	% of total shares	No. of shares held at the beginning of the Year	Change during the year	% Change during the year
Cochin Shipyard Limited	10,80,00,000	100%	10,80,00,000	-	-

Note 18 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Debenture Redemption Reserve	100.00	100.00
General Reserve	7,389.79	7,361.70
Cash flow Hedge Reserve (Other comprehensive income)	(5,352.52)	946.83
Retained Earnings	7,238.00	(2,078.42)
Total	**9,375.27**	**6,330.11**
Retained Earnings		
Balance as at the beginning of the year	(2,078.42)	(2,303.69)
Less: Transition adjustments of Ind AS 115	-	-
Add: Net Profit / (Loss) for the period	9,338.76	262.78
Add/ (Less): Other Comprehensive income		
- Remeasurements of defined benefit plans	(22.34)	(37.51)
- Transfer to Debenture Redumption Reserve	-	-
Total comprehensive income for the current year	**7,238.00**	**(2,078.42)**
Balance as at the end of the year	**7,238.00**	**(2,078.42)**

Debenture Redemption Reserve:

The Company has created Debenture Redemption Reserve at 10% of the value of debenture issued by the company in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 maturing in November, 2028.

General Reserve:

General reserve is primarily created to comply with the requirements of Companies Act and also for prudential purposes. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc.

Cash flow Hedge Reserve:

Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No.3.7)

Note 19 : Borrowings - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Unsecured		
Redeemable Non Convertible debentures issued to Holding company	1,000.00	1,000.00
Loan from Holding Company	500.00	-
Total	**1,500.00**	**1,000.00**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 19 : Borrowings - Non Current (Contd..)

a) Unsecured Redeemable Non Convertible debentures issued for ₹ 1000 Lakhs :- In order to meet the revival and general corporate requirements of company, 1 Lakh NCDs of face value ₹ 1000 each have been issued by UCSL to CSL, through private placement. The coupon rate is 6% and the interest needs to paid on yearly basis. NCDs are redeemable at par at the end of 84 months i.e; on November 2028.

b) Loan of ₹ 500 Lakhs :- In order to meet the working capital requirement arising during operational phase of company, Holding company Cochin Shipyard Limited granted ₹ 500 lakhs as unsecured loan carrying an interest rate of 6.25% p.a on 18.09.2025. The principal amount to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2030. Interest repayments to be made on yearly basis on 31st March of each year.

Note 20 : Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Lease Liabilities - Ind AS 116	535.43	594.37
Total	**535.43**	**594.37**

Note 21 : Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Rent Deposit	-	19.98
Total	**-**	**19.98**

Rent Deposit recieved against vessel given on operating lease disclosed at amortised cost as per Ind AS 109 - Financial Instruments.

Rent deposits maturing during the current year are stated in Current -Financial Liabilities.

Note 22 : Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Advance Lease rent (Ind AS 109 adjustment)	-	2.36
Total	**-**	**2.36**

Note 23 : Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Provision for employee benefits - Compensated absences	121.32	79.45
Provision for employee benefits - Gratuity	-	-
Total	**121.32**	**79.45**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 24 : Borrowings - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Secured		
Loan from Holding Company (Current Maturity of Long Term Borrowings)	-	500.00
Loans repayable on demand from banks	3,985.62	4,344.04
Total	**3,985.62**	**4,844.04**

Company has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹ 20000 Lakhs) from Union Bank of India,SBI, SIB and Federal Bank at the interest rate 8.25%, 8.65%, 8.00% & 7.90% per annum respectively. Company has also availed EPC limits within the SBI sub limit at 6.34% p.a. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of the Company.

Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Cash credit facility availed as on 31.03.2026 is ₹ 3,985.62 (PY ₹ 4,344.04).

Loan from Holding Company- Refer Note 19 (b).

Note 25 : Lease liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Lease Liabilities under Ind AS 116	114.82	53.88
Total	**114.82**	**53.88**

Note 26 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	143.73	350.53
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	4,816.85	4,651.89
Total	**4,960.58**	**5,002.42**

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	143.73	350.53
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 26 : Trade Payables (Contd..)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

The outstanding dues to Micro and Small Enterprises as on the date of Balance Sheet is disclosed in the above note. During the year, the Company has repaid the dues of such enterprises on or before the appointed date and therefore the question of payment of interest to such enterprises does not arise. Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.

Trade payables (other than from MSMEs) includes unbilled payables ₹1284.18 Lakhs ,which includes Capex provison of ₹ 60.21 Lakhs (P Y ₹728.80 lakhs).

Trade Payables ageing schedule as on 31/03/26

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME					
Not due	143.73	-	-	-	143.73
Due	-	-	-	-	-
(ii) Others					
Not due	1,837.81	-	-	-	1,837.81
Due	1,574.98	119.88		-	1,694.86
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
(v) Unbilled Creditors	1,284.18	-	-	-	1,284.18
Total	**4,840.70**	**119.88**	**-**	**-**	**4,960.58**

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME					
Not due	350.53	-	-	-	350.53
Due	-	-	-	-	-
(ii) Others					
Not due	1,624.46	-	-	-	1,624.46
Due	2,224.99	73.63		-	2,298.62
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
(v) Unbilled Creditors	728.80	-	-	-	728.80
Total	**4,928.79**	**73.63**	**-**	**-**	**5,002.42**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 27 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Foreign Exchange Derivatives Liability	5,449.11	108.88
Interest accrued but not due on borrowings	18.64	31.86
Others		
Trade Security and other deposits	334.97	1,230.50
Others Payables	62.91	1,274.55
Rent Deposit	21.80	-
Total	**5,887.43**	**2,645.79**

Other payables includes ₹ Nil (PY ₹ 1,253.84 Lakhs) payable to Committee of Creditors i.e; Subsidy received from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme paid during the year

Note 28 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Contract Liability	15,661.70	20,050.81
Advances for ship building , ship repair and other contracts	226.04	258.75
Statutory dues Payables	504.33	162.05
Advance Lease rent (Ind AS 109 adjustment)	0.59	-
Total	**16,392.66**	**20,471.61**

Note 29 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2026	As at Mar 31, 2025
Provision for Employee benefits		
Gratuity	-	-
Compensated absences	2.86	5.44
Performance Incentive	106.13	67.50
Total (A)	**108.99**	**72.94**
Other Provisions		
For Guarantee Repairs	191.68	15.00
For Expenditure / contingencies	640.01	640.01
Total (B)	**831.69**	**655.01**
Total (A+B)	**940.68**	**727.95**

Guarantee repairs

Provision is made for estimated warranty claims in respect of ships and other products delivered which are still under warranty at the end of the reporting period.

Provision for Expenses / Contingencies

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of ₹ 1250 lakhs has been provided in books as on 31/3/2020. During the year, UCSL has adjusted an amount of ₹ Nil (PY ₹ Nil) and the balance of ₹ 640.01 lakhs has been reviewed and retained.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 29 : Provisions - Current (Contd..)

29.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2025	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed / Contribution to Gratuity Fund during the period	As at 31.03.2026
Provision for employee benefits- Gratuity	-	-	-	-	-
Compensated absences	5.44	-	-	2.58	2.86
Performance Incentive	67.50	106.13	48.23	19.26	106.13
Guarantee Repairs	15.00	176.68	-	-	191.68
Provision for expenditure / contingencies	640.01	-	-	-	640.01

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2024	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2025
Provision for employee benefits- Gratuity	-	-	-	-	-
Compensated absences	2.46	2.98	-	-	5.44
Performance Incentive	-	67.50	-	-	67.50
Guarantee Repairs	47.26	15.00	47.26	-	15.00
Provision for expenditure / contingencies	640.01	-	-	-	640.01

Note 30 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Sale of products		
Ship building:		
Vessels	55,257.98	22,697.60
Engineering works	61.62	-
Ship Building Financial Assistance	6,099.67	3,424.94
	61,419.27	**26,122.54**
Sale of services		
Ship repairs	-	-
Engineering works	-	-
	-	**-**
Other operating revenue		
Sale of stock items	305.58	337.00
Sale of scrap- Production	86.79	104.06
	392.37	**441.06**
Total	**61,811.64**	**26,563.60**

Refer Note No 41 on Ind AS 115 for other disclosures with regard to ""Revenue from Contract with Customers"", Sale of stock items represents, sale of required materials viz. ship building materials, consumables etc to the contractors/customers.

Company has contracted with CSL and undertaken turnkey project of shipbuilding which has been shown under Income head ""Engineering Works "" for amount of ₹ 61.62 Lakhs (PY ₹ Nil)

The Opertaing income of the Company, as disclosed above, includes unbilled revenue of ₹27,871.86 Lakhs (PY ₹ 20,856.83 Lakhs) Out of the Revenue from Operations, ₹ 45,952.24 Lakhs (PY ₹ 19390.17 Lakhs) pertaining to revenue from export orders.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 31 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Income from sale of scrap and stores	28.16	178.12
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	-	-
Hire charges	90.00	90.00
Interest on bank deposits	91.98	211.89
Other Interest Received	62.48	286.23
Net gain on foreign currency transactions	618.44	52.85
Net gain on derivative contracts	-	282.16
Unwinding of Interest on Security Deposit- Ind AS 109	2.31	2.26
Miscellaneous income	316.28	195.01
Total	**1,209.65**	**1,298.52**

The company is not accounting the Interest amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien marked before NCLT order.

Income from Sale of scrap & stores includes unbilled revenue of ₹ Nil (PY ₹32.50 lakhs)

Miscellaneous income represents liquidation damage collected from customers, etc.

Other Interest Received includes ₹ Nil (PY ₹ 283.76) recd form Chidambaram Port Trust against Court order

Other Interest received includes notional income @ 8.05 % p.a.on opening balances of Security deposists received from vendors for one year & on retention amount withheld from Suppliers for a period of six months as per IND AS 109 amounting to ₹ 58.27 lakhs.

Note 32 : Cost of material consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Raw Materials		
Steel	4,755.72	3,630.11
Pipe	200.74	91.46
Paint	478.53	338.43
Bought out components	23,872.31	10,737.73
Total	**29,307.30**	**14,797.73**

Note 33 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	(885.23)	(428.64)
Less: at the end of the year	(240.00)	(885.23)
Total	**645.23**	**(456.59)**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 34 : Sub Contract and Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Sub contract and off loaded jobs	7,063.10	3,704.52
Hull insurance	94.31	69.24
Design Expenses	834.20	2,120.39
Operating expenses	2,539.29	1,139.79
Total	**10,530.90**	**7,033.94**

Note 35 : Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	1,560.58	1,181.26
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	100.48	78.59
Gratuity / EL	(11.25)	29.80
Staff welfare expenses	199.50	155.32
Total	**1,849.31**	**1,444.97**

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of earned leave and half pay compensated absences for employees amounting to ₹ 52.84 lakhs (PY ₹ 59.11 lakhs)

Employee benefit expenses includes ₹130.46 lakhs being secondment services availed from holding company (PY ₹130.41 Lakhs)

The actuarial valuation carried out for Gratuity and Earned Leave indicates a total current year expense of ₹ 45.94 lakhs.The corresponding adjustment entries have been recorded in the books. As a result, the net amount reflected in the financial statements appears as a credit of ₹ 11.25 lakhs

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.40%	6.60%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	1.00%	-
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	14.73	16.37

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	9.13	4.83
Past Service Cost	3.38	0.00
Net Interest expense	5.04	1.95
Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans	**17.56**	**6.78**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Employee Benefits Expenses (Contd..)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	124.18	84.89
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**124.18**	**84.89**

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Current Component of PVO	2.86	5.44
Non-Current Component of PVO	121.32	79.45
TOTAL PVO	**124.18**	**84.89**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	84.89	28.31
Current & Past Service Cost	12.51	4.83
Current Interest Cost	5.04	1.95
Actuarial (Gain)/ Loss	38.67	52.33
Benefits paid	(16.94)	(2.53)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**124.18**	**84.89**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	16.94	2.53
Benefits paid	(16.94)	(2.53)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Year 1	2.86	4.36
Year 2	17.03	0.00
Year 3	14.42	1.67
Year 4	13.35	2.57
Year 5	13.63	2.36
Next 5 Years	197.28	73.93

"NA " denoted " Not Available"

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Employee Benefits Expenses (Contd..)

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
A. Discount Rate + 100 BP	8.40%	7.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	114.95	77.46
Variation	-7.43%	-8.75%
B. Discount Rate - 100 BP	6.40%	5.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	134.75	93.55
Variation	8.51%	10.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	134.26	93.16
Variation	8.12%	9.74%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	115.22	77.66
Variation	-7.21%	-8.52%

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

(₹ in lakhs)

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Discount Rate (p.a)	7.40%	6.60%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Withdrawl Rate	1.00%	0.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.63%	7.60%

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	11.22	12.78

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Service Cost:		
Current Service Cost	31.27	25.59
Past Service Cost	0.07	0.00
Net Interest expense	(2.95)	(0.04)
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**28.39**	**25.55**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(7.35)	(1.28)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(1.47)	(0.92)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(8.82)**	**(2.20)**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Employee Benefits Expenses (Contd..)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	104.22	75.26
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	170.53	119.96
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**(66.30)**	**(44.70)**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	75.26	47.58
Current Service Cost	31.27	25.59
Current Interest Cost	4.97	3.38
Past Service Cost	0.07	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(7.35)	(1.28)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	**104.22**	**75.26**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	119.96	48.13
Expected Return on Plan Assets	7.92	3.42
Actuarial Gain/(Loss)	1.47	0.92
Contributions from the employer	41.18	67.49
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	**170.52**	**119.96**

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Year 1	9.84	7.75
Year 2	9.01	2.12
Year 3	9.12	5.84
Year 4	9.68	4.89
Year 5	8.52	3.84
Next 5 Years	189.57	50.82

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 35 : Employee Benefits Expenses (Contd..)

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
A. Discount Rate + 100 BP	8.40%	7.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	95.92	68.00
Variation	-7.97%	-9.65%
B. Discount Rate - 100 BP	6.40%	5.60%
Defined Benefit Obligation [PVO]	113.93	83.88
Variation	9.31%	11.45%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	113.54	83.54
Variation	8.94%	10.99%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	96.12	68.15
Variation	-7.78%	-9.44%

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Government of India Securities	NA	NA
State Government Securities	NA	NA
High Quality Corporate Bonds	NA	NA
Equity shares of listed companies	NA	NA
Property	NA	NA
Special Deposit Scheme	NA	NA
Funds managed by Insurer	100%	100%
Others (Life Insurance Corporation of India)	NA	NA
Total	**100%**	**100%**

The plan assets are managed through Group Gratuity Scheme of Life Insurance Corporation of India.

Note 36 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Interest expense on lease liabilities Ind AS 116	60.94	60.67
Interest on Cash credit	439.75	33.71
Interest on Loan from Holding Company	27.94	27.50
Interest on Non convertible debentures-Holding Company	60.00	60.00
Interest expense on Financial liabilities- Ind As 109	61.48	1.72
Total	**650.11**	**183.60**

Interest Expense on Financial Liabilities includes an amount provided for Notional Interest @ 8.05 % p.a. on Opening Balances of Security deposits received from vendors for one year & on retention amount withheld from Suppliers for a period of six months as per IND AS 109 amounting to ₹ 58.27 lakhs.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 37 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Depreciation on property, plant and equipments	876.04	1,001.07
Depreciation on Right Of Use Assets	28.16	28.16
Amortisation of intangible asset	71.62	59.11
Total	**975.82**	**1,088.34**

Note 38 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Consumption of stores & spares	492.64	378.97
Dimunition in value of Loose tools	42.67	40.06
Rates and taxes	13.14	14.44
Power	328.95	257.94
Fuel	257.05	324.33
Water	9.28	5.64
Repairs and maintenance:		
Building and roads	162.56	149.64
Plant and machinery	172.78	195.80
Others	242.70	233.41
Transport and stores handling	103.69	71.06
Travelling and conveyance expenses	81.86	104.66
Printing and stationery	12.66	12.66
Postage, telephone and telex	5.61	3.05
Advertisement and publicity	39.73	15.57
Lease rent	-	-
Hire charges	262.77	180.08
Insurance charges	42.48	26.59
Security expenses	179.59	127.35
Payments to Auditors	4.80	4.80
Training expenses	14.95	6.22
Legal expenses	12.18	16.02
Consultancy	75.08	51.13
Bank Guarantee commission / Bank charges	369.00	390.57
Net loss on foreign currency transactions	1,430.25	-
Corporate Social Responsibility (Refer Note no 39)	0.10	-
Net loss/(Gain) on Derivative Contracts	1,128.99	
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	-	-
Provision for non moving stock items / Stores written off	242.28	187.68
Miscellaneous expenses	167.04	113.72
Total	**5,894.83**	**2,911.39**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 38 : Other Expenses (Contd..)

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
For Audit Fees	3.00	3.00
For Limited Review/other services	1.80	1.80
Total	**4.80**	**4.80**

Note 39 : Corporate Social responsibility

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Details of utisation of CSR Funds		
a) Gross Amount reqd to be spent by the Company during the year	0.10	-
b) Amount spent during the year	0.10	-

Note 40 : Earnings per Equity Share

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	9,338.76	262.78
Weighted average number of Equity Shares	10,80,00,000	10,80,00,000
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	8.65	0.24
Face value per equity (in ₹) Fully Paid	10.00	10.00

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers

The Company, has undertaken an assessment of whether it is principal or agent in its transactions for sale of products and services, on the indicators specified under Ind AS 115. Based on such assessment, the Company is of the view that it is a principal involving sale of products and services and has disclosed the revenue for the reporting as well as comparative year, but at net of Goods and Service Tax.

Disaggregated revenue as per Ind AS 115 :

The table below presents disaggregated revenues from contracts with customers for the year reporting year by type of products/ services and geographical regions. The Company believe that this disaggregation best depicts how the nature, amount and uncertainty of our revenues and cash flows are affected by industry, market and other economic factors. The details are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
On the basis of type of products/services:		
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products		
Ship building:		
Vessels	55,257.98	22,697.60
Engineering works	61.62	-

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers (Contd..)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
(ii) Sale of services		
Engineering works	-	-
Ship Repairs	-	-
(iii) Other Operating Revenue		
Ship Building Financial Assistance	6,099.67	3,424.94
Sale of Stock Items	305.58	337.00
Sale of scrap	86.79	104.06
Total	**61,811.64**	**26,563.60**

The disclosure with regard to revenue from contract with customers and disaggregate revenue information are given vide Note 30 read with subnotes thereon. The disclosure in this note is to be read with disclosures made as required under Ind AS 115 vide Note 12 & subnotes thereon, Note 16 & subnotes thereon , Note 28 and Note 30 & subnotes thereon.

Accordingly the receivables arising from recognition of revenues represent trade receivables and Contract Assets, which is a right to consideration that is unconditional upon passage of Revenue. Such trade receivables & Contract Assets are presented net of impairment if any, in the Balance Sheet vide Note 12 read with subnotes therein and Note 16 read with subnotes therein. There are no impairment losses in trade receivables and contract assets.

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
On the Basis of Geographical region		
Domestic	15,859.40	7,173.43
Export Sales	45,952.24	19,390.17
Total	**61,811.64**	**26,563.60**

The Company is of the opinion that the disclosures with regard to disaggregation of revenue, as stated in above two tables, are sufficient disclosure as required under Ind AS 115.

The provisions of Ind AS 108 i.e. 'Operating Segment' is not applicable for the Company, except for disclosing the details of major customers, for the reason as given in note 50. Act. Accordingly the question of disclosing the disaggregated information, on the basis of segment, does not arise.

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 2,06,117.01 lakhs (PY ₹2,24,780.03 lakhs) and will be recognised as revenue in susequent years.The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115

Other Disclosures:

Opening and Closing Balance of Receivables from contract with customers: Disclosed in Note 12 of Balance Sheet. Opening and Closing Balance of Contract Assets and Contract Liabilities from contract with customers: Disclosed in Note 16 and 28 of Balance Sheet.

Costs (including incremental cost) incurred to obtain or fulfill the contract with customer which are required to be amortised for more than one year (i.e. capitalised) : ₹ Nil (P Y ₹ Nil)

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers (Contd..)

Existence of significant financial component in the transaction price determined with the contract with customer: ₹ Nil (P Y ₹ Nil)

Disclosure with regard to performance obligations, allocation of transaction price to the remaining performance obligations, Significant judgments in the application of standard, timing of satisfaction of performance obligations, determining the transaction price and the amounts allocated to performance obligation:

The Company is in the business of construction of sea-going vessels , repair of ships and other related works. The major portion of the aforesaid activities are customer specific and based on the orders received from the customers. The Company is recognising the revenue as detailed in note 3.14 of Material Accounting Policy annexed to the Balance Sheet. The Invoice is being generated on the date of transfer of control(i.e date of signing of Protocol of Delivery & Acceptance). However the revenue recognised under output method, as disclosed in aforesaid note. Accordingly the company is satisfying the performance obligations on progressive basis. The transaction price with customer is being determined by mutual consent and accordingly being allocated on a systematic basis i.e in accordance with the accounting policy adopted by the Company.

There are no obligations for returns, refunds and any other similar purposes. The Company has duly provided for warranty/guarantee obligations and disclosed the same under Note 29 the Financial Statement. The amount provided for guarantee/warrantee during the financial year ₹ 191.68 lakhs (PY ₹15 lakhs) , which is inclused in note no 34, under operating expenses.

The other disclosures as required under Ind AS 115 are not applicable to the Company.

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Opening contracted price of orders	**2,49,078.30**	**69,454.26**
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	23,515.83	1,66,624.80
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	1,226.36	22,913.97
Increase due to exchange rate movements (net)	18,625.50	1,266.49
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	-	414.00
Orders completed during the year	55,513.39	10,767.22
Closing contracted price of orders	**2,36,932.60**	**2,49,078.30**
Total Revenue recognised during the year:	61,419.27	26,122.54
Less: Revenue out of orders completed during the year	34,158.85	5,644.49
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	27,260.42	20,478.05
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	2,943.73	3,441.44
Effect of Reversal of Revenue (Cancelled Contract)	-	378.78
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	611.44	-
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	2,06,117.01	2,24,780.03
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	**2,36,932.60**	**2,49,078.30**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 42: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

The Company as a lessee:

Depreciation charge for right of use assets by class of underlying asset: Refer Note 4 read with note 37 of Financial Statement

Interest expense on lease liabilities: Refer Note 36 of Financial Statement under the head "Interest expense on lease liabilities Ind AS 116"

Expense relating to short term leases accounted for applying recognition exemptions: Refer Note 38 under the head "Hire Charges".

Expenses relating to leases of low value assets accounting for applying recognition exemptions: There are no such leases.

Expenses relating variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities: There are no such cases.

Income from subleasing of right to use assets: There are no such cases.

Additions to Right to use assets and Carrying amount right of use assets at the end of the reporting period by class of underlying asset : Refer Note 4 of Financial Statement.

Maturity Analysis of Lease Liabilities applying Ind AS 107: Refer Note 48 of Financial Statement.

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2026 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹262.77 lakhs (PY ₹180.08 lakhs)

Total cash outflow for leases :

In respect of leases covered under Ind AS 116-Long Term Leases:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Lease Liability portion	-	-
Interest Portion	58.95	57.82
Total	**58.95**	**57.82**

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2026 on an undiscounted basis are as follows :

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Less than one year	60.13	58.94
One to Five years	319.52	312.90
More than Five years	1,355.06	1,421.44
Total	**1,734.71**	**1,793.28**

Movement of Lease Liabilities are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Opening Balance	648.25	645.38
Add: Additions	-	-
Add: Interest recognised during the year	60.94	60.67
Less: Payment made	58.95	57.82
Total	**650.25**	**648.25**

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 42: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases" (Contd..)

The Company as a Lessor:

The Company has given one no "Team 2" (12T Bollard Pull Tug) on operating lease . The lease rent receivable there on credited to statement of profit and loss account vide Note 31.

The nature of leasing activity carried on by the Company is the contracting of "Team 2" (12T BollardPull Tug) on operating lease. The management does not foresee any risk associated with any rights in retaining the underlying asset. The lease is supported by lease agreement/MOU and lessee is required to hand over the possession of the property back to the Company on expiry of the lease term. There are no other risk management strategy with regard to the lease.

Year Wise breakup of future Lease Rental Receivables (undiscounted):

Receivable during next	Amount (₹ Lakhs)
1st year	30.00
Total	**30.00**

Note 43: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank. The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 26

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Currency	Euro	Euro
No of Contracts	81	111
Notional amount of contracts (₹ in lakhs)	70,279.38	82,999.05
Fair Value Gain/ (Loss) (₹ in lakhs)	(5,449.11)	1,265.27

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the Year ended Mar 31, 2026	For the Year ended Mar 31, 2025
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	946.83	324.52
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net of Taxes)	(6,299.35)	622.31
Total	**(5,352.52)**	**946.83**

Note 44: Disclosures required by Ind AS 8" Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates

During the financial year, no change has been made in Accounting Estimates from Previous year

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 45: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at 31 Mar 2026 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A Contingent Liability after takeover from M/s Tebma Shipyards Limited (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	1,372.05	6,419.41	Represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its overseas suppliers.
ii Bank Guarantees	29,305.59	32,209.86	Bank guarantees represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers

The company has been sanctioned Fund based and Non Fund based limits of ₹1,26,253.00 lakhs (PY ₹ 1,08,753.00 lakhs) as against the security of hypothecation of current assets including inventory and trade receivables of the company.

B Contingent Liabilities related to erstwhile M/s Tebma Shipyards Limited

i. Tax Matters	As at 31 Mar 2026 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
Director General of Foreign Trade (DGFT)			
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras). The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	448.31	437.01	Company has filed Writ petition aganist impugned orders by DGFT imposing penalty, customs duty and Interest under Foreign Trade Act issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras) The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	859.98	804.70	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 45: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

i. Tax Matters	As at 31 Mar 2026 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Karnataka)	Refer Description of the nature and obligation column	Refer Description of the nature and obligation column	Show cause notices issued alleging that there was failure to achieve positive net foreign exchange(NFE) of ₹ 918.90 lakhs in respect of the years 2011-12 to 2015-16 and also a failure to file the Annual Progress Report (APR) in respect of the Malpe EOU for the years 2016-17 onwards resulting in non-fulfilment amounted to a contravention of the FTP and thereby rendered the Petitioner liable to imposition of penalty under Sec. 11(2) of the FT (D&R) Act. The said Notice has been quashed by an Order of the High Court dt 27/3/25. The Hon'ble High court has granted an interim stay of all proceedings pursuant to the show cause notice vide order date 15 Dec 2021. The Respondents have filed their counter affidavit in the matter and the matter is posted for filing of rejoinder by the Petitioners.
- Where the Department has served Show cause notices The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	389.19	364.17	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. UCSL representative has attended personal hearing and submitted reply. Order awaitied
Others			
Entry Tax	76.90	76.90	All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.
Central / State Excise / Service Tax / Customs / Goods and service tax / VAT	1,234.65	1,234.65	
Karnataka VAT	11.91	11.91	Order no ZD2900223010218S dtd 20/2/23 for Wrong claim of ITC for the period Sep to Dec 2017. All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities. Company replied to the authorities accordingly.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 45: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

i. Tax Matters	As at 31 Mar 2026 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2025 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
Income Tax Cases	21.69	21.69	This case was initiated for the AY 2018 19 and the AO had added back Income without an oppurtunity to have a response to the Income added back. Since the Company was under NCLT process at that time , the company could not file an appeal but subsequently a condonation was sought and appeal was filed. The case is pending in Appeal with the Tax Authorities.
ii) Money Suits			
Plaintiff: Cochin Port trust	262.76	262.76	Port had filed a civil suit on 28/03/2014 before the Honourable Sub Court at kochi to recover an amount of ₹ 105 lakhs with interest @ 15% p.a, which was incurred by CopT to rectify the manufacturing defects noticed on the tugs supplied by company. Matter pending before court for arbitration.

There are no other pending litigations, other than those disclosed above.

Note 46. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2025-26	2024-25
Shri Jose V J Chairman"	Key Managerial Personnel (Chairman since 01.02.2026)	Key Managerial Personnel
Shri Madhu S Nair Chairman	Key Managerial Personnel (Till 31.01.2026)	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director	Key Managerial Personnel (Till 31.05.2025)	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director	Key Managerial Personnel (Till 31.05.2025)	Key Managerial Personnel
Shri Shiraz V P Director	Key Managerial Personnel (From 23.07.2025)	-
Dr. Harikrishnan S Director	Key Managerial Personnel (From 23.07.2025)	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel (From 30.10.2024)
Smt. Anjana K R Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shankar Nataraj Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Cochin)	Holding Company	Holding Company
Hoogly Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Kolkata)	Fellow Subsidiary Company	Fellow Subsidiary Company

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 46 . Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Shri Harikumar A		
Short term benefit	38.60	34.99
Post employment Benefit -Gratuity	3.25	1.77
Total	**41.85**	**36.76**
Shri Shankar Nataraj		
Short term benefit	33.88	31.65
Post employment Benefit -Gratuity	1.96	0.48
Total	**35.84**	**32.13**
Shri Aswin Sarma M		
Short term benefit	11.45	10.15
Post employment Benefit -Gratuity		
Total	**11.45**	**10.15**

Outstanding Balance with Holding Company

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31,2025
Receivables	1.11	1.11
Payables	21.72	19.42
Interest accrued but not due on borrowings	18.64	31.86
Non Convertible Debentures	1,000.00	1,000.00
Loan	500.00	500.00

The Company has repaid the existing Loan of ₹ 5 Cr and taken a fresh loan of ₹ 5 Cr during the reporting year.

Nature of transaction - Transaction with Related parties with Holding Company

(₹ in lakhs)

Particulars	2025-26	2024-25
Secondment Charges paid (Excl. GST)	130.46	130.41
Purchase of services (incl. GST)	-	13.34
Sale of goods to Cochin Shipyard Ltd (incl. GST)	-	-
Interest expenses on Loan	27.94	27.50
Interest expenses on Non Covertible Debenture	60.00	60.00
Revenue on Engineering works	61.62	-
Revenue from Ship Repair	-	-
Allotment of Equity shares	-	-
Liasoning Charges received	-	-

All the Transaction with holding company were made on terms equivalent to those that prevailed in arm's length transactions

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 46 . Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

(₹ in lakhs)

Shares held by Nominees in UCSL on behalf of CSL	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Madhu S Nair, Chairman till 31.01.2026	-	10
Bejoy Bhasker, Director till 31.05.2025	-	10
Jose V J, Director, Chairman from 01.02.2026	10	10
Sreejith K Narayanan, Director till 31.05.2025	-	10
Harikumar A, Chief Executive Officer	10	10
Dr. Harikrishnan S, Director from 23.07.2025	10	-
Syamkamal N, Company Secretary-CSL	10	-
Rajesh Gopalakrishnan,Director	10	-
Aswin Sarma M, Company Secretary-UCSL	10	10

Note 47. Financial Instruments

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	
Financial Assets			
Non Current			
Others	41.06	38.09	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	1,253.89	78.43	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	2,129.67	16.37	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	3,031.00	1,755.99	Level III
(iv) Loans	-	-	Level III
(iv) Others	3,176.40	4,614.37	Level III
Total Financial Assets	**9,632.02**	**6,503.25**	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	1,500.00	1,000.00	Level III
(ii) Lease Liabilities	535.43	594.37	Level III
(iii) Other financial liabilities	-	19.98	Level III

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 47. Financial Instruments (Contd..)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025	
Current			
(i) Borrowings	3,985.62	4,844.04	Level III
(ii) Trade Payables	4,960.58	5,002.42	Level III
(iii) Lease Liabilities	114.82	53.88	Level III
(iii) Other financial liabilities	5,887.43	2,645.79	Level III
Total Financial Liabilities	**16,983.88**	**14,160.48**	

Note:

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.

The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets,other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	As at 31.03.2026			As at 31.03.2025		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Trade receivables	--	--	1,253.89	--	--	78.43
Cash & Cash equivalents	--	--	2,129.67	--	--	16.37
Bank Balances	--	--	3,031.00	--	--	1,755.99
Other Financial Assets	--	--	3,217.46	--	--	4,652.46
Total Financial Assets	**-**	**-**	**9,632.02**	**-**	**-**	**6,503.25**
Financial liabilities						
Borrowings	--	--	5,485.62	--	--	5,844.04
Trade payables	--	--	4,960.58	--	--	5,002.42
Other financial liabilities	--	--	6,537.68	--	--	3,314.02
Total Financial Liabilities			**16,983.88**	**-**	**-**	**14,160.48**

Note 48 - Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables. The Company's principal financial assets include advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 48 - Financial Risk Management Policy (Contd..)

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations of Non Convertible Debenture(NCD) and loan from holding company with fixed rate as disclosed in Note 19 & 24. With the current profile of long term fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency). Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 43

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars		As at March 31, 2026	As at March 31,2025
Financial Assets		-	-
Financial Liabilities		48.02	1,856.38
	USD	6.88	77.11
	EUR	35.15	1,463.51
	GBP	0.84	5.69
	NOK	5.15	307.43
	AED	-	1.42
	SGD	-	1.22

The sensitivity of profit/ loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 48 - Financial Risk Management Policy (Contd..)

Sensitivity

The sensitivity of profit or loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments.

(₹ in lakhs)

Particulars	Impact on Financial Liabilities	
	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(1.76)	(73.18)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	1.76	73.18
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(0.34)	(3.86)
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.34	3.86
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(0.26)	(15.37)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.26	15.37
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(0.04)	(0.28)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.04	0.28
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	(0.07)
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	0.07
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	(0.06)
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	0.06

(₹ in lakhs)

Particulars	Impact on Profit Before Tax	
	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	1.76	73.18
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(1.76)	(73.18)
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.34	3.86
USD - Weakening of ₹ by 5%	(0.34)	(3.86)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.26	15.37
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(0.26)	(15.37)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.04	(5.69)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(0.04)	(5.69)
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	(1.42)
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	(1.42)
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	(1.22)
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	1.22

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value. The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations through infusion of equity fund, whenever necessary, which together with the

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 48 - Financial Risk Management Policy (Contd..)

available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long- term. Company manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31/03/2026		
	< I Year	1-3 years	>3 years
Financial Asset			
Trade receivables	1,253.89	-	-
Cash & Cash equivalents	2,129.67	-	-
Bank Balances	3,031.00	-	-
Other Financial Assets	2,897.28	320.18	-
Total Financial Asset	**9,311.84**	**320.18**	**-**
Financial Liability			
Non Current:			
Borrowings	-	-	1500.00
Lease Liability	-	-	535.43
Other Financial Liabilities	-	-	-
Current:			
Borrowings	3,985.62	-	-
Lease Liability	114.82	-	-
Trade payables	4,960.58	-	-
Other financial liabilities	5,887.43	-	-
Total Financial Liability	**14,948.45**	**-**	**2,035.43**

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31/03/2025		
	< I Year	1-3 years	>3 years
Financial Asset			
Trade receivables	76.75	1.68	-
Cash & Cash equivalents	16.37	-	-
Bank Balances	1,755.99	-	-
Other Financial Assets	4,332.28	320.18	-
Total Financial Asset	**6,181.39**	**321.86**	**-**
Financial Liability			
Non Current:			
Borrowings	-	-	1000.00
Lease Liability	-	-	594.37
Other Financial Liabilities	-	19.98	-
Current:			
Borrowings	4,844.04	-	-
Lease Liability	53.88	-	-
Trade payables	5002.42	-	-
Other financial liabilities	2645.79	-	-
Total Financial Liability	**12,546.13**	**19.98**	**1,594.37**

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments.The companies maximum exposure to the credit risk for the components of balance sheet as on 31.03.2026 is carrying amount mentioned in Note no 12 to 16.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 49. Disclosure pursuant to Ind AS 1 "Presentation of financial statements":

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date (but within the operating cycle)

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026		
	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	10,456.28	-	10,456.28
Trade receivables	1,253.89	-	1,253.89
Cash and cash equivalents	2,129.67	-	2,129.67
Bank balances	3,031.00	-	3,031.00
Other Financial assets	2,856.22	320.18	3,176.40
Other current assets	14,573.45	7,413.90	21,987.35

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date (but within the operating cycle)

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2026		
	Within twelve months	After twelve months	Total
Lease Liabilities	114.82	-	114.82
From Banks	3,485.62	-	3,485.62
From Holding Company	500.00	-	500.00
Trade payables	4,960.58	-	4,960.58
Other financial liabilities	5,887.43	-	5,887.43
Other current liabilities	(64.68)	16,457.34	16,392.66
Provisions	940.68	-	940.68

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	11,654.43	-	11,654.43
Trade receivables	78.43	-	78.43
Cash and cash equivalents	16.37	-	16.37
Bank balances	1,755.99	-	1,755.99
Other Financial assets	4,294.19	320.18	4,614.37
Other current assets	14,123.67	6,077.68	20,201.35

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025		
	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings			
Lease Liabilities	53.88	-	53.88
From Banks	4,344.04	-	4,344.04
From Holding Company	500.00	-	500.00
Trade payables	5,002.42	-	5,002.42
Other financial liabilities	2,645.79	-	2,645.79
Other current liabilities	4,014.27	16,457.34	20,471.61
Provisions	727.95	-	727.95

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 50. Disclosure pursuant to Ind AS 108 "Operating Segment"

The Company operates under a single reportable segment i.e. Shipbuilding, since other business segments are not material. Hence, disclosures pertaining to segment reporting as required by Ind AS 108 is not applicable to it. However, the disclosures as below, are being made for transperancy purposes.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31,2025
Segment Assets		
Ship building	39,633.49	30,263.01
Ship repair	-	(7.46)
Unallocated	14,980.32	22,316.40
Total	**54,613.81**	**52,571.95**
Segment Liability		
Ship building	9,762.79	10,459.77
Ship repair	-	36.88
Unallocated	24,675.75	24,945.19
Total	**34,438.54**	**35,441.86**
Segment Revenue		
Ship building	61,789.88	26,563.60
Ship repair	-	-
Unallocated	1,231.41	1,298.52
Total	**63,021.29**	**27,862.12**
Segment Result		
Ship building	18,120.38	2,493.68
Ship repair	-	-
Unallocated	(4,952.59)	(1,634.94)
Total	**13,167.79**	**858.74**

Unallocated results comprises arrived at after considering Finance Cost ₹650.11 lakhs (P Y ₹183.60 lakhs)

The Company operates within India and does not have operations in economic environments with different risks and returns. Hence, it is considered operating in single geographical segment. The amounts appearing in the financial statements relate to the company's single operating segment.

Details of single external customers with whom revenues from transactions amount to 10 per cent or more of an entity's revenues provided below:

(₹ in lakhs)

Particular	Segment	As at 31st March 2026		As at 31st March 2025	
		Amount	Percentage of the Total Revenue	Amount	Percentage of the Total Revenue
Customer 1	Ship Building	46563.68	75.33%	19390.17	73.00%
Customer 2	Ship Building	11458.95	18.54%	5785.75	21.78%

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 51 A. Further Disclosure as required under Ind AS 7 (Statement of Cash Flows) with regard to financing activities

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening Bal. as on 1st April, 2025	Cashflows	Non cash transactions- Processing Charges	Closing Bal. as on 31st March 2026
Issue of Share Capital	10,800.00	-	-	10,800.00
Non Current Borrowings	1,500.00	-	-	1,500.00
Working Capital Borrowings	4,344.04	(358.42)	-	3,985.62
	16,644.04	**(358.42)**	**-**	**16,285.62**
Net gain /(loss) on foreign currency transactions		(811.81)		
Net gain /(loss) on Derivative Contracts		(1,128.99)		
Interest Paid on Borrowings		(527.69)		
Other items (Ind AS 116) Lease payments- Principal & Interest portion		-		
Total Cash Inflow on account of Financial Activities		**(2,826.91)**		

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening Bal. as on 1st April, 2024	Cashflows	Non cash transactions- Processing Charges	Closing Bal. as on 31st March, 2025
Issue of Share Capital	10,800.00	-	-	10,800.00
Non Current Borrowings	1,500.00	-	-	1,500.00
Working Capital Borrowings		4,344.04	-	4,844.04
	12,300.00	**4,344.04**	**-**	**17,144.04**
Net gain /(loss) on foreign currency transactions		52.85		
Net gain /(loss) on Derivative Contracts		282.16		
Interest Paid on Borrowings		(121.21)		
Other items (Ind AS 116) Lease payments- Principal & Interest portion		(57.82)		
Total Cash inflow on account of Financial Activities		**4,500.02**		

Note 51.B Disclosures with regard to regrouping

The comparative years figures are regrouped whereever necessary .The regroupings are done for better presentation and to align with the disclosures of Holding Company.

Note 51.C. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 51.C. Capital Management (Contd..)

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31,2025
Non current borrowings (Includes current maturity of Long Term Debt)	1500.00	1500.00
Current borrowings	3985.62	4344.04
Total Debt	**5485.62**	**5844.04**
Equity Share Capital	10800.00	10800.00
Other equity	9375.27	5873.52
Shareholders' Equity	**20175.27**	**16673.52**
Gearing Ratio	**27.19%**	**35.05%**

Note 52. Ratios

Ratio	Numerator	Denominator	2025-26	2024-25	% Variance	Remark if changes more than 25%
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.30	1.14	14%	-
Debt /Equity Ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	0.27	0.09	200%	During current year short term borrowings has been added which was not taken in previous year.After considering change, 2024-25 ratio will be 0.35 and %Variance will be 24%
Debt Service Coverage Ratio	Earning for Debt Service*	Debt Service*	20.78	8.57	142%	Company earned better profit during the year due to higher Turnover
Return on Equity (ROE)	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.501	0.016	3031%	Company earned better profit during the year due to higher Turnover
Inventory Turnover Ratio	Sales	Average Inventory	5.59	3.03	84%	Increase in sales compared to previous year
Trade receivables turnover ratio	Sales	Avg. Accounts Receivable	92.79	66.42	40%	Increase in sales during the period
Trade payables turnover ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	5.64	5.27	7%	-
Net capital turnover ratio	Net Sales	Working Capital	6.34	5.81	9%	-
Net profit ratio	Net Profit	Net Sales	0.15	0.010	1411%	Company's PAT has improved as compared to last year
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest and taxes	Capital Employed	0.58	0.07	729%	Due to increase in Profit and change in formula for better presentation. After considering change in formula 2024-25 ratio will be 0.05 and %Variance will be 940%.
Return on investment	PAT	Sum invested	NA	NA	-	No investment made by the company

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 53. The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) formerly Tebma Shipyards Limited (TSL) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of Tebma Shipyards Ltd to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Hon'ble NCLT declared CSL as the Successful Resolution Applicant vide its order dated March 04, 2020. The bid amount of ₹ 65 crs was paid by CSL and a major part of the resolution plan was implemented and accounted for the in the books of Account in FY 2019-20 & 2020-21.

With regard to demand notice issued by various statutory authorities pertaining to period prior to NCLT order, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

Note 54. Other Statutory Information

a) The title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings which are freehold, are held in the name of the Udupi Cochin Shipyard Ltd & erstwhile Tebma Shipyards Ltd as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as Right to use assets in the financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.

b) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right-of-Use Asset) since the Company has adopted cost model as its accounting policy to an entire class of Property, Plant and Equipment in accordance with Ind AS 16.

c) The Company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promoters, directors, KMPs and other related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

d) The Company has used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken as at the reporting date.

e) Registration, Modification and Satisfaction of charges, where ever applicable, relating to the year under review, had been filed with the Registrar of Companies, within the prescribed time.

f) There are no proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

g) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts

h) The Company is not declared as willful defaulter by any bank or financial Institution or other lenders.

i) The Company did not have any transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 considering the information available with the Company.

j) There are no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year.

k) No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party(s) (Funding Party) with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

Notes to the Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

Note 54. Other Statutory Information (Contd..)

l) The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

m) The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence, disclosures relating to it are not applicable

n) In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

o) The Company has made provision as required under applicable law or accounting standards, for material forseeable losses,if any,on long term contracts including derivative contracts.

p) The Company has used the accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of audit trail (edit log) facility. Further the audit trail facility has been operating throughout the year for all relevant transactions recorded in the software and the Company did not come across any instances of audit trail feature being tampered with.

q) The Company has, in all material aspects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such financial controls over financial reporting were operating effectively as on 31st March 2026.

r) In the opinion of the Board of Directors, the assets listed under the heads "Non-Current Assets" & "Current Assets" (other than Tangible & Intangible Assets) as stated in Note 7 to 16 of the Balance Sheet, have a value on realisation in the ordinary course of business not lesser than the amount being stated at reporting date.

55. Previous years figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

56. Figures in brackets denote negative figures.

Corporate overview and Material Accounting Policies	1-3
Notes to the Financial Statements	4-56

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M	**SHANKAR NATARAJ**	**HARIKUMAR A**	**JOSE V J**	**Dr HARIKRISHNAN S**
Company Secretary	Chief Financial	Chief Executive	Chairman	Director
M.No. A41969	Officer	Officer	DIN-08444440	DIN-10221559

For KP KANCHAN & CO
Chartered Accountants
FRN - 027635S

C.A. K Padmanabha Kanchan
Proprietor
M.No 201382
UDIN: 26201382LFCRYI8500
Place :Udupi
Dated: 24-04-2026

NOTICE

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) will be held at 10:45 hrs. on Tuesday, September 15, 2026 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on March 31, 2026, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.

2. To appoint a Director in place of Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559), who retires by rotation at this AGM and being eligible, offers himself for re-appointment.

3. To appoint a Director in place of Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), who retires by rotation at this AGM and being eligible, offers himself for re-appointment.

4. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2026-27.

Special Business

5. Ratification of Remuneration of Cost Auditors

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration of ₹ 75,000 (Rupees Seventy-Five Thousand Only) plus applicable taxes and reimbursement of out-of-pocket expenses at actuals and travel/ lodging for conduct of audit payable to M/s. BBS & Associates, Cost Accountants, Kochi (Firm Registration No. 00273), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the year ending March 31, 2027."

"**RESOLVED FURTHER THAT** any one of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Company be and is hereby authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to the above resolution."

By the Order of the Board of Directors
For Udupi Cochin Shipyard Limited

Vaasu
Company Secretary
M. No. A76813

Udupi
September 04, 2026

Notes:

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the MCA Circulars, the 42nd AGM of the Company is being held through VC/ OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

2. The attendance of the Members in the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.

4. The brief details of the Directors, who are seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/ OAVM. Such Members are requested to send to the Company through e-mail at secretary@udupicsl.com, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the AGM.

6. Annual Report for the year 2025-26 including the audited financial statements for the year ended March 31, 2026, is being sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company. Further, the hard copies of the same would also be made available to the Members on request. Members may forward their request for hard copy to secretary@udupicsl.com. Members may note that the Notice and Annual Report 2025-26 will also be available on the Company's website at https://udupicsl.com/ and the website of the holding company Cochin Shipyard Limited at https://cochinshipyard.in/.

7. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretary@udupicsl.com.

8. The AGM is proposed to be held at a shorter notice. The request, pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the AGM at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the AGM will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the AGM.

9. The instructions for joining the AGM through VC/ OAVM is as follows:

 (a) Members and other invitees can attend the AGM through Microsoft Teams Digital Meeting Platform by clicking the below link.

 Link for attending the 42nd AGM of Udupi Cochin Shipyard Limited

 Meeting ID: 465 232 492 413 985

 Passcode: qn99Xm3Q

 (b) The facility for joining the AGM through VC/ OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM.

 (c) For any assistance for participating in the AGM, Members can contact the Company Secretary at 0820 2912137 or send an email to secretary@udupicsl.com.

 (d) The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary@udupicsl.com.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 5

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

The Board at its 38th Meeting (post CIRP) held on July 24, 2026 has appointed M/s. BBS & Associates, Cost Accountants, Kochi (Firm Registration No. 00273), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2026-27 at a remuneration of ₹ 75,000 (Rupees Seventy-Five Thousand Only) plus applicable taxes and reimbursement of out-of-pocket expenses at actuals and travel/ lodging for conduct of audit. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Members of the Company.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 5 of the Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 5 of the Notice.

By the Order of the Board of Directors
For Udupi Cochin Shipyard Limited

Vaasu
Company Secretary
M. No. A76813

Udupi
September 04, 2026

Registered Office
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116
CIN: U27209TN1984GOI010994
E-mail: secretary@udupicsl.com
Website: https://udupicsl.com/

CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116

I, _____, son/daughter of _____, resident of _____ _____ _____, holding _____ equity shares of ₹ 10 each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 15, 2026 at a shorter notice.

Signature:

Name:

Place:

Date:

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Dr. Harikrishnan S
DIN	10221559
Age & Date of Birth	57 Years May 29, 1969
Qualifications	Dr. Harikrishnan S holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, a Master of Business Administration degree in International Business and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Mechanical Engineering.
Experience	Dr. Harikrishnan S is the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has around three decades of experience in shipbuilding and ship repair across areas such as design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management. He is also a Director of Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL and the Chairman of Green Maritime Propulsion Private Limited, a JV Company formed between CSL and HBL Engineering Limited.
Terms and conditions of re-appointment	Dr. Harikrishnan S was appointed as one of the Directors nominated by CSL. Approval of the Members is sought for continuation of office of directorship of Dr. Harikrishnan S till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2025-26)	Nil
Date of first appointment on the Board	July 23, 2025
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	4/5
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited (3) Green Maritime Propulsion Private Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Cochin Shipyard Limited (a) Stakeholders Relationship Committee, Member (b) Risk Management Committee, Member (c) Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Member

Name of the Director	Shri Rajesh Gopalakrishnan
DIN	09576336
Age & Date of Birth	55 Years July 05, 1971
Qualifications	Shri Rajesh Gopalakrishnan holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering and a Master's degree in Business Administration with specialisation in International Marketing.
Experience	Shri Rajesh Gopalakrishnan is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has around three decades of experience in the field of shipbuilding, ship repairs & conversion, covering the entire spectrum of business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales and customer relations. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), the other wholly owned subsidiary of CSL, where he was the first CEO.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Rajesh Gopalakrishnan was appointed as one of the Directors nominated by CSL. Approval of the Members is sought for continuation of office of directorship of Shri Rajesh Gopalakrishnan till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2025-26)	Nil
Date of first appointment on the Board	October 30, 2024
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2025-26	7/7
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Cochin Shipyard Limited (a) Stakeholders Relationship Committee, Member (b) Risk Management Committee, Member (c) Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Member

Notes

UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu - 603 116

CIN: U27209TN1984GO1010994

a K&A creation | www.kalolwala.com